खण्ड-312, अंक-5
मंगलवार, 10 पौष, शक संवत् 1896
(31 दिसम्बर, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 की कार्यवाही का शद्धि-पत्र

क्रम-सं0	पृष्ठ-सं0	विवरण
1	2	3
1	533	द्वितीय कालम की 5वीं पंक्ति में "शान्दि प्रपन्न शर्मा, श्री" के स्थान पर "शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री" पढ़ा जाय।
2	577	पृष्ठ के तृतीय शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "अभिन्ता" के स्थान पर "अभियन्ता" पढ़ा जाय।
3	605	छठी पंक्ति में सदस्य का नाम "श्री शतरुद प्रकाश" के स्थान पर "श्री शतरुद्ध प्रकाश" पढ़ा जाय।
4	641	10वीं पंक्ति में शब्द "जय प्रकाश नारायण" तथा "बने" के मध्य से अक्षर "न" निकाल कर पढ़ा जाय।
5	657	तालिका के तीसरे कालम में "वर्ष 31–74" के स्थान पर "वर्ष 31-8-74" पढ़ा जाय।
6	658	क्रम संख्या 2 पर "श्रीमती सन्य भावा" के स्थान पर "श्रीमती सत्य भावा" तथा क्रम संख्या 7 में तैनाती की तिथि "20-7-74" के स्थान पर "20-8-74" पढ़ा जाय।
7	660	क्रम संख्या 6 पर "डा0 एम0 के0 अग्रवाल" के स्थान पर "डा0 एस0 के0 अग्रवाल" पढ़ा जाय।
8	662	प्रथम पंक्ति में "पृष्ठ 50" के स्थान पर "पृष्ठ 570", पांचवीं पंक्ति में "196-68 से 19 1–2" के स्थान पर "1967–68 से 1971–72", छठी पंक्ति में "धनराशि 2×,7,56.06 रू0" के स्थान पर "धनराशि 28,73,56.36 रु0", नीचे शब्द अपहरण के सामने रु0 "9,2,540.52" के स्थान पर रु0 "9,82,540.52" दुरुपयोग के सामने "रु0 15, ,445.15" के स्थान पर "रु0 15,77,445.15" तथा "अन्य अनियमिततायें हैं" के सामने "रु0 3,13,70.69" के स्थान पर "रु0 3,13,770.69" तथा सबसे नीचे योग में "2,3,56.36" के स्थान पर "28,73,756.36" पढ़ा जाय।
9	666	तीसरी पंक्ति में "वर्ष 1970 से जून, 19 4" के स्थान पर "वर्ष 1970 से जून, 1974" पढ़ा जाय।
10	674	प्रथम पंक्ति में "पृष्ठ 5 7 पर" के स्थान पर "पृष्ठ 577 पर" पढ़ा जाय।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 31 दिसम्बर, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--393

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां, (एडवोकेट)।
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशान लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एटवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री

ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम दास, चौ० (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री

बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैज नाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री

माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद ममूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
रजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री

राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री

शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्दि प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव,श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री

सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां . नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 31 दिसम्बर, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जरवल रोड चीनी मिल पर किसानों एवं मजदूरों का बकाया

**1--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

द्वितीय सत्र 1974 के 4थे सोमवार, दिनांक, 8 जुलाई, 1974 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जरवल रोड चीनी मिल पर किसानों तथा मजदूरों का बकाया धनराशि अदा करने तथा मिल को स्थायी रूप से चलाने के सम्बन्ध में जो प्रयास किये जा रहे थे वे क्या पूर्ण हो गये ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से प्रयास थे। क्या इस सम्बन्ध में अप्रैल, 1974 से नवम्बर, 1974 तक शासन को अनेकों पत्र प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जुलाई, 1974 के बाद जरवल रोड मिल पर दिनांक 15 दिसम्बर, 1974 तक किसानों के बकाया में से 4.35 लाख रुपया तथा मजदूरों की बकाया की ओर 0.78 लाख रुपये का भुगतान किया गया। चीनी की बिक्री से उपलब्ध मार्जिन मनी में से इससे अधिक भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पाया, चूंकि श्रमिकों को वेतन का भुगतान तथा मिल की मरम्मत करानी भी आवश्यक थी। मिल को सीजन 1974-75 में चालू कर सकने के लिये मरम्मत तथा स्टोर की खरीद हेतु शासन द्वारा 6 लाख रुपये का ऋण दिलाया गया। इसके फलस्वरूप मिल ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 से पिराई आरम्भ कर दी है।

मिल को चालू रखने के लिये शासन को जो पत्र प्राप्त हुये उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई है और दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 को माननीय प्रश्नकर्ता विधायक को समस्त वस्तु स्थिति से अवगत भी करा दिया गया है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या यह सही है कि जो मार्जिन मनी से भुगतान करने की बात कही गयी है मेरी जानकारी है कि वह उससे न करके जो 6 लाख का कर्जा दिया गया है उससे किसानों और मजदूरों को भुगतान किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जरवल चीनी मिल पर मजदूरों और किसानों का कितना बकाया है और कब से है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

किसानों का बकाया है--1968-69 का 5 लाख 21 हजार, 1969-70 का 13 लाख 60 हजार; 1970-71 का 15 लाख 84 हजार, 1971-72 का 2 लाख 30 हजार, 1972-73 का 2 लाख 65 हजार, 1973-74 का 6 लाख 72 हजार। मजदूरों का 14 लाख 47 हजार रुपया बकाया है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि 1971 में इसी-लिए इस मिल को अधिगृहीत किया गया क्योंकि किसानों और मजदूरों का रुपया बकाया था। जब से मिल अधिगृहीत हुई है तब से बकाया कुल मिला कर लगभग साढ़े 11 लाख रुपये ही है किसानों का।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या मन्त्री जी बता सकेंगे कि इस साल जितना गन्ना खरीदा जायगा उस पर किसानों का कितना बकाया शेष रह जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो भविष्य की बात है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

लगभग 8 लाख क्विन्टल टोटल गन्ना खरीदेंगे 12 लाख रुपया बकाया होगा। इस साल बकाये के भुगतान की क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कयास है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

8 लाख क्विन्टल गन्ना खरीदेंगे। जो बैंक से गारेन्टी मिली है 140 रुपये प्रति बोरी है, 156 रु0 प्रति बोरी आता है जो किसानों को देंगे, 16 रुपये प्रति बोरी कम पड़ता है, डेढ़ रुपये प्रति क्विन्टल का घाटा होगा....

श्री अध्यक्ष--

यह कयास है। सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 11 लाख से ऊपर अभी भी बकाया है किसानों और मजदूरों का उसको देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह आदेश जारी किये गये कि इस वर्ष मिल की मरम्मत और मजदूरों के वेतन के बाद जो भी धन बचे वह किसानों और मजदूरों के बकाया के भुगतान के लिये इस्तेमाल किया जाय।

श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर)--

माननीय मन्त्री, जो अभी जवाब दे रहे थे, क्या अन्य मिलों पर भी जिसको अधिगृहीत किया गया है वहां के मजदूरों और किसानो का बकाया जो है उसको देने के सम्बन्ध में आदेश दिये हैं ? जैसे पपराइच आदि हैं ?

श्रीं अध्यक्ष--

अन्य मिलों के बारे में पूछ रहें हैं ?

श्री मधुकर दिधे--

जो जवाब दिया है उसी सन्दर्भ में बतलायें कि इस तरह से बकाया देने के आदेश दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जनरल है। अगर आप चाहते हैं तो जवाब दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन् 1971-72 से किसान और मजदूरों का इस मिल पर रुपया बकाया है तो कितने परसेंट निर्धारित किया है कि यह मिल मालिकों और सरकार को न मिल कर सीधे किसानों और मजदूरों को मिलेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैंने बताया कि जो श्रमिकों और कर्मचारियों का वेतन है और मिल के रख-रखाव के खर्च के बाद जो रुपया बाकी बचेगा वह किसानों के बकाया के भुगतान में लगाया जायेगा ? इसका कोई परसेन्टेज नहीं लगाया गया है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, इस वर्ष जो क्रय-कर सरकार प्राप्त करेगी, क्या किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिये उसको छोड़ देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, यदि आवश्यकता पड़े कि क्रय-कर की प्राथमिकता को नीचा करने से किसानों के बकाये का भुगतान हो सकता है तो इस पर जरूर विचार किया जायेगा। इस साल भी साढ़े तीन लाख रुपया माफ किया है ताकि उसका भुगतान किया जा सके।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन, सीतापुर महमूदाबाद में जो चीनी की सहकारी मिल खुल रही है तो जो किसानों का रुपया बाकी है उससे उनके हिस्से खरीद दिये जायं, ऐसा क्या सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा सवाल है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो मिलें बकाये का भुगतान नहीं करेंगी उनको सरकार अपने हाथ में ले लेगी। जैसे कि जरवल चीनी मिल है और अन्य कई मिलें हैं जिनके ऊपर किसानों का पैसा बाकी है तो क्या उन मिलों को सरकार ने अपने कब्जे में लिया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गारखपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जितनी चीनी बैंकों के गोदाम में रखी जाती है उसका जो रुपया मिल मालिकों का मिलता है उसका कितना प्रतिशत रुपया किसानों को देने के लिये निश्चित किया गया है और उसको केन डेवलपमेंट को दे दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, केन डेवलपमेंट का प्रश्न बाद में आता है। इस समय तो प्रश्न बकाये का है। जो भी रुपया बैंक से उपलब्ध होगा वह मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन तथा मिल के रख-रखाव के खर्चे को काटने के बाद सारा रुपया किसानों के बकाया के भुगतान में लगाया जायगा।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, मार्च से लेकर नवम्बर के बीच चीनी मिलों के सुधार के बारे में मैंने कई पत्र मन्त्री जी के पास भेजे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिखने के अनुसार किन-किन सुझावों को आपने माना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने काफी सचेत हो कर इस मिल के प्रश्न को देखा है इसके लिये मैं उनका आभार प्रगट करना चाहता हूं। उन्होंने 6-7 पत्र लिखे थे जिनमें से 4-5 मिलों के सुधार के सम्बन्ध में थे। उनमें से एक उनका यह सुझाव था कि इस मिल का नवीनीकरण कर लिया जाय और भी कई सुझाव थे। उन सब पर विचार हो रहा है। इसके गन्ने को दूसरी मिल को डाइवर्ट करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने आउट सेन्टर्स के बारे में, जाली के बारे में पुर्जों के बारे में, मिल के अन्दर पुर्जों की चोरी को रोकने के बारे में और चीनी आदि के बारे में, टीक से बिक्री होने के बारे में स्टोर टाइम आफिस पर नियन्त्रण करने के बारे में और मजदूर नेता और उनके साथ जो काम पर नहीं जाते हैं, इन सब के बारे में तमाम सुझाव दिये हैं। इन सब सुझावों पर रिसीवर को बुलाया गया है और इस सम्बन्ध में जो ब्योरा की जरूरत थी उसके बार में रिसीवर को बुलाकर बातचीत की जा रही है।

बेसिक शिक्षक संघ की मांग

**2--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आमरण अनशन विधान सभा भवन के सामने आजकल कर रहे हैं ? यदि हां, तो बेसिक शिक्षकों की मांगों के विषय में और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

जी हां, श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 से दिनांक 25 दिसम्बर, 1974 तक विधान भवन के सामने अनशन कर रहे थे। सरकार बेसिक शिक्षक संघ की मांगों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजबिहारी सिंह जी जो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री थे, उन्होंने क्या इन प्रतिनिधियों को कोई लिखित आश्वासन दिया था कि जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक हैं, उनको जो वेतन-भत्ते दिये जा रहे हैं, वही इन गैर सरकारी हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के अध्यापकों को भी दिया जायेगा ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन बातचीत के दौरान कहा तो जरूर था और यह बात तय हुई थी, लेकिन उसकी स्वीकृति शिक्षा निदेशक द्वारा नहीं मिली, इसलिये वह बात वहां पर रुक गई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के लेविल पर एक बात तय हो गई तो निदेशक महोदय कौन होते हैं, जो उसमें उन्होंने रोड़ा लटकाया ?

श्री राम जी लाल सहायक--

मान्यवर, अध्यापक और राज्य मन्त्री के बीच बात हुई थी, उन्होंने यह कहा था कि होना चाहिए। उन्होंने आलेख्य बनाया था लेकिन वह आलोख्य वहीं पर रुक गया ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय जो अनशन कर रहे हैं उनकी क्या मांग है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, एक तो जो शिक्षक संघ है, उनकी मांग है कि उनको मान्यता दी जाय। शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जाय और यह भी कहते हैं कि 3 वर्ष से अधिक चलने वाली शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता दे दी जाय और अप्रक्षित अध्यापकों को जिनकी सेवायें 5 वर्ष की हो गई हैं उनको प्रशिक्षित मान लिया जाय।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 से 25 दिसम्बर, 1974 तक भूख हड़ताल उन्होंने किया, तो दिनांक 25 दिसम्बर, का 1974 को कौन सा आश्वासन दिया था कि उन्होंने अपना अनशन त्याग दिया था ? क्या सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, आश्वासन तैयार है । इसको मनवाने के लिए कैबिनेट के सामने जा रहा है ।

महाविद्यालयों के शिक्षकों का प्रदर्शन

**3--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहस्त्रों शिक्षकों ने जी0 पी0 ओ0 पार्क, लखनऊ में आयोजित एक विशाल सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि यदि दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 तक उनकी मांगें स्वीकार न की गयीं तो दिनांक 4 जनवरी, 1975 से उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे ? यदि हां, तो मांगें क्या-क्या हैं तथा उन्हें स्वीकार न कि जाने के क्या कारण हैं ? तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

शासन को केवल महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किये गये प्रदर्शन की सूचना प्राप्त हुयी है ।

शासन ने यू0 जी0 सी0 के स्केल लागू करने आदि के सम्बन्ध में निर्णय ले लिये हैं । तदनुसार दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 को राजाज्ञा भी प्रसारित हो चुकी है।

सम्बन्धित शिक्षक संघ ने प्रस्तावित हड़ताल नोटिस वापस ले ली है। अस्तु अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन की घुर्मा खदान के बारूद भण्डार में अग्निकांड

**4--श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में 19 अक्तूबर, 1974 को घुर्मा कोयरी में रखे करोड़ों रुपये के बारूद में आग लग गई जिससे 10 हजार लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

19 अक्तूबर, 1974 को घुर्मा क्वेरी में कोई आग नहीं लगी। 22 अक्तूबर, 1974 को उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन की चुर्क इकाई की घुर्मा खदान के

बारूद भन्डार में आग लग गई जिसके कारण 2,693 किलोग्राम बारूद (जिलेटिन) जल गई जिसकी लागत रुपये 24,477 थी। इस दुर्घटना तथा इसके कारणों की जांच चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव्स, नागपुर, ने अपने क्षेत्रीय एक्सप्लोसिव्स कन्ट्रोलर, आगरा द्वारा कराई। साथ ही सीमेन्ट निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा चुर्क फैक्टरी के उप-निदेशक तथा मुख्य अभियन्ता की एक समिति को वैभागिक जांच का कार्य सौंपा गया। इन रिपोर्टों की प्रतीक्षा है और उनके प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी ?

श्री आशाराम यादव–

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के अधिकारियों का कोई ऐसा पत्र पहले मिला था कि बारूद के स्टाक में कमी है या घोटाला है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)––

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्वेरी के जो मैनेजर बलराम सिंह हैं उनके विरुद्ध कोई इन्क्वायरी चल रही है और उन्होंने जानबूझ कर आग लगवा दी है, क्योंकि उसमें पहले से कमी और घोटाला था। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस तरह का आरोप मैनेजर के विरुद्ध है ?

श्री अध्यक्ष––

जांच की रिपोर्ट आयी है।

श्री नारायन दत्त तिवारी––

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री आशा राम यादव––

यह जो बलराम सिंह हैं इन्होंने बारूद को आस-पास बेच दिया और उसको छिपाने के लिये स्वयं आग लगवा दी। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन्क्वायरी हो रही है। उसी व्यक्ति ने आग लगायी है। उससे जब ताले की चाभी मांगी गयी कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन उसने चाभी बड़ी मुश्किल से दी, माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन्क्वायरी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको इन्टेलीजेन्स से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य सारे तथ्यों को लिखकर भेज दें तो मैं उसकी ब्योरे से जांच करा लूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)––

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच पहले से चल रही है इसकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? अगर वह प्राप्त हुई है तो वह किस रूप में है ?

श्री अध्यक्ष—

उसकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट या प्रतिवेदन आपके पास है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्टाक कितना जला, इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मेरे पास है। दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

---

31 दिसम्बर, 1974 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा कोषागार से निकाली गयी धनराशि

*1—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में फ्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने 57 लाख रु0 जिला कोषागार से निकाल कर व्यय किया है जबकि उन्हें केवल 30 लाख रुपये ही निकालना था ? यदि हां, तो इतना अधिक रुपया निकालने का कारण क्या था और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी नहीं। इस प्रकार का व्यय नहीं हुआ।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार का व्यय इन्हीं वर्षों में और भी हुआ है, यदि हां, तो उसे बताने का कष्ट करें ?

श्री मधुकर दिघे—

चुनाव में खर्च हुआ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य ने कहा कि वित्तीय वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में फ्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने 57 लाख रुपया जिला कोषागार से निकाल कर व्यय किया है। तो ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने जो आदेश भेजा है उसको मैं आपको पढ़े देता हूं, चूंकि फ्रैश प्रोग्राम का सारा कार्य जिला परिषद् अथवा विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जा रहा है और धनराशि का व्यय जिला परिषद् या क्षेत्र समितियों के निधियों से होता है अत : आपसे यह अनुरोध है कि आप अवशेष धनराशि को राज्य कोष से निकाल कर जिला या क्षेत्र निधि या विभागीय डिपाजिट में अवश्य हस्तान्तरित कर दें। यह कार्य 25 मार्च, 1972 से पहिले ही पूरा हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार जो धन हस्तान्तरित किया गया है उसका पूरा-पूरा व्यय अगले वित्तीय वर्ष में जितनी जल्दी हो सके हो जावे और काम भी ठोस रहे। इसका मतलब यह है कि खर्चा जिले के खजाने से नहीं बल्कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् की समितियों की निधि से निकाल कर किया गया है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

कितना रुपया निकाल कर व्यय किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

1970 में कोई कार्य-क्रम नहीं था। 2 अक्तूबर, 1971 में कैश प्रोग्राम आरम्भ हुआ। 1971-72 में 18 लाख 90 हजार रुपये का आबंटन किया गया जिसमें से 5 लाख 91 हजार 490 रुपया व्यय हुआ। 1972-73 में 14 लाख 56 हजार रुपया आबंटित किया गया जिसमें से 27 लाख 54 हजार 544 रुपया व्यय हुआ और 1973-74 में 10 लाख 57 हजार रुपये आबंटित किये गये जिसमें से 9 लाख, 12 हजार 691 रुपया व्यय हुआ। इस प्रकार से 44,66,800 रुपये का टोटल आबंटन हुआ और इसमें से 42 लाख 58 हजार 725 रुपया व्यय हुआ।

*2---श्री [illegible] दिघे---

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)।

शाहजहांपुर जिले की न्याय पंचायत [illegible] तथा गढ़िया रंगीन के पंचों का अनियमित रूप से मनोनयन

*3--- श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र मिर्जापुर व जैतीपुर में कुछ ग्राम सभाओं में जून, 1974 में पंच मनोनयन समिति ने न्याय पंचायतों के कुछ ऐसे पंच बनाये हैं जो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हैं और सदस्यता का चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं और उसी ग्राम सभा में पढ़े-लिखे सदस्य उपलब्ध थे ? यदि हां, तो क्यों क्या यह भी सही है कि इस विषय में प्रश्नकर्ता ने मन्त्री महोदय को जून तथा जुलाई में पत्र भी लिखा था जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भी भेजी ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र मिर्जापुर तथा जैतीपुर के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच मनोनीत नहीं किया गया है जो गांव सभा का सदस्य नहीं है। गांव सभा की सदस्यता का चुनाव नहीं होता है। अतः चुनाव हारने का प्रश्न नहीं उठता है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का दिनांक 18 जुलाई, 1974 का पत्र प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी द्वारा न्याय पंचायत के पंच पद पर नियुक्ति के आदेश पर शासन स्तर पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

श्री मोहम्मद रफी खां---

सरकार की ओर से जिलाधिकारी को क्या-क्या हिदायतें थीं, और क्या नियम हैं, इन्हें मन्त्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

न्याय पंचायत औरी में एक श्री शेर बहादुर सिंह हैं। यह पंचायत के सदस्य नहीं थे। ये ग्राम सभा के सदस्य तो जरूर थे लेकिन पंचायत के सदस्य नहीं थे। पंचायत का सदस्य ही न्याय पंचायत का पंच चुना जा सकता था। तो एक तो मनोनयन श्री शेर बहादुर सिंह का हुआ।

जहां तक न्याय पंचायत गढ़िया रंगीन का प्रश्न है, इसमें श्री ओम प्रकाश गुप्ता पंचायत के सदस्य नहीं था। इनको भी नियुक्त किया गया।

ये दोनों अनियमित नियुक्तियां थीं और इन अनियमित नियुक्तियों की अनियमितता को दूर करने के लिये पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 12 (सी) है। उसके अधीन निर्वाचन याचिका द्वारा यह अनियमितता दूर की जा सकती थी।

श्री मोहम्मद रफी खां--

जिलाधीश ने जो कार्यवाही गैर कानूनी ढंग से नियमों के खिलाफ की है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सरकार को इस अनियमितता को दूर करने के लिये कोई अधिकार नहीं है। चुनाव याचिका दाखिल करके उसका निर्णय लेने का अधिकार उनको है जो इससे प्रभावित है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

यह अनियमित कार्य जिलाधीश ने अपने मन से किया है। सरकार इस अनियमितता को दूर करने में किन कारणों से अपने को अक्षम समझती है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि पंचायत राज अधिनियम बना हुआ है। उसमें धारा 12 (सी) का उल्लेख है। अगर कोई अनियमितता चुनाव में हो जाती है तो उस धारा के अधीन चुनाव याचिका दायर कर के उस अनियमितता को दूर करने का प्राविधान है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मन्त्री जी को ज्ञात है कि पूरे जिले में गांव पंचायतों के चुने हुये लोगों को छोड़ कर हारे हुये लोगों को जिलाधीश ने मनोनीत कर दिया। आप फरमा रहे हैं कि याचिका दाखिल कर के कम से कम 5 साल लड़कर तब निर्णय कराया जाय। तो क्या सरकार इस मामले में अपने को असमर्थ पा रही है कि जिलाधीश से इस चीज को नियमित रूप में कराये ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

चुनाव सम्बन्धी नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सरकार क्यों दूर करे। चुनाव के नियम अलग हैं यह बता रहे हैं वह।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनियमितता हुई है। मनोनयन करते हैं कलेक्टर। वह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हैं। तो कलेक्टर ने जो यह अनियमितता की है उसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिलाधिकारी को इस अधिनियम में मनोनयन का अधिकार दिया गया है। अगर उसने अनियमितता की है तो हम पूछ ही सकते हैं। उस अनियमितता को दूर करने का तरीका ऐक्ट में है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

जिलाधीश को सुझाव देने के लिये सलाहकार समिति होती है। उसने जिलाधीश को यह बता दिया था कि इनको मनोनीत नहीं किया जा सकता। फिर भी जिलाधीश ने उनको मनोनीत किया। तो जिलाधीश के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने संस्तुति की, इन लोगों की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने यह मनोनयन किया।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

यह अनियमितता जो इस कलेक्टर ने की इसको स्थायी रूप से दूर करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था कर रही है? और क्या वह व्यवस्था यह नहीं होगी? कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सरकार तो नियमों में संशोधन करके ही इन अनियमितताओं को दूर करने की कार्यवाही कर सकती है ..... (व्यवधान)।

श्री मधुकर दिघे--

जिले के अधिकारी सरकार और सरकारी पार्टी को मदद करने के लिये ही इस तरह के गलत काम करते हैं? तो क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करके आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो अनियमिततायें हैं वे किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नहीं हुयी हैं?

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

इसका जवाब नहीं आया कि क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने का काम करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी।

(व्यवधान)

*4-5--श्री हिम्मत सिंह--

(2रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या 26-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

जिला सहकारी बैंक लि०, एटा के संचालक मण्डल के संचालन

*6—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक जिला, एटा के संचालक मन्डल में इस समय कितने संचालक हैं और किस समिति के प्रतिनिधित्व के आधार पर यह संचालक चुने गये हैं? इनमें कितने संचालक ऐसे हैं जिनकी समितियां जिला सहकारी बैंक जिला, एटा की 6 माह से अधिक बकायेदार हैं? यदि हां, तो उन संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 656 पर)।

श्री प्यारे लाल वर्मा—

अध्यक्ष महोदय प्रश्न के उत्तर की प्रति प्राप्त नहीं हुई।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ये बकायेदार हैं, उनके खिलाफ वसूली का अब तक कोई कदम उठाया गया है या नहीं? अगर नहीं, उठाया गया है, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सदस्यों के बकायेदार होने का प्रश्न नहीं है। वे ठीक से चुन कर आये हैं।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

जो समितियां बकायेदार हैं जिला सहकारी बैंक की उनकी वसूलयाबी के लिये कोई कदम उठाया गया है कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष —

इसमें से यह नही निकलता है। जो प्रश्न पूछा गया था उसका पूरा जवाब विस्तार से दे दिया गया है।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

आखिर इन समितियों से यह बकाया क्यों नहीं वसूल किया गया और यह अनियमितता क्यों की गयी है?

श्री अध्यक्ष —

क्यों वसूल नहीं किया गया इसमें से यह प्रश्न नहीं निकलता।

वर्मा जी, अभी आपने कहा कि आपको उत्तर की प्रति प्राप्त नहीं हुई है जब कि हमारे दफ्तर के रजिस्टर से मालूम होता है कि आपके कमरे में किसी ने हस्ताक्षर करके उस प्रति को प्राप्त किया है। इस तरह से वह प्रति आपको प्राप्त हो गयी थी।

श्री प्यारे लाल वर्मा—

जो समितियां पिछले रुपये की बकायेदार हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जब कि ऐसा नियम नहीं है। जो बकायेदार हैं वे खड़े नहीं हो सकते, फिर ये कैसे आ गये? अगर कोई ऐसा नियम है तो उसको बतलाने की कृपा करें कि जब ये बकायेदार थे तो फिर कैसे चुन कर आ गये?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जो नियम हैं उसको देखा जा सकता है लेकिन जिस वक्त ये चुन कर आये उस वक्त समितियां बकायेदार नहीं थीं इसलिये चुनाव से वे रोके नहीं जा सकते थे। बाद में समितियां बकायेदार हो गयीं।

*7—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त)।

शाहजहांपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के ठेकेदार पर बकाया ठेका तहबाजारी

*8—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद का ठेका बाजार गंज का वर्ष 1974-75 के ठेकेदार पर लगभग 21,000 किस्तों का आज तक शेष है तथा ठेकेदार ने टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के हक में कोई इकरारनामा तहरीर नही किया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां, यह सत्य है कि टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के ठेकेदार पर वर्ष 1974-75 के लिये बाजारगंज के ठेका तहबाजारी का 26,500 अवशेष है और ठेकेदार ने टाउन एरिया कमेटी के हक में कोई इकरारनामा नहीं लिखा है। टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन ने ठेकेदार को अवशेष धन जमा करने तथा इकरारनामा अब तक न लिखने के लिये नोटिस दिया है। जिलाधिकारी द्वारा टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद को टाउन एरिया ऐक्ट की धारा 7-क(1)(क) के अधीन 'कारण बताओ नोटिस' दिया जा रहा है। चेयरमैन का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसकी परीक्षा करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस 21 हजार के अवशेष धन की वसूलयाबी के लिये जो जलालाबाद टाउन एरिया के ठेकेदार पर है, कौन सा ठोस कदम उठाया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् दिनांक 23 जुलाई, 1974 को इस टाउन एरिया का ठेका मंजूर हुआ। उसके बाद दिनांक 28 मार्च, 1974 को कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने मुन्सिफ कोर्ट में इसके खिलाफ दावा दायर कर दिया और वहां से स्थगन आदेश जारी हो गया। ठेकेदार को दिनांक 2 अप्रैल, 1974 को यह स्थगन आदेश जारी हुआ कि वह कोई वसूली नहीं कर सकता। इस पर ठेकेदार ने उज्रदारी की दिनांक 8 अप्रैल, 1974 को तो उस पर स्थगन आदेश वापस हो गया लेकिन पुन: दुकानदारों ने दिनांक 9 मई, 1974 को स्थगन आदेश फिर दायर किया, मुन्सिफ कोर्ट में स्थायी स्थगन आदेश पारित हो गया कि यह वसूली नहीं की जा सकती। इसके बाद ठेकेदार ने दिनांक 30 मई, 1974 को डिस्ट्रिक्ट जज के यहां

दावा दायर किया। डिस्ट्रिक्ट जज ने बहस सुनने के बाद जो मुन्सिफ का स्थगन आदेश था, रद्द कर दिया। फिर दोबारा दूकानदारों ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रिवीजन दायर किया और वह विचाराधीन है। मुन्सिफ कोर्ट के यहां जो मूल सूट फाइल है वह भी विचाराधीन है। यह इतनी देर का कारण है। इसके अलावा टाउन एरिया के चेयरमैन ने इकरारनामा क्यों नहीं लिखा। और जिलाधीश ने नोटिस दिया आदि बातें देर होने का मुख्य कारण हैं।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद) —

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस ठेकेदार का नाम क्या है और क्या यह शासक दल से सम्बन्धित है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी सूचना नहीं है।

विश्व बैंक परियोजना की स्थापना पर व्यय एवं उसके विभिन्न विंगों में की गई नियुक्तियां

*9—डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्व बैंक जन संख्या परियोजना, उत्तर प्रदेश में कब से तथा कितनी लागत से प्रारम्भ हुई है ? क्या सरकार इस परियोजना की प्रगति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

विश्व बैंक जन संख्या परियोजना 11.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस प्रदेश में मई, 1973 से प्रारम्भ की गयी है ?

इस परियोजना की अब तक की प्रगति संतोषजनक है।

डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त परियोजना के विभिन्न विंग स्थापित हो गये हैं तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस परियोजना के विभिन्न विंग स्थापित हो चुके हैं तथा प्रत्येक विंग में आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

(माननीय मन्त्री जी ने उत्तर पढ़ना आरम्भ किया पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र खराब हो जाने के कारण कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। इस पर माननीय सदस्य हंसने तथा आपस में बातचीत करने लगे।)

एक सदस्य—

माननीय मन्त्री जी आप कुर्सी चेंज कर दीजिये।

(हंसी—बातचीत)

श्री अध्यक्ष —

आप लोग सुनें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढवाल)—

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना में क्या लक्ष्य रखे गये थे और सफलता कितने प्रतिशत मिली है ? यह जो प्रश्न है कि यह कब से प्रारम्भ हुयी थी और इसका लक्ष्य, परिवार नियोजन के लिये कितना पैसा मिला, इसमें क्या-क्या टारगेट फिक्स किये गये थे।

श्री अध्यक्ष —

आप परियोजना के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल तो सीमित था।

लखनऊ में यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा चलाया गया ओइशी जलपान गृह

*11—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा चलाये जा रहे लखनऊ होटल में एक होटल के सम्बन्ध में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह होटल क्या अब भी चल रहा है ? यदि हां, तो इसे एग्रो द्वारा कुल कितना रुपया दिया गया और इसमें कुल कितने रुपये का घाटा हुआ ? यदि हां, तो होटल पूर्णतया असफल रहने का कारण क्या है और इस असफलता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। यू0 पी0 स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा चलाया गया ओइशी जलपान गृह अब बन्द कर दिया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जो होटल चल रहा था वह क्यों बन्द कर दिया गया ? क्या घाटा था, तो कितना वह था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कुछ घाटा हुआ था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, बन्द करने के कारण क्या हैं और घाटा कितना हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इसमें 97,321.82 रु0 का घाटा हुआ। 1972-73, 1973-74 और 1974-75 अर्थात् 3 वर्ष का घाटा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस होटल पर कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था और किस के दिमाग की यह सूझ थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस पर कुल लागत 1,56,140 रु0 की लगी। यह एग्रो का जो बोर्ड डाइरेक्टर हैं उसने इस होटल को चलाने का निर्णय लिया था।

सी० ओ० डी० वेतन भोगी सहकारी समिति, कानपुर में गबन

*12—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सी0 ओ0 डी0 वेतन भोगी सहकारी समिति, कानपुर में लाखों रुपये का गबन एवं अनियमित व्यय की सूचना आडिट रिपोर्ट (वर्ष 1970 से 1973 तक) द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितने रुपये के गबन होने तथा कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं तथा क्या यह सही है कि 1 सितम्बर, 1973 को उपरोक्त समिति के संचालक मन्डल ने जिला सहकारी निबन्धक, कानपुर को एक पत्र लिख कर भारी रकम के गबन की बात स्वयं स्वीकार की थी ? फिर भी संचालक मन्डल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72, 1972-73 में राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त समिति की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

यह सही है कि 1 सितम्बर, 1973 को समिति के कार्यवाहक सचिव (संचालक मन्डल नहीं) ने जिला सहायक निबन्धक, कानपुर को एक पत्र लिखकर समिति में 3,765 रुपये के गबन की सूचना दी थी। आवश्यक जांच के बाद गबन की रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 1974 को थाना बाबू पुरवा, कानपुर में दर्ज करा दी गई। उपरोक्त गबन वर्तमान संचालक मन्डल के कार्यकाल से सम्बन्धित नहीं है फिर भी उक्त गबन के सम्बन्ध में वर्तमान संचालक मन्डल द्वारा कोई कार्यवाही न करने आदि के विषय में संचालक मन्डल को दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 को आरोप-पत्र दिया गया है।

राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त समिति की जांच वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 में कराये जाने की जानकारी नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जवाब जो मिला है कि संचालक मन्डल के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में और संचालक मन्डल को दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 को आरोप-पत्र दिया गया है। तो क्या यह कागनीजेबिल आफेन्स है ? सरकार उसकी नोटिस नहीं लेती जब तक कि विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती या जब तक क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जाती है क्या ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा कार्यवाही करके जब निश्चित हो जाता है तब एफ0 आई0 आर0 लाज करके विभाग को दे दिया जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

थाने में रिपोर्ट किसने की ?

श्री अध्यक्ष —

इनका कहना है कि गबन की रिपोर्ट किसने दायर की है बाबूपुरवा थाने में। आवश्यक जांच के बाद रिपोर्ट बाबूपुरवा में दर्ज करा दी गयी है क्या ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यह कोआपरेटिव सेल से पता चलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, आवश्यक जांच में कौन-कौन अभियोगी पाये गये और उनको मुअत्तल किया गया है कि नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, आवश्यक जांच अभी की जा रही है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, आवश्यक जांच के बाद आरोप थाने में लिखा दिये गये हैं तो उसमें अभियुक्त कौन-कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

गबन है तो उसकी जांच करा लेंगे तब पता चलेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, सहकारिता विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिये जो आपने गुप्तचर सेल स्थापित किया है तो क्या एफ0 आई0 आर0 के बिना वह सेल कोई कार्य नहीं कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष —

कोआपरेटिव सेल से आपका मतलब है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जी हां। जब तक एफ0 आई0 आर0 न हो, कार्यवाही नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष —

इनका कहना है कि बिना एफ0 आई0 आर0 के कार्यवाही नहीं होती।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जी हां।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वैसे तो जो भी सूचना मिल जाय, वही एफ0 आई0 आर0 है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, जो गुप्तचर सेल कायम कर रहे हैं सहकारिता के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, वह जब तक एफ0 आई0 आर0 न दायर हो जाय, कार्यवाही नहीं करते। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वैसे एफ0 आई0 आर0 का मतलब तो प्रथम सूचना है, लेकिन जैसे ही सूचना मिल जायेगी कार्यवाही करेंगे।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एफ0 आई0 आर0 किसके द्वारा दर्ज की गयी है और उसके क्या-क्या विवरण हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, इसके लिये सूचना चाहिये।

डा0 मलखान सिंह जिला जालौन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब संचालक मन्डल ने लिख कर दिया कि अनियमितता और गबन है, तो दो वर्षों में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसके क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, उसमें विभाग की तरफ से संचालक मन्डल को आरोप-पत्र दिया गया है कि क्यों नहीं कार्यवाही की ?

ग्राम प्रधान, जरवल, जिला बहराइच के विरुद्ध शिकायत

*13—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, जरवल, जिला बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें वर्ष 1972 से अब तक जनता द्वारा की गईं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की तत्काल जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गई तथा वह निराधार पाई गई।

एक शिकायत अभी हाल में प्राप्त हुई है जिस पर जांच की जा रही है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 से जनता द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं वे कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, वर्ष 1972 में जरवल प्रधान, गांव सभा का चुनाव हुआ। गुलाम रसूल एक व्यक्ति सभापति चुना गया और सुल्तान अहमद कुरेशी हार गये हैं और उन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाना शुरु किया, जिसकी जांच हुई और सभी बातें निराधार पायी गयीं। हाल में उनके खिलाफ शिकायत आयी है, वह कोई छेदीलाल बाल्मीकि हैं, जो जिलाधीश के पास जांच के लिये भेजी गयी है कि आया उसमें कोई तथ्य हैं कि नहीं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान के खिलाफ जिसने दरख्वास्त दी थी और जिसने जांच की, उसने क्या-क्या आरोप पाये ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह सवाल विधान सभा के स्तर का नहीं। मक्खी मारने के लिये बन्दूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मक्खी मारने के लिये विधान सभा का प्रयोग नहीं होना चाहिये, लेकिन माननीय सदस्य तो यहां मच्छर मारते रहते हैं (हंसी)।

श्री हिम्मत सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि जिसने शिकायत की थी क्या उसको भी जांच करने वाले ने बुला लिया था?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

शाहजहांपुर नगरपालिका के चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14---श्री मोहम्मद रफी खां---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर, शाहजहांपुर नगरपालिका के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं का दिनांक 19 अप्रैल, 1974 को स्वायत्त शासन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई। शिकायतों की पुष्टि न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

श्री मोहम्मद रफी खां---

क्या मन्त्री जी शिकायत पढ़कर सुना देंगे, जो मैंने की थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैं पढ़कर सुनाये देता हूं:

मुझे यह मालूम हुआ है कि शाहजहांपुर नगरपालिका के चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर श्री सहाय, शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता बीमार थे इसलिये मुख्तसिर अरसे के लिये इनका तबादला शाहजहांपुर कर दिया गया था। अब साल भर हो गया है और इस बीच इनके वालिद का देहान्त भी हो गया है।

श्री सहाय बेईमान अधिकारी हैं। मिलावट खूब करता है जिसका सबूत यह है कि पिछले एक साल में मिलावट करने वालों के चालान इतने नहीं हुए जितने कि होना चाहिये। इन्सपेक्टर श्री मिश्रा ने भी काफी धांधली मचा रखी है। वह भी कई साल से हैं।

श्री सहाय वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड में ही वाटर वर्क्स के दफ्तर में पांच छः साल से रह रहे हैं। जब बरेली तबादला हुआ तब भी वहीं बीबी बच्चे रहते रहे। चूंकि मौजूदा चेयरमैन के खास हैं इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड को इस इमारत में रहने का कोई किराया आज तक न दिया गया।

चीफ इन्जीनियर, वाटर वर्क्स ने हिदायत कर रक्खी है कि वाटर वर्क्स में कोई बाहरी आदमी नहीं रहेगा लेकिन वह आज भी इसमें रह रहे हैं। एक सिविल सूट भी इन्होंने

नोट:---(तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

दायर किया था कि यह उस दफ्तर से निकाले न जायं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार से श्री सहाय को यह मराआत क्यों हासिल हैं। कृपया इनको तुरन्त शाहजहांपुर से हटाकर मुकदमें का खर्च तथा दफ्तर का किराया एवं एरिअर्स आफ लैंड रेवेन्यू जिलाधीश के मारफत वसूल करने की कृपा करें और इस धांधली को खत्म करायें।

श्री मोहम्मद रफी खा--

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी जांच में इसमें कौन सी बात गलत पाई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पूरी रिपोर्ट पढ़ने में बहुत समय लगेगा।

श्री मोहम्मद रफी खां--

आपको असेम्वली के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष--

एक ही शिकायत नहीं है, बहुत सी शिकायतें हैं। आपको प्रश्न करना हो तो करलें।

श्री मोहम्मद रफी खां--

मेरी जानकारी है कि जो चार्जेज लगाये गये हैं, सही हैं। जिला अधिकारी को लिखा जाय कि ठीक से जवाब दें या कमिश्नर से जांच करवा ली जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी जांच जो हुई है वह सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई है। यह बहुत लम्बी रिपोर्ट है। बीच में जब कुछ समय के लिये बाहर तबादला कर भी दिया गया था। और तो भी मुख्य सफाई निरीक्षक नगरपालिका के भवन में रह रहा था। उक्त समय सम्भवत: मुख्य सफाई निरीक्षक ने भवन खाली करने के विरुद्ध सिविल वाद भी दयार किया होगा। आपके शिकायती पत्र में कोई ऐसे इंस्टांसेज नहीं थे जिन को लेकर किसी बात की तफतीश करते। सिर्फ आपने लिखा था कि पुराने जो चालान थे वे इस साल कम हुए। यह कोई भ्रष्टाचार का कारण नहीं हो सकता। इस साल कोई खराबी नहीं हुई होगी जिससे चालान नहीं हुआ। फिर शिकायतकर्ता की जो शिकायत आई थी उसमें किसी के दस्तखत नहीं थे।

श्री मोहम्मद रफी खां--

कमिश्नर साहब से क्या सरकार जांच करा लेगी ताकि मालूम हो सके कि कलेक्टर की जांच गलत है ?

टिहरी-गढ़वाल जिले के टिहरी व नरेन्द्रनगर अस्पतालों में व्यय की गई धनराशि

*15--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी व नरेन्द्रनगर के अस्पतालों में क्रमश: कितने-कितने डाक्टर नियुक्त हैं और इस वर्ष 31-8-74 तक इन दोनों अस्पतालों में क्रमश: कितने-कितने रोगियों की परिचर्या की गयी तथा वर्ष 73-74 में इन दोनों अस्पतालों में दवाओं व साज-सज्जाओं के लिये कितने-कितने रुपयों का प्राविधान था और उसमें कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 657 पर।)

*16--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

(3रे गुरुवार में प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

मोती लाल नेहरू, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर हिस्ट्रीशीटर की नियुक्ति

*17--श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्रिन्सिपल तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कितने ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति यह जानते हुये कि वे हिस्ट्री शीटर हैं अपने अन्तर्गत की है तथा उनका नाम थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद में हिस्ट्रीशीटर के रजिस्टर में दर्ज है यदि हां, तो ऐसा किये जाने का कारण क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज व स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से केवल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद में हिस्ट्रीशीटर के रजिस्टर में दर्ज है, परन्तु यह जानकारी उक्त कर्मचारी की नियुक्ति के समय उपलब्ध नहीं थी। इस मामले में इस समय कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

नगरपालिका मुगलसराय द्वारा जी० टी० रोड स्थित दुकानों से किराये की वसूली

*18--श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जी0 टी0 रोड पर स्थित उत्तर और दक्षिण पटरी की दूकानों का किराया मुगलसराय नगरपालिका वसूल करती है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? और क्या इस संबंध में सरकार द्वारा जो लीज और डीड थी उसकी अवधि बीस (20) वर्ष पहले समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या डीड की मियाद खतम होने के बाद सरकार को किराया वसूल करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या जो किराया वसूल किया गया है वह वापस किया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नगरपालिका, मुगलसराय द्वारा जी0 टी0 रोड स्थित दक्षिण पटरी की दूकानों का किराया लिया जा रहा है किन्तु उत्तर पटरी तहबाजारी शुल्क दिनांक 4-2-71 से नहीं वसूला जा रहा है। नगरपालिका की तहबाजारी उपविधियों के अनुसार तहबाजारी वसूल की जा रही है। दक्षिण पटरी के कुछ हिस्से का स्थायी बन्दोबस्त है और कुछ हिस्सा उत्तरी पटरी सहित वर्ष 1920 में 90 वर्ष की लीज पर लिया गया था। लीज डीड की शर्तों के अनुसार लीज का 30 वर्ष पर नवीनीकरण का अनुबन्ध है। वर्ष 1950 के उपरान्त लीज के अगले 30 वर्ष के नवीनीकरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया था जिन्होंने वार्षिक तौर पर दिनांक 31-3-50 से 31-3-57 तक का नवीनीकरण किया। लीज डीड के अन्तर्गत नगरपालिका, मुगलसराय को तहबाजारी वसूल करने का अधिकार है क्योंकि लीज की अवधि 90 वर्ष की है और लीज की शर्तों के अनुसार उसके नवीनीकरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देशानुसार नगरपालिका कार्यवाही कर रही है। अतः तहबाजारी को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

विश्वेसरगंज अस्पताल, जिला बस्ती में वार्ड व्याय के पद पर नियुक्ति

*19--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद बस्ती के स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में 1 जनवरी, 1974 से अब तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुछ ऐसे कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति चुनाव समिति द्वारा की गयी थी, निकाल कर उनके स्थान पर बिना चुनाव समिति या सेवा योजन कार्यालय से आये लोगों को रख लिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या सरकार उनको पुनः काम पर वापस लेगी ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। केवल एक मामले में विश्वेसरगंज अस्पताल, जिला बस्ती में एक वार्ड व्याय के पद पर एक कर्मचारी की नियुक्ति चुनाव समिति द्वारा चुने गये कर्मचारी को हटा कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के आदेश से की गयी है। हटाये गये कर्मचारी की पुनः नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

*20-21--श्री सूबेदार प्रसाद--

(विस्तीर्णता के कारण निरस्त।)

इटावा जिले के कोल्ड स्टोरेज द्वारा वसूल किया गया किराया

*22--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिला में कोल्ड स्टोरेंजों द्वारा आलू रखने के लिये किराया के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक धन वर्ष 1973-74 में आलू उत्पादकों से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। दो शीतगृहों द्वारा 8 रु0 प्रति कुंतल से अधिक भंडारण किराया वसूल किया गया है। यह वसूली माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज आदेश, 1972 के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर स्थगन आदेश द्वारा की गई है।

*23--श्री मोहन लाल कपूर, श्री तीरथ राम कोहली तथा श्री उमानाथ सिंह--

(4थे मंलवार के लिये स्थगित।)

*24--श्री राम सेवक यादव--

(निधन के कारण निरस्त।)

खरीफ की फसल के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य

*25--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 1974 में खरीफ की फसलों के उत्पादन का कितना लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और उसे पूरा करने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रदेश में वर्ष 1974 में खरीफ की फसलों के उत्पादन का लक्ष्य 75.80 लाख टन निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निम्नांकित प्रयास किये गये—

(1) धान के क्षेत्रफल में 3 लाख हेक्टर की वृद्धि।
(2) अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के क्षेत्रफल में 5 लाख हेक्टर की वृद्धि।
(3) धान के सिंचित क्षेत्रफल में 4 लाख हेक्टर की वृद्धि।
(4) मक्का की उन्नतिशील विधियों के विस्तार तथा उसके अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाकर उसके उत्पादन में वृद्धि।
(5) उत्पादन बढ़ाने वाले संसाधनों (इनपुट्स) की समय से पूर्ति तथा दिन में बिजली उपलब्ध कराकर सिंचाई की व्यवस्था।

फर्रुखाबाद जिलें की ग्राम सभा जाफराबाद के प्रधान के पद का चार्ज

*26—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सामुदायिक एवं पंचायत राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत के चुनाव हुए लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अभी तक जनपद फर्रुखाबाद, विकास क्षेत्र सौरिख की जाफरावाद ग्राम सभा का चार्ज भूतपूर्व प्रधान द्वारा नहीं दिया गया है? क्या सरकार इस ओर कोई कार्यवाही करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

फर्रुखाबाद जनपद के विकास क्षेत्र सौरिख की गांव सभा जाफराबाद के भूतपूर्व प्रधान द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान को चार्ज दिया जा चुका है।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*27—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा संख्या 331, चिकित्सा अनुभाग, 4-11-73 के अनुसार 3 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के 14-15 वर्ष से कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्थायी न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पदों के स्थायीकरण के आदेश 7-11-1974 को निर्गत हो चुके हैं और पदधारियों को स्थायी करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

कानपुर जिले के विकास खंड, रसूलाबाद के बी० डी० ओ० के विरुद्ध जांच

*28--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड, रसूलाबादा के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध गबन के आरोपों की जो जांच इस समय परगनाधिकारी, डेरापुर कर रहे हैं क्या उन्होंने जांच पूरी करके जांच रिपोर्ट भेजी है और उसमें उक्त बी0डी0 ओ0 को गबन का दोषी पाया यदि हां, तो उक्त बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की

गयी ? इसमें विलम्ब किये जाने का क्या कारण है तथा उक्त परगनाधिकारी, डेरापुर की जांच रिपोर्ट क्या है और क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस के आधार पर बी0डी0ओ0 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने पर ही यह बताना सम्भव हो पायेगा कि यह खंड विकास अधिकारी दोषी है या नहीं । चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी चल रही है अतः परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट इस समय सदन में रखना उचित नहीं होगा ।

फैजाबाद जिले के आबकारी लाइसेंसियों पर बकाया धनराशि

*29—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री राम नरायन, राम आसरे और हीरालाल आबकारी लायसेन्सी, फैजाबाद के ऊपर वर्ष 74–75 के मास जुलाई, अगस्त, सितम्बर की लायसेन्सी फीस लगभग 4 लाख रुपया वाजिबुल अदा है इस यदि हां, तो इस धनराशि के अब तक बकाया रहने का कारण क्या है और इस बकाया वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्नगत लाइसेन्सियों पर मास जुलाई और अगस्त, 1974 की लाइसेन्स फीस का कोई बकाया नही है । मास सितम्बर, 1974 की लाइसेन्स फीस का 13,000 रुपया वसूल हो गया है और शेष 1,52,483 रुपये की वसूली हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों एवं आबकारी निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिये गये हैं और अनुज्ञापियों के विरुद्ध आबकारी मैनुअल की धारा 174 के अन्तर्गत उनके अनुज्ञापनों को निरस्त करने की नोटिस भी जारी कर दी गयी है।

कानपुर जिले की औषधि निर्माण फर्मों का निरीक्षण

*30—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में किन–किन दवा निर्माताओं, फर्मों का निरीक्षण ड्रग निरीक्षक (राज्य सरकार) द्वारा अप्रैल, 74 में किया गया और क्या निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

शासन को उपलब्ध सूचना के अनुसार कानपुर में निम्नलिखित 9 औषधि निर्माण करने वाली फर्मों का निरीक्षण औषधि निरीक्षकों द्वारा अप्रैल, 74 में किया गया :—

1—मेसर्स ड्रग कारपोरेशन, कानपुर

2—मेसर्स एबजल फार्मा प्रा0 लि0, कानपुर

3—मेसर्स एच0टी0 कैमिकल्स, कानपुर

4—मेसर्स पारकर फार्मा प्रा0 लि0, कानपुर

5—मैसर्स हैरिसन लेबोरेटरी, कानपुर

6—मेसर्स आइडियल केमिकल्स, कानपुर
7—मेसर्स स्पान फार्मा, कानपुर
8—मेसर्स यू० पी० फार्मास्यूटिकल्स, कानपुर
9—मेसर्स हिन्द केमिकल्स, कानपुर

दि ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट के अधीन निर्मित नियमावली के नियम 52 के अधीन ऐसी रिपोर्टें औषधि निरीक्षकों द्वारा कन्ट्रोलिंग एथोरिटी (औषधि नियंत्रक) को भेजी जाती हैं न कि शासन को। औषधि नियंत्रक को प्राप्त रिपोर्ट में उक्त फर्मों में से 6 फर्मों के बारे में त्रुटियां पाई गई और उक्त ऐक्ट के नियम 85 के अधीन उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उनका लाइसेन्स समाप्त क्यों न कर दिया जाय।

बरेली मानसिक अस्पताल के लिये विचाराधीन सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद

*31—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली मानसिक चिकित्सालय 408 बेड का अस्पताल है और वहां कोई सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। इस समय सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट के केवल 12 पद हैं, जो 200 बेड से अधिक के केवल महत्वपूर्ण अस्पतालों के लिये ही स्वीकृत हैं। मानसिक अस्पताल, बरेली के लिये सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*32—श्री सत्य प्रकाश—

[3रे गुरुवार में प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*33—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[3रें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विष्णुपुरी कालोनी, लखनऊ के नक्शे

*34—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगंज, लखनऊ में विष्णुपुरी कालोनी में लोवर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों ने लगभग 9 वर्ष पहले प्लाट खरीदे थे और तत्काल प्रेस-क्राइब्ड अथारिटी नगरपालिका, लखनऊ को नक्शा पास करने हेतु प्रार्थना-पत्र नक्शों सहित दिये थे ? यदि हां, तो अब तक उन नक्शों को पास न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

शासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि विष्णुपुरी कालोनी में जो कि निजी कालोनी है किस ग्रुप के लोगों ने कब प्लाट खरीदे हैं केवल दो प्लाट होल्डर्स ने नियत प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र जमा किये थे। चूंकि कृष्णा कालोनाइजर ने अब तक कालोनी में न तो सीवर लाइन बिछाया है न इसके लिये नगर महापालिका को आवश्यक धनराशि ही जमा किया है इसलिये नियत प्राधिकारी द्वारा कालोनी का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं किया जा सका। बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत हुये प्लाट होल्डर्स के भवन-मानचित्र भी स्वीकृत नहीं किये जा सकते।

भूमि विकास बैंक शाखा, अलीगढ़ के विरुद्ध ग्राम ग्वालरा निवासियों का कथित शिकायती-पत्र

*35—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम ग्वालरा, विकास खंड धनीपुर, जिला अलीगढ़ के कृषकों के प्रार्थना–पत्र शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा अलीगढ़, जिला अलीगढ़ को सम्बोधित माह जनवरी, 1974 से मई, 1974 तक की अवधि में कब–कब प्राप्त हुये हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कृषकों के नाम फर्जी ऋण अंकित किया गया है उक्त मामलों की जांच किस अधिकारी ने की, जांच का परिणाम क्या रहा और सरकार ने इन मामलों की क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्राम ग्वालरा, विकास खंड धनीपुर जिला अलीगढ़ के किसी भी कृषक को कोई भी प्रार्थना शिकायती पत्र शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक शाखा–अलीगढ़ को प्रश्नगत अवधि में प्राप्त नहीं हुआ है ।

रामपुर की स्वार टाउन एरिया का नगरपालिका में वर्गोत्थान

*36—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर के अन्तर्गत स्वार टाउन एरिया व उसकी कमेटी को जनवरी, 1974 में भंग करके स्वार को नगरपालिका घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो 6 मास पश्चात् नवीन चुनावों से पूर्व स्वार टाउन एरिया की भंग कमेटी को स्वार नगरपालिका के बोर्ड के रूप में पुनर्जीवित करने के क्या विशेष कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

टाउन एरिया कमेटी स्वार भंग नहीं की गयी है वरन् उसे 1 जनवरी, 1974 से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका में वर्गोत्थान किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उक्त टाउन एरिया कमेटी अपने गठन की तिथि से नगरपालिका बोर्ड के रूप में पांच वर्ष तक कार्य करेगी ।

इलाहाबाद जिले के हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर में मकानों का निर्माण

*37—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के दिनांक 16–7–74 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नगरपालिका (विकास विभाग), इलाहाबाद ने दिनांक 12–7–74 को हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर में मकानों के निर्माण के लिये अल्पकालीन निविदा (टेंडर) अनुमानित लागत 4,23,300 रुपया की 27–7–74 तक मांगी है ? यदि हां, तो उक्त नगर आवास योजना को अन्तिम रूप से दिये जाने के पूर्व निविदा मांगने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री आदेश पारित करेंगे कि जब तक आवास योजना को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन अन्तिम रूप से स्वीकार न कर लें तब तक निविदा के सम्बन्ध में इलाहाबाद नगरमहापालिका तत्काल अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां । विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद ने सूचित किया है कि निविदा प्राप्त करने के बावजूद मकानों का निर्माण तब तक शुरू नहीं किया जायेगा जब तक कि उस क्षेत्र का भू-प्रयोग, जो मास्टर प्लान में सार्वजनिक कार्यालयों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के अन्तर्गत आता है, को शासन द्वारा आवासीय में नहीं बदल दिया जाता इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद का मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

लखनऊ स्थित विवेकानन्द पालीक्लीनिक की जांच

श्री बाबू लाल वर्मा

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित विवेकानन्द पालीक्लीनिक में व्याप्त अनियमितताओं की जांच अगस्त, 74 अथवा उसके बाद करायी गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी ? क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां । जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा उपचार) डा० ए० यू० खान द्वारा की गई थी।

जांच में कोई ऐसे अनियमितता विषयक तथ्य नहीं मिले जिस पर कोई कार्यवाही की जाती।

कथित रेलवे पोर्टर्स साधन सहकारी समिति लिमिटेड, चारबाग, लखनऊ का आडिट

*39--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे पोर्टर्स साधन सहकारी समिति लि०, चारबाग, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्र जून, 1974 को प्राप्त हुआ है और क्या यह भी सही है कि उक्त समिति का चयन तथा आडिट सन 1961 से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

रेलवे पोर्टर्स साधन सहकारी समिति लिमिटेड, चारबाग, लखनऊ के विरुद्ध जून 1974 का एक शिकायती पत्र उप निबन्धक के कार्यालय में 21-6-74 को प्राप्त हुआ था किन्तु उक्त नाम की कोई समिति लखनऊ जनपद में निबंधित नहीं थी वरन रेलवे कुली व मजदूर सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड के नाम से एक समिति निबंधित है। इसका चुनाव दिनांक 21-2-63 एवं 15-4-73 को हुआ था। उक्त समिति का अडिट वर्ष 1958-59 के बाद से नहीं हुआ। है आडिट कराने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिख दिया गया है ।

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्मों के डेरी अनुभागों में प्रोफार्मा एकाउन्ट बनाना तथा घाटे पर तथा कथित दुग्धशालायें चलाना

*40--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

विधान सभा 1974 के दूसरे सत्र के पाचवें मगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सख्या 57 के उत्तर के प्रसंग में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय

पशुधन व कृषि फार्मों के पशु अनुभाग (डेरी अनुभाग) के लेखे प्रोफार्मा एकाउन्ट वर्ष 1972–73 तक बनाये गये ? यदि हां, तो उपरोक्त फार्मों तथा गंजरिया फार्म क इस अनुभाग में वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुयी ? यदि हानि हर वर्ष हो रही है तो सरकार इस तरह से हो रही हानि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्मों के पशु अनुभाग (डेरी) के प्रोफार्मा एकाउन्ट बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह अनुभाग अवाणिज्यिक है।

हानि लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

विधान सभा के 1974 के दूसरे सत्र के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक, पशुपालन (फार्मस्) के अधीनस्थ राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों के लाभ हानि खाते क्या वर्ष 1972–73 तक तैयार किये जा चुके हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों तथा गंजरिया फार्म पर इस अनुभाग में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई है तथा हानि के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों के पशु अनुभाग का लाभ हानि खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अनुभाग अवाणिज्यिक है।

लाभ या हानि का प्रश्न नहीं उठता।

*42—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त फार्मों पर इतनी बड़ी-बड़ी दुग्धशालायें सरकार द्वारा घाटे पर चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रक्षेत्रों पर दुग्धशालायें नहीं चलाई जा रही हैं वरन् पशुधन के विकास के लिये गायें तथा भैंसे पाली जाती हैं जिससे अभिजात सांड़ उत्पन्न किये जा सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है।

जिला गोन्डा के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बभनजोत में मुर्रा सांड

*43—श्री दशरथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि विकास क्षेत्र बभनजोत, जिला गोंडा के पशु अस्पताल में दो वर्ष से मुर्रा सांड नहीं है तथा हरियाना सांड भी अनुपयुक्त है जिसके सम्बन्ध सें डी0 एल0 ओ0 ने अपने निरीक्षण में भी लिखा है, उक्त कारणों से ए0 आई0 सेंटर बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बभनजोत में मुर्रा सांड, जिसका नीलाम दिनांक 3-9-72 को कर दिया गया था, न होने के कारण इस केन्द्र के लिये मुर्रा सांड के वीर्य की पूर्ति निकटतम कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, मनकापुर से बराबर की जाती रही है और दिनांक 14-9-74 से यहां पर स्थाई रूप से एक मुर्रा सांड की व्यवस्था कर दी गयी है।

हरियाना सांड, जिसके सम्बन्ध में जिला पशुधन अधिकारी, गोंडा ने अपने हाल के निरीक्षण में लिखा था, अनुपयुक्त नहीं है किन्तु यह मार्च, 1973 में अस्वस्थ हो गया था और उचित देखभाल एवं आवश्यक उपचार से स्वस्थ्य हो गया है। सांड केन्द्र के लिये बराबर वीर्य देता रहा है इसलिये प्रजनन कार्य में कोई बाधा नहीं हुयी।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में पी० एम० एच० एस० में डा० आर० पी० अग्रवाल की नियुक्ति

*44--श्री नजीर अहमद (जिला मेरठ), श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ सें इस वर्ष पी0 एम0 एस0 के रेगुलर केडर में किसी एम0 एस0 आथोमोलोजी (डा0 आर0 पी0 अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष) की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किस तिथि को और किन विशेष परिस्थितियों में जब कि कम उम्र के और अधिक योग्य डाक्टर्स उपलब्ध हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। डा0 अग्रवाल को दिनांक 17-6-74 से एक वर्ष के लिये अथवा उस समय तक के लिये जब तक शासन को उनकी सेवायों की आवश्यकता हो जो भी इनमें से पहले हो तदर्थ रूप से पी0 एम0 एच0 एस0 में नियुक्त किया गया था क्योंकि पी0 एम0 एच0 एस0 में रेडियोलाजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी थी।

लखनऊ जिले के फेमिली प्लानिंग विभाग के हेल्थ विजिटर्स का ट्रान्सफर

*45---श्री नजीर अहमद तथा श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फेमिली प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत लखनऊ जिले में कहां-कहां हेल्थ विजिटर्स तैनात हैं और प्रत्येक कब-कब से उस स्थान पर हैं ? उन्हें ट्रान्सफर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

वांछित सूचना संलग्न है। उन्हें ट्रान्सफर न किये जाने का यह कारण है कि उन्हें अपने तैनाती के स्थान पर तैनात हुए अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 658 पर)

बस्ती जिले की बर्डपुर बाजार की आमदनी

*46---श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में विकास क्षेत्र बर्डपुर में ग्राम सभा बर्डपुर में कोई बाजार लगती थी जिसकी आमदनी लगभग 1,400 रुपये थी ? यदि हां, तो क्या अब भी लगती है ? यदि नहीं, तो न लगने के कारण क्या हैं ? सरकार बाजार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बस्ती जिले के विकास खंड बर्डपुर के अन्तर्गत गांव सभा बर्डपुर नं० 9 में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् से गांव सभा द्वारा बाजार लगाया जा रहा है। गांव सभा को भिन्न-भिन्न वर्षों में विभिन्न प्रकार की आय हुई है। यह बाजार अब भी लग रही है।

बाजार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

गोंडा जिले में हेल्थ इन्सपेक्टर तथा स्माल पाक्स सुपरवाइजर के पदों पर अनुसूचित जाति की नियुक्ति

*47—श्री दशरथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतालायेंगे कि दिसम्बर, 1973 में गोंडा जिले में हेल्थ इन्स्पेक्टर तथा स्माल पाक्स सुपरवाइजर की कुछ नयी नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्रमशः कितनी है ? क्या उन नियुक्तियों के लिये एम्पलायमेन्ट आफिस से नाम मांगा गया था और सब नियुक्तियां एम्पलायमेन्ट आफिस द्वारा भेजे गये नामों में से की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों उसमें हरिजन अनुसूचित जाति के कितने नाम हैं ? तथा उनमें से कितनों की नियुक्ति हुयी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

दिसम्बर, 1973 में विभागीय चयन समिति द्वारा किये गये चयन के आधार पर जनवरी, 1974 में गोंडा जिले में 7 हेल्थ इन्सपेक्टरों तथा 7 स्माल पाक्स सुपरवाइजरों की नई नियुक्तियां की गईं। प्रश्नगत नियुक्तियों के लिये एम्प्लायमेन्ट आफिस से नाम मांगे गये थे। 26 व्यक्तियों के नाम प्राप्त हुए थे उनमें से 21 अभ्यर्थी नियुक्त किये गये तथा शेष तीन नियुक्त अभ्यर्थी विभागीय थे।

उक्त 26 नामों में से तीन व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे जिनमें से एक की नियुक्ति की गई।

पंचायती राज विभाग के अभिलेखागार लिपिकों का वेतन-मान

*48—श्री कमला प्रसाद वर्मा, श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत अभिलेखागार सहायक और नियोजन तथा माल विभाग में कार्यरत अभिलेखागार सहायकों के वेतनमान में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या कार्य को देखते हुए अभिलेखागार सहायक का वेतनमान नियोजन एवं माल विभाग के अभिलेखागार सहायक के वेतनमान के समान देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पंचायती राज विभाग के अभिलेखागार लिपिकों का वेतनमान वही है जो माल विभाग के अन्तर्गत मण्डलायुक्त कार्यालयों के अभिलेखागार लिपिकों का है। इनमें समानता लाने का प्रश्न नहीं उठता।

माल विभाग के अन्तर्गत जिला कार्यालयों में अभिलेखागार लिपिकों के दो वेतनमान हैं जो पंचायत राज विभाग के अभिलेखागार लिपिकों के वेतनमान से उच्चतर हैं। इन्हीं में से एक वेतनमान नियोजन विभाग के अभिलेखागार लिपिकों को भी लागू है। वेतन आयोग

ने पंचायत राज विभाग के अभिलेखागार लिपिकों के वेतनमान तथा उपरोक्त उच्चतर वेतनमानों को जो 1-8-72 से पूर्व भी असमान थे, समान नहीं किया है। शासन के समक्ष उपरोक्त असमानता को दूर करनेका कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

जालौन जिले में हरिजनों के गृह निर्माण हेतु धन का अन्य जनपदों को हस्तामान्तरण

49—डाक्टर मलखान सिंह तथा श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में हरिजन बस्तियों के लिये सरकार ने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से वर्ष 1973-74 के लिये जो धन स्वीकार किया था उसको पूर्ण उपयोग न करके अन्य जनपद के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया? यदि हां, तो इस राशि का उपयोग जनपद जालौन में न हो पाने का कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि वर्ष 1973-74 में जनपद जालौन में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से हरिजनों के गृहों के निर्माण हेतु धन का वहीं पूर्ण उपयोग समय के अन्दर न हो पाने की सम्भावना के कारण अन्य जनपदों को हस्तान्तरित किया गया।

जिला इटावा की सहकारी समिति, खेरा धौलपुर के सुपरवाइजर के विरुद्ध गबन की शिकायत

*50—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, खेरा धौलपुर, ब्लाक जसवन्त नगर,जिला इटावा के एक सुपरवाइजर के विरुद्ध लाखों रुपये का गबन, समिति के धन के दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1974 मास का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी? और जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 659 पर।)

*51—श्री मुलायम सिंह यादव—

[3रे सोमवार में प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिल परिवार नियोजन अधिकारी, बदायूं के विरुद्ध महिला कर्मचारियों का कथित शिकायती-पत्र

*52—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार बतायेगी कि नियोजन विभाग से स0 विकास अधिकारी (महिला) का पद समाप्त होने के पश्चात् परिवार नियोजन विभाग, बदायूं जिले में फेमिली वेल्फेयर वर्कर के रूप मे एब्जार्व की गयी कितनी महिला कर्मचारियों के उनका रुग्णावकाश ड्यू होते हुये भी तथा रोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् भी 1967 के उत्तरार्ध के सेवाकाल में वेतन रहित अवकाश जिला परिवार नियोजन अधिकारी, बदायूं द्वारा स्वीकार किये जाने के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र परिवार नियोजन विभाग के बदायूं जिले के व उच्च विभागीय अधिकारियों को 1968 सेअब तक प्राप्त हुये और उन पर कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के बकरी प्रजनन केन्द्र पर व्यय की गयी धनराशि

*53—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में कोई बकरी प्रजनन केन्द्र प्रक्षेत्र खुला हुआ है? यदि हां, तो उसके अन्दर कितनी भूमि है और आज तक इस पर कुल कितना खर्च हो चुका है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। इस प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 37.12 एकड़ भूमि है और दिनांक 31-10-1974 तक इस पर कुल रुपया 1,44,760.60 व्यय हुआ है।

रिवर बैंक कालोनी लखनऊ के रिक्त भवन

*54—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका लखनऊ की रिबर बैंक कालोनी में कितने मकान खाली हैं और अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के बावजूद अभी तक किन-किन अधिकारियों ने मकान खाली नहीं किये? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ मकान खाली कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

रिवर बैंक कालोनी में कोई भवन रिक्त नहीं है। जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के बावजूद भी भवन उनके द्वारा रिक्त नहीं किये गये उनकी सूची संलग्न है। महापालिका द्वारा अधिनियम की धारा 129-ए के अन्तर्गत भवन रिक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 660 पर।)

उर्सला हार्समैन अस्पताल, कानपुर के कर्मचारियों एवं डाक्टरों का कार्य-काल

*55—श्री मधुकर दिघे—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के तारतम्य में क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उर्सला हार्समैन अस्पताल, कानपुर के 7 डाक्टरों में से 6 ऐसे हैं जिनकी इसी अस्पताल में सेवा की अवधि 6 वर्ष से 10 वर्ष तक तथा क्लार्क व स्टोर कीपर आदि 6 कर्मचारियों की 9 वर्ष से 22 वर्ष तक है? यदि हां, तो इनको स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस समय यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर में कोई भी ऐसा डाक्टर नहीं है जो वहां 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो। केवल एक स्टूवर्ड लिपिक को छोड़ कर, जिसका अपना विशेष प्रकार का कार्य होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया जाता, शेष कोई अन्य स्टोर कीपर अथवा लिपिक ऐसा नहीं है जो उक्त चिकित्सालय में 9 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो।

विकास खंड अधिकारी, कासगंज द्वारा एटा नगर में डाक्टरी की प्रैक्टिस

*56—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत कितने खंड विकास अधिकारी ऐसे हैं जो अपने नियुक्त ब्लाक मुख्यालय पर न रह कर एटा शहर में डाक्टरी की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ? यदि हां, तो क्या उनको शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला एटा के अन्तर्गत कोई खंड विकास अधिकारी ऐसा नहीं है जो अपने नियुक्त ब्लाक मुख्यालय पर न रह कर एटा शहर में डाक्टरी की प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो। सिर्फ खंड विकास अधिकारी, कासगंज गत तीन मास से जिलाधिकारी की स्वीकृति से अपनी चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श लेने हेतु एटा शहर में अस्थाई रूप से अपना मुख्यावास बनाये हुये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि वे निःशुल्क होम्योपैथिक दवाएं भी कुछ व्यक्तियों को दे देते हैं।

क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी, इलाहाबाद का कथित इक्सटेंशन एवं उनके विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप

*57—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी, इलाहाबाद को 3 वर्ष का इक्सटेंशन दिया गया है और क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध अनेक भ्रष्टाचार के आरोप इस समय विचाराधीन थे और वह 17 वर्ष तक उसी पद पर अपने निवास-स्थान के जिले में ही थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

कुल सेवा काल की 26-27 वर्ष की अवधि में श्री नानक राम, विभिन्न अवधियों में कुल मिला कर 15 वर्ष 11 मास मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर वाराणसी में रहे जो उनके निवास-स्थान का जिला है।

(ग) मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान संगठन का कार्य विशेषतौर पर प्रचार का कार्य होता है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनका वाराणसी में अधिक काल तक बने रहना आपत्तिजनक नहीं समझा गया।

गोरखपुर जिले के भूमि संरक्षण निरीक्षिकों का वेतन

*58—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में नियुक्त भूमि संरक्षण निरीक्षकों को उनके पद के लिये निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*59—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[5 वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखीमपुर जिले के श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम सेवक के भविष्य निधि के धन का भुगतान

*60—श्री दधीचि सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले में जून, 1969 में अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे ग्राम सेवक कौन-कौन हैं जिन्हें भविष्य निधि का धन अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है ? भुगतान न होने का कारण क्या है तथा कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

केवल श्री महेन्द्र सिंह ही ऐसे एक व्यक्ति हैं। इन्हें भविष्य निधि का धन अभी तक प्राप्त न होने का कारण यह है कि इन्होंने अपना प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर विलम्ब से प्रस्तुत किया। भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला अस्पताल, गोरखपुर के डिप्टी चीफ मेडिकल आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*61—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि उनको माह अगस्त, 1974 में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र गोरखपुर जिला अस्पताल में डायट व कन्टिजेन्सी के टेंडरों की स्वीकृति में डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था तथा कथित अनियमितताओं की जांच की गई और वे निराधार पाये गये।

बाराबंकी जिले की रुदौली टाउन एरिया समिति का अनुदान

*62—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली, जिला बाराबंकी टाउन एरिया को वित्तीय वर्ष 1971-72, 1972-73 व 1973-74 में सड़कों के निर्माण हेतु कितना अनुदान दिया गया और क्या यह अनुदान अपने निर्धारित कार्य में उपयोग में लाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अधिसूचित क्षेत्र समिति, रुदौली को वर्ष 1971-72 में रु0 11 हजार का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था वित्तीय स्थिति संतोषप्रद न होने के कारण उक्त धनराशि समिति अपने अंशदान को मिलाकर अभी तक उपयोग नहीं कर सकी है। वर्ष 1974-75 में इस समिति द्वारा उक्त स्वीकृत अनुदान को अंशदान सहित उपयोग करने का आश्वासन दिया गया है।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में इस समिति को कोई भी धनराशि सड़क अनुदान हेतु स्वीकृत नहीं की गई है।

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा नगर के नजूल के कार्य का सम्पादन

*63—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में नजूल विभाग अलग से कार्य कर रहा है ? क्या फैजाबाद में नजूल विभाग तोड़ कर नगरपालिका में मिलाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रदेश के समस्त जिलों में नजूल का कार्य जिलाधिकारी कार्यालय या स्थानीय निकाय के अन्तर्गत किया जाता है, कोई पृथक नजूल विभाग कार्य नहीं करता। इस समय फैजाबाद नगर का नजूल कार्य जिलाधिकारी द्वारा सीधे देखा जाता है। नगरपालिका फैजाबाद ने सुझाव भेजा था कि नजूल भूमि का प्रबन्ध उसको दे दिया जाय। उस पर जिलाधिकारी की आख्या मांगी गयी है ?

नगर अभियन्ता (भवन), नगर महापालिका लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*64—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला लखीमपुर-खीरी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को भूतपूर्व कृषि एवं सामुदायिक विकास मन्त्री श्री शिवराज सिंह के पत्र संख्या 657/72, दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 तथा पत्र संख्या 254/73, दिनांक 10 जुलाई, 1973 प्राप्त हुये थे, जिनमें लेखात्मक प्रमाणों के आधार पर लखनऊ नगरमहापालिका के भूतपूर्व नगर अभियन्ता (भवन) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी और विधि विभाग के किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

श्री शिवराज सिंह के प्रश्नगत पत्र संख्या 657/72, दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 तथा 254/73, दिनांक 10 जुलाई, 1973 शासन को प्राप्त हुये नहीं प्रतीत होते। भूतपूर्व नगर अभियन्ता (भवन), नगर महापालिका, लखनऊ के सम्बन्ध में श्री सिंह का एक पत्र संख्या 253/73, दिनांक 9 जुलाई, 1973 शासन को अवश्य प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें निलम्बित भी किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ सतर्कता विभाग द्वारा भी उनके विरुद्ध जांच की जा रही है।

लखनऊ नगर महापालिका के उप नगर अधिकारियों एवं उप प्रशासक के विरुद्ध शिकायत

*65—मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरपालिका के उप नगर अधिकारी एवं उप प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और उनके पद के लखनऊ नगर महापालिका में अनियमित रूप से सृजित किये जाने के सम्बन्ध में इस वर्ष कुल कितनी शिकायतें शासन व प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस वर्ष लखनऊ नगर महपालिका के दो में से किसी उपनगर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार और उनका पद लखनऊ महापालिका में अनियमित रूप से सृजित किये जाने के

सम्बन्ध में, प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका को कोई शिकायत सीधे प्राप्त नहीं हुई है। शासन को भी उप नगर अधिकारी के पद को लखनऊ नगर महापालिका में अनियमित रूप से सृजित किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। केवल उप नगर अधिकारी श्री जे0 सी0 सेठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 7 शिकायतें शासन को समय-समय पर प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कराई गयी। प्रशासक ने जांच के उपरान्त आरोपों को निराधार पाया, अत : कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक उक्त महापालिका के उप प्रशासक के विरुद्ध उपर्युक्त आशय की शिकायतों का सम्बन्ध है, इस वर्ष शासन अथवा प्रशासक को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी।

परतावल, गोरखपुर के बेसिक हेल्थ वर्कर का निलम्बन

*66—श्री राम रेखा यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, परतावल, गोरखपुर में 1 जून, 1974 को कितने बेसिक हेल्थ वर्कर कार्यरत थे तथा उनमें कितनों को 12 जून, 1974 को सस्पेन्ड किया गया ? उनके निलम्बन का कारण क्या था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

1 जून, 1974 को परतावल, गोरखपुर में आठ बेसिक हेल्थ वर्कर कार्यरत थे, उनमें एक को 12 जून, 1974 को ग्रल्त नसबन्दी प्रोत्साहन केस के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया।

स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा पूर्वी जर्मनी से खराब ट्रैक्टरों की खरीद

*67—श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा पूर्वी जर्मनी से कुछ समय पूर्व ट्रैक्टर खरीदे गये थे ? यदि हां, तो कितने और यह किसानों को कितने मूल्य पर दिये गये ? यह भी सत्य है कि वह ट्रैक्टर खराब निकले और काश्तकारों से जो कीमत पेशगी जमा कराई गई थी ट्रैक्टर वापस होने के बाद भी नहीं मिली है ? प्रदेश के किसानों को जिनको ऐसे ट्रैक्टर दिये गये है कब तक रुपया वापिस कर देगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। 27 ट्रैक्टर खरीदे गये थे। 14 कृषकों को 14,735 रु0 18 पै0 प्रति ट्रैक्टर के मूल्य पर दिये गये थे। इनमें से 11 ट्रैक्टर खराब होने के कारण वापिस किये गये। सम्बन्धित 8 काश्तकारों का धन वापस किया जा चुका है। केवल तीन कृषक अपना धन अभी वापस नहीं ले गये हैं। उन्हें धन ले जाने के लिये लिखा जा चुका है।

*68—श्री झाम लाल अहेरवार—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*69—श्री राम रेखा यादव—

[4थे मंगलवार में प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत पुन : स्थानान्तरित।]

एग्रो, लखनऊ के बस्ती के लिये भेजा गया उर्वरक

*70—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सितम्बर, 1974 के पहले पखवारे में 12 हजार क्विन्टल उर्वरक एग्रो, लखनऊ से बस्ती जिले के लिये भेजा गया था और यह उर्वरक 15 सितम्बर, 1974 तक बस्ती में नही पहुंचा ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है और शासन ने इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग के विरुद्ध सतर्कता अधिकारी का कथित प्रतिवेदन

*71--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सतर्कता विभाग के अधिकारी (श्री कामेश्वर सिंह) ने माह सितम्बर, 1974 में शासन को एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें प्रदेश के सहकारिता विभाग में करीब 5 करोड़ रुपये के घपले की बात प्रकाश में आई है ? यदि हां, तो यह घपला किन-किन सहकारी संस्थाओं में है और उसके लिये उत्तरदायी कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माह सितम्बर, 1974 में कोई ऐसा प्रतिवेदन नहीं दिया गया है जिसमें सहकारिता विभाग में 5 करोड़ रुपये का घपला दिखाया गया हो। अत : संस्थाओं व उत्तर-दायी लोगों का विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

पी० सी० एफ० शाखा, जिला देवरिया में गबन

*72--श्री जमुना प्रसाद बोस तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला बांदा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० सी० एफ० शाखा, जिला देवरिया में रासायनिक खाद में वर्ष 1969-70 व 1970-71 और 1971-72 तथा 1972-73 में कितने रुपये की गड़बड़ी एवं कमियां स्टाक में हुईं एवं कितने रुपये की खाद तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, देवरिया, ने उक्त वर्ष में राइट आफ किया ? क्या यह सही है कि इसमें स्पेशल आडिट में गबन एवं अनियमितायें पाई गईं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आवश्यक विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 662 पर)

शाहजहांपुर जिले में अफीम व मदक के उपयोग में कथित वृद्धि

*73--श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के काट ददरोल निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके समीपवर्ती इलाकों एवं शाहजहांपुर नगर में पिछले दो वर्षों में अफीम और मदक का अधिकाधिक उपयोग होने लगा है जिससे उपयोगकर्ता कंकाल मात्र बन कर रह गये हैं ? यदि हां,तो सरकार उसकी रोक-थाम के सम्बन्ध में तुरन्त समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेवमती नन्दन बहुगुणा--

विगत दो वर्षों में उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। अफीम तथा मदक के सेवन करने से स्वास्थ्य और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सरकार इसकी रोक-थाम हेतु सजग है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के जिला परिषदीय अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

*74—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी की जनपद में कितने अस्पताल जिला परिषद् के अधीन हैं और क्या यह सही है कि अस्पतालों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों व चौकीदारों की तनख्वाहें कई महीनों से रुकी पड़ी हैं और इन अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिलती है ? यदि हां, तो इस कुप्रबन्ध का कारण क्या है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, बाराबंकी के अधीन तीन मानव-चिकित्सालय तथा तीन पशु-चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कार्यरत परिषदीय कर्मचारियों के नवम्बर, 1974 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

इन अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति परिषद् अपनी वित्तीय क्षमता तथा उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार प्रति वर्ष करती है। अत : उक्त मामलों में कुप्रबन्ध होने और उसके उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विभाग के फार्मों में घाटा

*75—श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन निदेशक के नियन्त्रण में सरकार द्वारा चलाये जा रहे बड़े-बड़े फार्मों पर घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो घाटे पर सरकार द्वारा बड़े-बड़े फार्म चलाने का क्या उद्देश्य है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पशु पालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे फार्मों पर कृषि का कार्य भी होता है और पशु और कुक्कुट विकास का भी। कृषि से लाभ है और पशु तथा कुक्कुट कार्य से हानि।

उक्त फार्मों को हानि होते हुए भी चलाने का उद्देश्य विकास कार्य के लिये अनाज एवं चारे के बीज, पशुओं के लिये चारा, अच्छे नस्ल के सांड़ एवं भेड़े, बकरे तथा कुक्कुट पक्षी उपलब्ध कराना है।

रासायनिक खादों के विक्रेताओं द्वारा पुराने मूल्य पर बेचने के विरुद्ध रिट

*76—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री मो0 मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन लोगों के पास यूरिया आदि केमिकल खाद, जून, 1974 में कितनी-कितनी थी और जिन्हें पुराने रेट पर बेचने का आदेश हुआ तो उन लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दिया ? अब उन रासायनिक खादों का क्या हुआ ? दुकानदारों ने पुराने रेट पर बेचा कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही हैं ?

सहकारी क्रय-विक्रय-समिति, कोंच, जिला जालौन का आढ़तियों पर बकाया

*77--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या यह सही है कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति, कोंच (जालौन) का, श्री गणेश प्रसाद निरन्जन, संचालक जे0 डी0 सी0 बैंक, जालौन तथा कोंच निवासी फर्म रामदास सन्तोष कुमार आढ़ती, कोंच पर कुल मिलाकर 15,997.50 रु0 व 15,000 रुपया बकाया है जिनके विरुद्ध आर्बीट्रेशन समिति ने दिनांक 10 मार्च, 1972 व 7 अक्तूबर, 1973 को डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारिता, झांसी, को प्रेषित किया है फिर भी अदायगी नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रश्नगत बकायों की धनराशियां क्रमश: 15,979.50 रु0 तथा 16,395.14 रु0 हैं ।

श्री निरंजन के मामले में अभी मध्यस्थ निर्णय नहीं हुआ है ।

फर्म रामदास संतोष कुमार के मामले में मध्यस्थ निर्णय भुगतान के पक्ष में हुआ था किन्तु समिति ने अपील कर दी है जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

बलिया जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पनदह के मेडिकल आफिसर के विरुद्ध शिकायत

*78--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पनदह, जिला बलिया के मेडिकल अफसर ने दिनांक 18 जून, 1973 को नसबन्दी के मद से 3,000 रु0 एडवान्स निकाल लिया जिसकी शिकायत जिलाधीश, बलिया को की गई थी तथा उसकी जांच परगना अधिकारी, बांसडीह से कराई गई थी ? पैसा गायब मिला और इसकी रिपोर्ट थाना सिकन्दरपुर में की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जी हां। परन्तु अग्रिम 18 जून, 1973 को नहीं वरन् दिनांक 24 मई, 1973 को निकाला गया था। सम्बन्धित मेडिकल अफसर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सहकारिता विभाग, इलाहाबाद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*79--श्री तीरथ राम कोहली--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, दाराशाह, अजमल कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी, लि0, 202 दाराशाह अजमल, इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिनांक 15 जून, 1974 को मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था उनके जन सम्पर्क अधिकारी के पत्र संख्या एच-1909, दिनांक 22 जुलाई, 1974 के अनुसार उचित कार्यवाही करने हेतु सहकारिता सचिव को भेजा जा रहा है, मैं उल्लिखित आरोप क्या हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? तथा तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां शिकायतें अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की हैं। जांच कराई जा रही है ?

चिकित्सा अधिकारी, कुष्ट नियन्त्र केन्द्र, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*89--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या शासन को पता है कुष्ट निवारण केन्द्र, बाराबंकी के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध जीप का पेट्रोल बेचने व अन्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक 10 सितम्बर, 1974 को एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री, डाइरेक्टर, चिकित्सा विभाग व सी0एम0ओ0, बाराबंकी को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

चिकित्सा अधिकारी कुष्ट नियन्त्रण केन्द्र, बाराबंकी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र केवल मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी को ही प्राप्त हुआ था। मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी ने उस पर जांच की। जांच के फलस्वरूप आरोप निराधार तथा गलत पाये गये।

अतारांकित प्रश्न

सिविल अस्पताल, लखनऊ के कर्मचारियों को नकदीकरण अवकाश की स्वीकृति

1--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि सिविल अस्पताल, लखनऊ के किस-किस कर्मचारी ने नकदीकरण अवकाश हेतु 1 अगस्त, 1973 से 31 मार्च, 1974 के बीच प्रार्थना-पत्र दिये ? उनके प्रार्थना-पत्र किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये ? तथा किन-किन तारीखों में कर्मचारियों को नकदीकरण का धन दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 663 पर)

2--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

(9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कानपुर मेडिकल कालेज एवं सम्बन्धित चिकित्सालयों के कर्मचारियों की मांगें

3--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 7वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लेबोरेटरी टेक्नीशियनों तथा सहायकों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन की मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

लेबोरेटरी टेक्नीशियनों तथा सहायकों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन की मुख्य मांगों की सूची संलग्न है। इन मांगों के सम्बन्ध में वेतन असंगति निवारण समिति की

रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा। जहां तक उन्हें स्थायी किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 665 पर)।

प्रदेश के अपंजीकृत वैद्य तथा हकीम

4—श्री अनवार जमील—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राय: बहुतायत से वैद्य, हकीम तथा चिकित्सा कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं और जिनका किसी भी चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अनधिकृत रूप से चिकित्सा कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, यदाकदा ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध यू0पी0 इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 की धारा 51 तथा 52, यू0 पी0 होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट, 1951 की धारा 61 तथा 62 और इन्डियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट, 1956 की धारा 15(2) और 15(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में मलेरिया एपीडेमिक्स

5—श्री अनवार जमील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मलेरिया अनुरक्षण क्षेत्र में 1970 से जून, 1974 तक कितने एपीडेमिक्स प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी वृत्त में हुये हैं? इनके कारण क्या थे और क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 666 पर)

फर्रुखाबाद में महिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की मांग

6—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार जनपद फर्रुखाबाद में इस जनपद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये एक 25 शैयाओं वाला महिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार कर सकेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पच्चीस शैयाओं वाले केवल महिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्डक क्षेत्रीय विकास योजना की रूप रेखा

7—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974-75 के आय-व्ययक में उल्लिखित गन्डक क्षेत्रीय विकास योजना की रूप रेखा क्या है? योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कब की गई? योजना के अधीन 31 अगस्त, 1974 तक क्या कार्य किये जा चुके हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गन्डक नहर के कमाण्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास के कार्य-क्रम का मुख्य उद्देश्य गन्डक सिंचाई परियोजना से उपलब्ध सिंचन क्षमता का समुचित उपयोग करके समन्वित रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण, पशुपालन, मत्स्य, डेरी, लघु उद्योग आदि के विकास पर भी विशेष बल दिया जाना प्रस्तावित है, ताकि क्षेत्र के कृषकों, विशेषकर लघु कृषकों, कृषक मजदूरों की आर्थिक स्थिति में समुचित सुधार हो।

यह कार्य-क्रम गोरखपुर व देवरिया जनपदों के 33 ब्लाकों में, जो गन्डक नहर के कमान्ड क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ते हैं, अन्तत : कार्यान्वित किया जायगा।

परियोजना की स्वीकृति 1972-73 में दी गई थी।

दिनांक 31 अगस्त, 1974 तक गन्डक परियोजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य सम्पादित किये गये हैं :—

(1) 50 लाख रु0 की लागत से परियोजना क्षेत्र में 78 कि0 मी0 पक्की सड़क के निर्माण करने का कार्य-क्रम ;
(2) परियोजना क्षेत्र में 3,945 कि0 मी0 लम्बी कच्ची गूलों का निर्माण;
(3) 40,830 हेक्टेयर में मृदा सर्वेक्षण का कार्य-क्रम ;
(4) 8 कुलावों के समादेश क्षेत्र में भूमि एवं जल प्रबन्ध की अग्रगामी योजना का कार्य-क्रम।

बरेली में मडिकल कालेज बनाने हेतु कथित भूमि का अधिग्रहण

8—श्री सत्य प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में मेडिकल कालेज बनाने हेतु जमीन अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा कब तक अधिग्रहण पूरा हो जावेगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

कारागार विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

9—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को कारागार विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जोकि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई

रूप में अथवा लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थाई न करने का क्या कारण है ? तथा कब तक स्थाई घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ञ" पृष्ठ 667 पर)

10—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त)

परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

11—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को परिवार नियोजन विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई रूप से अथवा लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थाई न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थाई घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्य-क्रम के अन्तर्गत तीन वर्ष से अधिक अवधि के अस्थाई प्रमुख पदों में से 25 प्रतिशत पद स्थाई किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। सम्बन्धित पदों के धारकों को नियमानुसार शीघ्र स्थाथी किया जावेगा।

12—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कानपुर जिले की गांव पंचायत रेउना की आडिट रिपोर्ट

13—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत रेउना, ब्लाक घाटमपुर, जनपद कानपुर का आडिट वर्ष 1967-68 में हुआ था और आडिट रिपोर्ट में साफ यह लिखा गया कि 40 हजार रुपये का घपला है ? यदि हां, तो उस आडिट रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, आडिट हुआ था। आडिट रिपोर्ट में ग्राम प्रधान द्वारा कुछ वित्तीय नियमों का पालन न करने एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखों एवं अभिलेखों को न रखने पर आपत्ति की गई थी व इस कारण धन के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की गई थी। शासन को सूचना मिली है कि इस रिपोर्ट का अनुपालन पंचायत की बैठक दिनांक 13 मार्च, 1970 में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जा चुका है।

सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकर

14--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को सहकारिता विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई रूप से अथवा लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थाई न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थाई घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना सलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 673 पर)

भूमि संरक्षण अनुभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

15--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को भूमि तथा जल संरक्षण विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई रूप से अथवा लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थाई न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थाई घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

भूमि संरक्षण अनुभाग में दिनांक 31 अगस्त, 1974 को 3 वर्ष से अधिक अवधि के 6,504 विभिन्न श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी थे। इनमें से 5,838 पद वर्ष 1973-74 के अन्तिम त्रैमास में स्थायी किये गये है। अभी तक 1,323 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चका है। इनका श्रेणीवार विवरण संलग्न हैं। शेष पदों पर कर्मचारियों के स्थाईकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इतनी लम्बी अवधि तक लीव वैकेन्सी में कर्मचारियों के सेवारत रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे प्रष्ठ 674 पर)

उपनिदेशक पशुपालन के अधीनस्थ ट्रैक्टर वर्कशाप में किया गया कार्य एवं सहायक कृषि अभिन्ता का कार्य-काल

16--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय से सम्बद्ध ट्रैक्टर वर्कशाप में वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कुल कितने मूल्य का कार्य किया गया तथा इसमें सम्मिलित कौन-कौन से स्थाई जाब हैं तथा उनका अलग-अलग मूल्य क्या हैं ? इन्ही वर्ष में सरकार ने वर्कशाप पर अलग-अलग वर्ष में कितना-कितना धन व्यय किया है ? यदि व्यय अधिक और किया गया कार्य कम रहा है तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उप निदेशक (फार्म्स) के अधीनस्थ ट्रैक्टर वर्कशाप में वर्ष 1972-73 में रु0 1,11,250 तथा वर्ष 1973-74 में रु0 1,14,060 का कार्य किया गया।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में स्थाई जाब का विवरण और उनका खर्च निम्नलिखित है—

स्थाई जाब का नाम	1972-73 मूल्य	1973-74 मूल्य
(1) वर्कशाप की मशीनों के रख-रखाव	5,752.94	9,474.53
(2) जीप के रख-रखाव	2,316.22	2,019.00
(3) डिस्पोजल की मशीनों के रख-रखाव	8,874.68	5,453.32
(4) स्टोर के रख-रखाव	3,987.05	4,298.43
(5) ट्रक के रख-रखाव	. .	835.44

वर्ष 1972-73 में वर्कशाप पर रु0 93,192.00 तथा वर्ष 1973-74 में रु0 97,196.00 व्यय किया तथा क्रमश: रु0 1,11,250 तथा रु0 1,14,060.00 का कार्य किया गया है। कार्य की धनराशि व्यय की गई धनराशि से अधिक है अत : किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उपरोक्त वर्कशाप के सहायक कृषि अभियन्ता कितने वर्ष से इस पद पर प्रतिनियुक्ति (आन डेपुटेशन) पर हैं ? उक्त निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) की वर्कशाप में व्यय अधिक और कार्य कम जैसी अदक्षता के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सहायक कृषि अभियन्ता इस पद पर ग्यारह वर्षों से प्रति नियुक्ति पर हैं तथा उनका कार्य ठीक रहा है। इसलिये कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

कृषि विभाग के कृषि गोदामों के कर्मचारी

18—श्री दशरथ सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1973 में पैकेज स्कीम के कितने कृषि गोदाम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में टूटे तथा उससे सम्बद्ध कितने सहायक कृषि निरीक्षक तथा कामदार खाली हुये ? आज तक सरकार इन खाली कर्मचारियों का क्या उपयोग कर रही है ?

श्री हेवमती नन्दन बहुगुणा—

कृषि विभाग में पैकेज स्कीम के अन्तर्गत नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में कुल 54 कृषि गोदाम अस्थायी रूप से बन्द रहे और उनसे सम्बन्धित 54 सहायक कृषि निरीक्षकों तथा 108 कामदारों को उक्त अवधि में विकास खंडों तथा केन्द्रीय बीज गोदामों से सम्बद्ध कर दिया गया था। इन गोदामों के पुन : चालू होने पर समस्त सम्बन्धित कर्मचारी गोदामों पर वापस आ गये।

फर्रुखाबाद जिले की ग्राम सभा, जसुआ मई के प्रधान के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

19--श्री झामलाल अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या पंचायतराज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1974 तक ग्राम सभा जसुआ मई, विकास खंड छिबरामऊ खंड, जिला फर्रुखाबाद के प्रधान के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र जिला अधिकारियों को प्राप्त हुये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस अविध में प्रधान के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के लिपिकों का स्थानान्तरण

20--श्री के0 एस0 मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के लगभग 110 लिपिकों का स्थानान्तरण जुलाई, 1974 में किया गया था और उनमें से बहुत से लिपिकों के स्थानान्तरण मामान्य नीति के विरुद्ध तीन माह की अवधि में ही तथा एक सेक्शन के कार्यकाल में ही हुये ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने को सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के 108 लिपिकों का स्थानान्तरण जुलाई, 1974 में निदेशालय के अन्तर्गत ही किया गया था। ये सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनहित में किये गये थे और शासन की सामान्य नीति के विरुद्ध नहीं थे। अत : इन मामलों पर पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मैं सदस्य, विधान सभा, लखनऊ-बहराइच मार्ग में घाघरा नदी पर पुल न बनने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री श्याम नारायण सिंह तथा श्री शान्ति प्रसाद सिंह द्वारा हस्ताक्षरित या विकास उपस्थित करता हूं।

ट्रान्सपोर्ट विभाग के एक अधिकारी द्वारा मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आक्षेपात्मक पर्चा बंटवाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

कुछ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं उनको मैंने अस्वीकार किया है। उनमें से एक श्री सत्य प्रकाश मालवीय का है जिसे मैंने निम्न कारण से अस्वीकार कर दिया है।

"माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने सूचना दी है कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आक्षेपात्मक पर्चा बटवा कर विशेषाधिकार की अवहेलना की है तथा सदन का अवमान किया है। सूचना में ट्रान्सपोर्ट विभाग से उस अधिकारी

[श्री अध्यक्ष]

का नाम नहीं दिया गया है जिसने नोटिस को वितरित कराया है। उसके सम्बन्ध में माननीय मालवीय ने केवल इतना कहा है कि उस व्यक्ति के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री ने कल 30 दिसम्बर, 1974 को सदन में यह कहा है कि यह नोटिस ट्रान्सपोर्ट विभाग के एक ऐसे अधिकारी द्वारा छपाया गया है और वितरित कराया गया है जो भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित है और जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

सूचना में उस व्यक्ति का नाम और पता अवश्य होना चाहिये जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न उठाया जाय। इसके अतिरिक्त जिस पर्चे के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी गयी है उसमें माननीय मुख्य मन्त्री के किसी ऐसे कार्य का उल्लेख नहीं है जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो। पर्चे में प्रेस और लेखक का नाम न देकर कानून की अवहेलना की बात हो सकती है। इसी प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध निराधार आक्षेपात्मक बातें कहने के कारण मान हानि की कार्यवाही भी चल सकती है किन्तु इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है अत : मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मेरा निवेदन यह है कि मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं बताया कि उस पर्चे मे प्रेस लाइन नहीं है, न व्यक्ति का नाम है वह ट्रान्सपोर्ट विभाग का अधिकारी है जो भ्रष्टाचार के कारण निलम्बित कर दिया गया है जिसके कारण उसने इसे बंटवाया है। उससे इस माननीय सदन के सदस्यों का अवमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

नाम न देने से कार्यवाही विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्तर्गत कैसे हो सकती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नाम तो मुख्य मन्त्री ही जानते होंगे। उस नाम को सदन में नहीं बतलाया गया। भ्रष्टाचारी अधिकारी ने जिसने ऐसा पर्चा बंटवाया सदन का अवमान किया है उसके विरुद्ध सदन की अवमानना के अन्तर्गत कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

उसे शासन देखेगा। अवमान इससे नहीं बनता है।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को क्यों अस्वीकार किया गया है ?

श्री अध्यक्ष --

बताता हूं। माननीय सदस्य सत्यपाल मलिक ने सूचना दी है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने "नव भारत सहकारी समिति" इलाहाबाद के मामले में बहस की मांग करने पर उसे

अस्वीकार करते हुए उन्हें चुनौती दी थीं। माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जो शब्द कहें थे वे ये हैं कि "जहां तक सहकारी समिति का मामला है, मैं उसे छिपाना नहीं चाहता वल्कि कह देना चाहता हूं ताकि सदन के सामने आ जाय।" माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में यह लिख कर भी दिया है कि उन्होंने इस सहकारी समिति के सम्बन्ध में कोई अन्तिम बात नहीं कही है। अतएव, इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं श्री सत्य पाल मलिक की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

कतिपय विषय

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यज्ञ महोदय, एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने दिया था....

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। हम उसे देखेंगे।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

कल मैंने एक सवाल उठाया था कि पूरे प्रदेश में और विशेष तौर से आजमगढ़ बलिया आदि जगहों पर रात में बिजली मिल रही है दिन में नहीं मिल रही है....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, आपने किस सम्बन्ध में कहा है.....

श्री राम अधार—

यह सरकार किसान विरोधी है। मैंने लिखकर भी दिया था। जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं सदन को नहीं चलने दूंगा। उन्होंने उसके सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया है.....

(लाउड स्पीकर का कनेक्शन हटा लिया गया जिससे सुनाई नहीं पड़ा)।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन वहुगुणा)—

इस बात की जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष —

मैंने माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दिया और उनके उत्तर में अगर आउट आफ टर्न मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम अधार—

मैं सदन नहीं चलने दूंगा। आज पूरे प्रदेश में बिजली नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी यहां पर आश्वासन दें। यह बड़ा गम्भीर सवाल है....

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

बिजली के मामले में आजमगढ़ की हालत बहुत खराब है। बिजली रात में मिलती है दिन में नहीं मिलती है। मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर सदन को आश्वासन दें।....

(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नियमानुसार नहीं चलेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं आपको टोकता हूं। मुख्य मन्त्री जी के दफ्तर में जाकर पूछ लीजियेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, अगर आपकी आज्ञा हो.....

श्री अध्यक्ष--

मेरी आज्ञा नहीं है।

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

मैंने कह दिया है कि जब यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं है तो मैं इसे नहीं उठाने दूंगा।

श्री राम अधार--

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर वक्तव्य दें। (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य बोलने लगे।)

सरकार द्वारा निश्चित की गई गन्ने की दर से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, चीनी मिलों के लिये न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। तद्नुसार वर्तमान सीजन 1974-75 के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ना मूल्य की न्यूनतम दर 8.50 रु0 निर्धारित की गई। यह दर 8.50 प्रतिशत चीनी के परते पर निर्धारित की गई और 0.1 प्रतिशत चीनी के परते की बढ़ोत्तरी पर 10 पैसा प्रति कुन्टल की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी का भी प्राविधान रखा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों की इस निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिलना सम्भव नहीं था और गन्ना किसानों की ओर से इस बात की मांग थी कि यदि उन्हें उचित गन्ना मूल्य की दर नहीं मिली तो वह गन्ना पूर्ति नहीं कर सकेंगे। शासन इस मांग के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही सतर्क एवं सजग रहा और इस बात के लिये पूर्ण प्रयास किया गया कि गन्ना किसानों को उचित गन्ना मूल्य प्राप्त हो और चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना पूर्ति हो सके ताकि वह अधिकतम चीनी उत्पादन की केन्द्रीय सरकार की नीति को पूर्ण रूप से सम्पन्न बना सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्रदेश की चीनी मिलों के पश्चिमी क्षेत्र में 13.25 रु0 प्रति कुन्टल की दर से तथा पूर्वी क्षेत्र में 12.25 रु0 प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य दिलाने के लिये तैयार किया। तदोपरान्त भी शासन गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी करने में प्रयत्नशील रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फलस्वरूप चीनी मिलों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 से उपर्युक्त गन्ना मूल्य की दर को 1.25 रु0 प्रति कुन्टल की दर से ब ा दिया जाय। इस प्रकार पश्चिमी प्रदेश की चीनी मिल रु0 14.50 तथा पूर्वी प्रदेश की चीनी मिलें रु0 13.50 देने पर सहमत हो गईं।

गन्ना किसानों की ओर शासन का हमेशा सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहा है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष गन्ने की कीमत ब ती रही और इस वर्ष अब तक जो है कीमत निर्धारित हुई है वह प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है और पिछले वर्ष भी औसत कीमत जो दी गयी वह भी अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास से सर्वाधिक थी। भारत सरकार ने अब तक लेवी चीनी का मूल्य नहीं ब ाया है। यदि मूल्य ब ाया गया और यदि अग्रिम महीनों में चीनी का निर्यात दूसरे देशों के लिये भारत सरकार द्वारा किया गया तो किसानों को देय गन्ने के मूल्य में उचित वृद्धि करने पर शासन द्वारा विचार किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है यह घोर निराशाजनक है। प्रदेश के किसानों के साथ यह विश्वासघात है। मान्यवर, पिछले साल की अपेक्षा इस साल गन्ने की काष्ट आफ प्रोडक्शन कहीं ज्यादा ब ढ़ गई है पिछले साल जो फर्टिलाइजर 52 रुपये में मिलता था वह इस साल 150 रुपये में मिल रहा है इसी तरह से बिजली के दाम हैं और दूसरी चीजों के दाम है वह बहुत ब ढ़ गये है। बाजार में जितनी भी चीजें हैं वह ढाई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रही है इसी तरह से चीनी के दाम भी दुगने से ज्यादा हो गये हैं जिस चीनी से फारन एक्सचेंज के रूप में हम सोना कमा रहें हैं लेकिन गन्ने के दामों में ब ोत्री न होने से किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

यह तो केवल वक्तव्य के लिये था, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष —

बात यह है कि अगर गन्ने का सवाल होता है और उस पर वक्तव्य हो तो चीनी पर बोलने लगेंगे और चीनी का स्वीकार करें तो गन्ने के सवाल पर बोलने लगेंगे। सवाल यह है कि जो प्रश्न हैं उसी पर (व्यवधान) यह इस वक्त नहीं होगा मैं निवेदन करूंगा आपसे (श्री ओझा से) कि जिसके बारे में स्वीकार किया है उसमें आप उठाइये (व्यवधान) श्री ओझा जो बोल रहे है वह कुछ नही लिखा जावेगा। मै आपको इजाजत नहीं दूंगा (व्यवधान) आपको बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने कह दिया है कि बिना अनुमति के इस तरह से उतावले होकर (व्यवधान) अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे कठोर कार्यवाही का पालन करना होगा। माननीय ओझा आप कृपा करके आसन गहण करें। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, आप आसन ग्रहण करें। आपको अब आगे कुछ भी कहने नहीं दिया जायगा, एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा।

(इस पर भी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बोलते रहे, साथ ही अन्य सदस्य व श्री पुरुषोत्तम कौशिक भी बोलते रहे) (माइक बन्द रहा)।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

आप इनको कैसे बोलने दे रहे हैं, आप इनको रोकिये।

श्री अध्यक्ष--

बोलने दीजिये, आप ही कुछ देर बाद शान्त हो जायेंगे।

(माननीय सदस्य अब भी बोलने का प्रयास करतें रहे)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायगा। (श्री ओझा के आसन ग्रहण करने पर) अध्यक्ष और सारे सदन की अवमानता करते हुये जो सदस्य बाज नहीं आते हैं, वह उतना समय इस सदन का नष्ट करते हैं, उनको सोचना चाहिये। जो आम सवाल करते हैं और वक्तव्य के लिये हम मंजूर करते हैं, उसको गौर से सुना जाना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा सवाल सीधा यह है कि पिछले साल से कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है, चीनी की कीमत बढ़ी है..... (व्यबधान)

श्री अध्यक्ष--

दूसरी बार आप फिर सदन का अवमान कर रहें हैं, अब मैं कहूंगा कि कृपा पूर्वक आप बाहर चले जाइये, मैं इजाजत नहीं देता हूं। (फिर भी श्री ओझा द्वारा न बैठने पर) आप बाहर जाइये, आप नहीं जायेंगे तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आपको दो मिनट का समय देता हूं। यदि दो मिनट में नहीं जायेंगे, तो आगे की कार्यवाही की जायेगी। आप बैठिये। यह कोई प्रकरण माननीय ओझा जी का कुछ लिखा नहीं जायगा। वह बैठ गये हैं इसलिये ठीक है।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

मन्त्री जी के वक्तव्य से ऐसा आभास मिला है कि चीनी का दाम सरकार ने नहीं बढ़ाया है "इसलिये गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्या सरकार को मालूम है कि जो चीनी सरकार ने 30 प्रतिशत मिल मालिकों को बाजार में बेचने के लिये छूट दिया है उसका दाम नहीं बढ़ा है ? यदि बढ़ा है, तो क्या उसके आधार पर सरकार गन्ने की कीमत किसानों को दिलाने के लिये प्रयास करेगी ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष--

बीच में आप रोक रहे हैं। (श्री त्रिवेणी सहाय के बोलते रहने पर) यह क्या तरीका है ? आपको इजाजत नहीं है बोलने की।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

आप को सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

नहीं सुनना पड़ेगा। इस तरह से आप...आप खड़े हुए हैं। आप बैठिये। बठिये कृपा कर के। आप विधान सभा के एक माननीय सदस्य के सवाल के रास्ते में

आ रहे हैं। या तो बाहर जाइये। मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप सवाल के बीच में खड़े हुए हैं। आपका महापातकी कार्य है। यदि कोई आदमी सवाल के बीच में खड़ा होता है तो उससे कोई गया-गुजरा विधायक नहीं है। एक आदमी का सवाल था, और हमने स्वीकार किया है, उस सवाल का जवाब आने दीजिये। आपको कुछ मालूम है? इतने दिन से आप हैं। आपको कुछ पता नहीं है। आप विरोधी पक्ष के द्वारा पूछे गये एक उपयुक्त सवाल का जवाब नहीं देने देना चाहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

क्यों सुनें? आप बैठें। अगर सुनाने की आपमें कला और कौशल नहीं है तो आप बैठें। यह कोई तरीका है? सवाल पूछा है बलदेव जी ने जवाब नहीं देने देते हैं। आप खड़े हैं। क्यों सुना जाय आपको?

(श्री त्रिवेणी सहाय बैठ गये)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

30 प्रतिशत फ्री शुगर जो मिल मालिक बेचते हैं, उसकी कीमत को ज्यादा देखते हुए ही इस वर्ष जो गन्ने के दाम बढ़ाये गये हैं, सवा रुपये प्रति क्विन्टल पिछले साल से अधिक बढ़ाये गये हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की कीमत निश्चित करने का क्या फार्मूला है, क्या गुर है, आधार क्या है, किस आधार पर कीमत मुकर्रर करते हैं गन्ने की?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान नेता विरोधी दल को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सारे देश के उत्पादन की स्थिति को देखते हुए मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो वर्तमान सीजन 1974 का केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है वह साढ़े 8 रुपये प्रति क्विन्टल है जो पिछले साल से 50 पैसे प्रति क्विन्टल अधिक है। यह दाम 80 परसेंट चीनी की रिकवरी पर निर्धारित किया गया है। .01 परसेंट चीनी की रिकवरी में बढ़ोत्तरी पर 10 पैसे प्रति क्विन्टल अतिरिक्त बढ़ोत्तरी का प्राविधान रखा गया। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार ने किस आधार पर दाम तय किया है। साथ ही उन्होंने भार्गव कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुये तय किया कि फ्री शुगर बेचने से जो अतिरिक्त मुनाफा होगा उसका 50 प्रतिशत किसानों को दिया जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि अगर यह फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है तो किसानों को पिछले वर्ष के बराबर गन्ने की कीमत नहीं मिल पायेगी। इसलिये यहां आपस की बातचीत से, मिल मालिकों और किसानों के प्रतिनिधियों से--(माननीय मुख्य मन्त्री के कुछ कहने पर) हमने उनसे कहा कि बजाय 8 रुपये के 11 रुपये मिनिमम प्राइस फिक्स होनी चाहिये। जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 50 पैसे ही बढ़ाये और भार्गव

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कमीशन की रिपोर्ट मानने के लिये कहा। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में यह लागू नहीं हो सकती है और हमें सीधे किसान और मिल मालिकों से बात करके कीमत निश्चित करनी होगी। पहले शुरू में पिछले साल के बराबर रखी गई लेकिन दिसम्बर के मध्य में मुख्य मन्त्री जी ने तय कराया कि वर्तमान लेवी प्राइस को देखते हुये 7 दिसम्बर से प्रदेश के दोनों भागों में 50 पैसे बढ़ जायेंगे। अगर लेवी प्राइस बढ़ी जिसकी आशा है तो जनवरी में दुबारा कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, इससे मालूम होता है कि प्रदेशीय सरकार की राय में कीमत नाकाफी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

चौधरी चरण सिंह--

कितनी होनी चाहिये थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

11 रुपये हमने रखी थी।

चौधरी चरण सिंह--

खर्चे के ऊपर आपने आधारित किया है। जब खर्चा बढ़ जाता है तो उसका लिहाज किया जाता है या नहीं ? दूसरे चीनी की कीमत उसका आधार है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल को ज्ञात है कि 70 प्रतिशत चीनी लेवी पर जाती है और 30 प्रतिशत फ्री सेल के लिये रिलीज होती है। लेवी वाली चीनी की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव है। जब 30 प्रतिशत वाली चीनी ज्यादा रिलीज हो जाती है तो चीनी की कीमतें कम हो जाती हैं और कम रिलीज होती है तो बढ़ जाती है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तब भी चीनी की कीमत बढ़ जाती है। इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इस वर्ष के औसत को हम देख रहे हैं। जनवरी में हम फिर कार्यवाही करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

जब गवर्नमेंट ने मान लिया है कि गन्ने की कीमत नाकाफी है तो जब किसानों का आन्दोलन होगा तो क्या प्रदेशीय सरकार उनका साथ देने के लिये तैयार है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, जिस तरह से सरकार में रहकर चौधरी साहब किसानों का समर्थन करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम भी करते रहेंगे।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य सात दिसम्बर के बजाय मिल चालू होने की तारीख से क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसलिये कि रिकवरी बहुत कम थी। रिकवरी बढ़ गई तब से इसको रखा है यानी 7 दिसम्बर से रखा है। (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, इस समय जितनी खंडसारी यूनिट्स हैं उनमें गन्ने की कीमत के बारे में कंटेस्ट है। खंडसारी यूनिट्स ने 16-17 रुपये क्विन्टल का रेट रखा है जिससे ज्यादा गन्ना वहां जा रहा है। इसलिये क्या मन्त्री जी इसका विचार करते हुये कि खंडसारी यूनिट्स के पास ज्यादा गन्ना न जाये चीनी मिलों से अधिक कीमत दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अगर कोई खंडसारी यूनिट्स किसानों को गन्ने की कीमत ज्यादा दे रही है तो हमें इसकी खुशी है। लेकिन बहुत सी जगहों पर 6-6 रुपये भी दे रही है।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गन्ना मन्त्री जी ने अभी यह फरमाया कि साल भर का वह औसत निकाल रहें हैं और औसत जो निकलेगा उसके ऊपर कीमत निर्धारित करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कीमत निर्धारित की जायगी, अगर वह साढ़े 14 रुपये से ज्यादा है, तो वह किसानों को दिलवाई जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जिस तारीख से कीमत निर्धारित होगी, उस तारीख से औसत दिलाया जायगा।

श्री राम मूर्ति--

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि औसत देखेंगे। अगर औसत साढ़े 14 रुपये से अधिक होगा तो यह किसानो को दिलवाया जायगा कि नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अगर कीमत बढ़ी तो अवश्य दिलवाया जायगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर के जिले के गन्ना किसान 15 तारीख से गन्ना देना बन्द कर दिये हैं क्योंकि साढ़े 14 रुपये पर वे गन्ना देने के लिये तैयार नहीं हैं। मिल मालिक लोग तथा अधिकारी लोग वहां पर आतंक फैलाये हुए हैं और किसानों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इस आतंक और गिरफ्तारियों को रुकवाने की कृपा करेंगे और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको छुड़वायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, किसानों के ऊपर अपना, गन्ना न देने के लिये कोई जुल्म नहीं किया जायगा और अगर कहीं किया गया है तो उसको हम वापस करेंगे। इस सम्बन्ध में रुकावट न डालने की मेरी अपील है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह कहना है कि जब से नारायण दत्त तिवारी जी गन्ना मन्त्री हुए हैं, तब से मैं एक साल से अध्ययन कर रहा हूं, बराबर ये मिल मालिकों के हित में सारे काम कर रहें हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 बिल आये थे, तब भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इनके रहतें हुए किसानों का फायदा हो ही नहीं सकता। अगर इनकी हिम्मत है जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं, कौन सा कमाल इन्होंने कर दिया 20 आने बढ़ा कर? आज खाद का दाम बढ़ गया, पानी का दाम बढ़ गया। प्रश्न यह है कि मेरी इच्छ यह थी कि एक ऐसा यह विषय था, इस विषय के ऊपर आप हमें अवसर देते चर्चा करने का। लेकिन हुआ क्या एक गन्ना की रिपोर्ट दे दिया। इस रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक देता हूं। मेरा स्पष्ट सवाल है कि केन्द्रीय सरकार क्या देती है, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने क्या रेट गन्ने का मूल्य, किस आधार पर लगाया है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गन्ना विकास मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में जो चीनी मिलें हैं.....

(व्यवधान)

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। सोच लीजिये क्या पूछना है।

(श्री सत्यपाल मलिक के बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब संविद की सरकार थी और उसके मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने जिस अनुपात से गन्ने का दाम किसानों को दिया था तो क्या मन्त्री जी उसी अनुपात से किसानों को गन्ना का दाम देने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारी पूरी चेष्टा है कि चीनी के दाम ही नहीं, कुछ वेटेज इस बात के लिये भी दिया जाये कि किसानों को गन्ना उत्पादन में इस समय क्या पड़ रहा है।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय राम मूर्ति जी ने एक सवाल पूछा था, जिसका पूरा उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। माननीय तिवारी जी ने फरमाया कि हम एक्सपोर्ट कर रहें हैं तो दाम बढ़ रहें हैं और यहां भी दाम बढ़ जायेंगे। सवाल यह था कि जब दाम बढ़ेंगे तो उनको कब से देंगे। यह जवाब नहीं आया है। सिर्फ जवाब यह आया है कि कीमतें बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी कीमतें बढ़ेंगी। पिछले साल मुझे एक साथी ने बताया कि माननीय मन्त्री जी ने फरमाया है कि सवा 13 का आर्डर हमने दे दिया है, जिस रोज गन्ना सप्लाई किया गया सवा 11 दिया गया। लेकिन वह डिफरेन्स आज तक भी नहीं उनको दिया गया है। पहला

आश्वासन पूरा नहीं हुआ और जितना दे रहें उसकी भी पूरी उम्मीद नहीं है। इसका जवाब क्या है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल को ज्ञात है कि जो एक्सपोर्ट चीनी होती है वह फ्री शुगर है उसके कोटा में से दी जाती है। इससे देश को फारेन एक्सचेन्ज मिल जाता है। अब जब फ्री शुगर के कोटा में से कमी होती है तो जो बाहर मार्केट में रिलीज होने के लिये कोटा आवेलेविल होता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जब पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट हुई तो फ्री शुगर की कीमतें मार्केट में बढ़ी। इसी वजह से मिल मालिकों से यह कहा गया कि वे सवा क्विन्टल पहले से ही ज्यादा दे। कितना एक्सपोर्ट होगा इसका अन्दाजा नहीं है। एक्सपोर्ट अधिक होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। पिछले साल से गन्ने की पैदावार कम है। अगर चीनी मिलों मे पिछले वर्ष से बराबर चीनी नहीं दी, तो हमारे कन्जपशन पर बुरा असर पड़ेगा। भारत सरकार का कोटा उसी प्रकार से तय होता है। जैसा मैंने कहा कि यहां पर गन्ने की कीमत बढ़ जायेगी। जनवरी में तो इस पर अवश्य विचार होगा। भारत सरकार ने इसका तरीका यह निकाला है कि 50 प्रतिशत की प्राफिट शेयरिंग होगी। हमने उसको स्वीकार नहीं किया है नहीं तो किसानों को यह भी न मिल पाता। इसलिये हम ये सारी चीजें देख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फनगर)—

माननीय गन्ना मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश की कैबीनेट ने, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया, यह सिफारिश की है कि लेवी शुगर की प्राइस 11 रुपये प्रति क्विन्टल होनी चाहिये। यह इसी आधार पर की थी कि कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखते हुए ज्यादा कीमत मुकर्रर करनी चाहिये। इसलिये यह सुझाव था कि इसकी ज्यादा कीमत किसानों को दिलाई जाय। परिस्थिति अब भी वैसी ही है। तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने देश और प्रदेश के इंटेरेस्ट को देखते हुए कि यहां पर ज्यादा चीनी का उत्पादन हो प्रशासन केन्द्रीय सरकार को लिखेगा कि गन्ने के लिये वे किसानों को कम्पीटिटिव और बेटर प्राइस दिलाने की कृपा करें?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। हमने इस बारे मे बार-बार प्रयास किया है भारत सरकार से। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं कृषि मन्त्री जी से 4-5 बार बातचीत की है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी की है और भविष्य में भी हम बात करेंगे।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र (जिल बलिया)—

जब माननीय गन्ना मन्त्री जी ने सारी बातों को कह दिया है तो उसके बाद अब कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(माननीय बाबू लाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

परचेज टैक्स 50 पैसे बढ़ा है..... (व्यवधान) आज भी मिलों में लाखों रुपया पड़ा हुआ है।.... (व्यवधान)।

(कि कई माननीय सदस्यों ने खड़े होकर एक साथ बोलना आरम्भ किया)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल का 2 रुपये के हिसाब से जो किसानों का बकाया है, वह आज तक उन्हें नहीं मिला है, वह कब तक उन्हें मिलेगा ? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब आप सवाल पूछने नहीं देते हैं तो मैं क्या करूं। मैंने माननीय बाबू लाल वर्मा को समय दिया। उनके ही दल के लोगों ने रुकावट की। अगर आपके प्रश्न पूछने का जो ढंग है, वह समाप्त नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कन्ट्रोल करना तो आपका काम है ?

श्री अध्यक्ष--

एक को कन्ट्रोल किया जा सकता है, 2 को कन्ट्रोल किया जा सकता है लेकिन अगर पूरे का पूरा समूह खड़ा होता है तो सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाय। मैंने माननीय बाबू लाल वर्मा को मौका दिया था लेकिन उनको अपना प्रश्न रखने नहीं दिया गया।

(फिर कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गन्ने का दाम मिलों पर 176 करोड़ रुपया बाकी था। इसमें से 172 करोड़ 50 लाख रुपया किसानों को पेमेंट किया जा चुका है। बाकी 3 करोड़ 50 लाख रुपया शेष है।

चौधरी चरण सिंह--

यह तो प्रश्न ही नहीं है ? पूछा यह गया था कि 2 रुपये का जो अन्तर था क्या वह आरम्भ से पूरा किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक वह दिलाया जायगा ?

दो रुपये का अन्तर जो वायदा किया था कि शुरू से दिलाया जायगा वह क्यों नहीं दिया गया अब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शुरू से दिया गया था ? अगर किसी मिल ने न दिया हो तो उसका नाम लिख कर भेज दीजिये, अवश्य दिलवाया जायगा।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई की अध्यक्षता में एक टैरिफ कमीशन बना था। उस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना होना चाहिये। इस नियम को लागू करने में आपको क्या कठिनाई है ? दूसरे,

आपने जो कहा है कि की चीनी में जो फायदा होगा उसका 50 प्रतिशत किसानों को देंगे तो क्या वह गन्ना सहकारी समितियों को देंगे अथवा सीधे किसानों को देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो फार्मूला आपने बताया वह आज की स्थिति में व्यावहारिक नहीं है। जहां तक 50 प्रतिशत प्राफिट शेयरिंग की बात है, उस सम्बन्ध में मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्टरीज के पास जो बिहार की सीमा है आउट सेन्टर पर तो परचेज टैक्स लेते हैं लेकिन जो बिहार का गन्ना यू0 पी0 की मिलों में आता है उन पर परचेज टैक्स लेते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह इससे सम्बद्ध है। लाखों रुपये टैक्स के चोरी हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं। इससे सम्बद्ध नहीं है।

(व्यवधान) (दो सदस्य एक साथ बोलते रहें)।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

पिछले वर्ष जो गन्ने की कीमत निर्धारित की गयी थी उसमें दो रुपये कम किये थे मिल मालिको ने। उसको मुख्य मन्त्री नें पुन: वापस करवा दिया। लेकिन दूसरे ढंग से मिल मालिकों ने गन्ने की कीमत में कमी करने की कोशिश की। उन्होंने आउट स्टेशन पर गन्ने की कीमत कार्टिंग के नाम पर कम कर दी। सारे उत्तर प्रदेश में आउट स्टेशन में कहीं 32 पैसे और सारी जगहों पर सवा रुपये तक कार्टिंग के नाम पर वसूल किया। और इस तरीके से गन्ने की कीमत घटाई गयी। मेरे प्रश्न के जवाब में बताया गया कि केन्द्र को लिखा गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने गन्ने की कीमत के लिये तो उन लोगों को मजबूर कर लिया, मगर ट्रान्सपोर्ट चार्जेज के लिये मजबूर क्यों नहीं किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक है। इस प्रकार के आदेश हैं कि ट्रान्सपोर्ट चार्जेज जो मुकर्रर हैं उससे अधिक कोई वसूल न करे, किसी फैक्टरी ने यदि अधिक चार्ज किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री धीरेन्द्र सहाय---

सभी ने ज्यादा चार्ज किया है .... (व्यवधान)।

श्री सत्यपाल मलिक---

क्या सरकार को जानकारी है कि एक टन चीनी विदेश भेजने में कितना लाभ होता है और एक टन चीनी जितने गन्ने में पैदा होती है उस गन्ने की कितने कीमत सरकार किसानों को दिलाती है ? मैं मन्त्री जी की जानकारी के लिये बता दूं कि एक क्वीन्टल गन्ने से

[श्री सत्यपाल मलिक]
जितनी चीनी पैदा होती है उसको विदेश भेजने से 120 रुपया मिलता है और किसान को केवल आप 15 रुपये देते हैं। पार्लियामेंट में बताये गये आंकड़ों के अनुसार में यह सूचना आपको दे रहा हूं। क्या आपको इसकी जानकारी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह श्रीमन् सर्वविदित है कि इस वर्ष तेल संकट के कारण अचानक संसार की मन्डियों में चीनी के दाम बढ़ गये, लेकिन वहां भी दाम घटते बढ़ते रहे? लन्दन में 600 रुपये पौड से 450 रुपये पौंड रह गये। इस वर्ष भी फोर कास्ट यह है कि बढ़ेंगे। तो कुछ निश्चित कहना सम्भव नहीं है। अब यह इस बात पर निर्भर है कि हम कितनी चीनी बाहर भेजते हैं, यदि चीनी कम पैदा हुई तो अधिक नहीं भेज पायेंगे। तो पेमेंट का प्रश्न इसी बात पर निर्भर है कि हम बाहर कितनी चीनी भेज पाते हैं।

श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

सरकार की नीति ने सारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया है। एक तरफ तो विदेशों से 165 रुपये क्वीन्टल का गेंहूं आता है, खरीद कर, लेकिन किसानों को 100 रुपये भी यह सरकार नहीं देना चाहती। इसी तरह से गन्ने का दाम भी सही देना नहीं चाहती। सन् 1967- के आंकड़े और आज के आंकड़े के अनुसार देखा जाय तो प्रोडक्शन कास्ट चौगुनी बढ़ गयी है। सिंचाई के रेट्स बढ़ गये, खाद के दाम ढाई गुने हो गये लेबर चार्जेज भी कई गुने बढ़ गये, मगर गन्ने की कीमत उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो क्या मन्त्री जी जिस हिसाब से प्रोडक्शन कास्ट बढ़ी है, उस हिसाब से ही गन्ने की कीमत किसानों को दिलाने की कृपा करेंगे और क्या कम से कम 18 रुपये क्वीन्टल कीमत दिलाने पर विचार करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्यों के विचारों से अवगत हुआ और उनका उचित उपयोग किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उद्योग मन्त्री जी ने बतलाया कि जो चीनी का मुनाफा है उसका 50 प्रतिशत किसानों को और 50 प्रतिशत उद्योगों को जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब चीनी का उत्पादन व्यय 60 प्रतिशत गन्ने का होता है तो वह कौन सा आधार है जो भारत सरकार ने 50 प्रतिशत मुनाफे का देना तय किया है? क्या इसका कोई आंकड़ा है और यदि है, तो उसे बतलायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा ही भार्गव कमीशन की रिपोर्ट में है और उसको हमने स्वीकार किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है कि गन्ने की कीमत का आधार रिकवरी बेसिस पर है। मान्यवर, सरकार ने यह घोषणा की थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। उसका नतीजा हुआ कि चीनी मिल मालिकों ने सारी की सारी अच्छी मशीनें

चुरा-चुरा कर बेच दीं और आज मिलों की हालत बहुत खराब है जिससे रिकवरी कम होता है, फिर उसके लिये किसान क्यों सफर करे? इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि रिकवरी बेसिस पर जो आपने गन्ने की कीमत तय करने की बात की है उसको छो : कर टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें दिया हुआ है कि चीनी जितने रुपये मन हो गन्ने की कीमत उतने आने रुपये हो, नये सिरे से गन्ने की कीमत की घोषणा करेंगे जिससे गन्ना किसानों को सही माने में गन्ने की कीमत मिल सके? तथा मिल मालिकों से वे अधिक भाव के लिये लड़ सकें इसके लिये क्रशर्स लगाने के लिये लाइसेंस देने की घोषणा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट को मान कर अगर गन्ने की कीमत तय करने की बात माननीय सदस्य करेंगे तो उससे किसानों का ही नुकसान होगा। इसलिये माननीय सदस्य टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गन्ने की कीमत तय करने की पैरवी न करें। जहां तक दूसरे प्रश्न का उल्लेख है, उसके अनुसार तो हम कार्य कर ही रहे हैं। (व्यवधान)।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का है --"राज्य मन्त्रि मन्डल के सदस्यों द्वारा कांग्रेस चुनाव घोषणा हेतु धन का अनुचित ढंग से एकत्रित किया जाना।"

इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव वाले पर अगर आपको कुछ कहना हो तो कहें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न उठाया है कि चुनाव निकट है, उसकी बड़ी गर्मी है चारों तरफ। सरकार अनियमित ढंग से करोड़ों रुपये एकत्रित कर रही है। यह सब के लिये बड़ी चिन्ता का विषय है। यह कोष जो एकत्रित किया जा रहा है, हमारे विचार से यह विषय एक बड़ा ही अविलम्बनीय और महत्व का विषय है। क्योंकि इसके बाद विधान सभा कल, परसों, दो तीन रोज के अन्दर उठ जायगी। फिर उसके बाद बैठेगी तब तक पूरा रुपया एकत्र कर लेंगे जिससे सारी अर्थ व्यवस्था समाप्त हो जायगी। मान्यवर, मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं। हमारी राज्य विद्युत् परिषद् ने 1972 में ई0 877/72, के अनुसार एक ठेंडर दिया जिसमें ट्रान्सफामर्स खरीदने की बात थी। और इसी तरह से तमाम कम्पनियों को आर्डर दिये गये है। जी0 ई0 सी0 कम्पनी को 6 हजार ट्रान्सफार्मर सप्लाई करने का आर्डर दिया। इन लोगों को डराया कि ब्लेक लिस्ट कर देंगे। केवल 2 हजार ट्रान्सफारमर्स इस कम्पनी से लिये गये। इसी बीच कीमत बढ़ गयी। 4 हजार के लिये छूट दे दी गयी। मान्यवर, इससे सरकार ने 10 लाख रुपये कमाये हैं। इसके अलावा हरदुआगंज और इलाहाबाद पावर हाउस की बात मैं बाद में कहूंगा। सरकार इसमें शामिल है तो सारी जिम्मेदारी हमारी मुख्य मन्त्री जी की है। मान्यवर, बिजली बोर्ड ने इलाहाबाद का पावर हाउस बेचा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उनको बिजली सस्ते दर पर दी जाती है और उनसे बिजली महंगी दरों पर ली जाती है। दूसरी बात रामपुर ऐन्ड ब्रदर्स 9 संस्थानों को बेचा इस सम्बन्ध में इन्होंने केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी नहीं ली इसलिये कि इनको उनसे इलेक्शन के लिये पैसा लेना था। इसी प्रकार मान्यवर और उदाहरण हैं। मान्यवर, मोहन मीकिन के यहां सेल्स टैक्स की चोरी के बारे में तलाशी ली गयी और सरकार ने कोई कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाया। इस तरह से लगभग 5 लाख रुपया उनसे चुनाव के लिये इन्होंने लिया। सीतापुर में बिजली 24 घंटे दी जाती है जबकि अन्य जगह पर बिजली की दिक्कत है। सरकार ने वहां से भी पैसा लिया है। खांडसारी और अन्य इकाइयों को लाइसेंस नहीं दिये गये और इस तरह से काफी पैसा सरकार ने चुनाव के लिये लिया। मान्यवर, बहस में मैं सब यह तो कहूंगा ही। मेरा कहना यह है कि हर तरीका सरकार अख्तियार कर रही है आने वाले चुनाव के लिये रुपया एकत्रित करने के लिये। मान्यवर, यह बड़ा जरूरी लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार उद्योगपतियों के साथ है। सरकार ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स के साथ है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कार्य-स्थगन कैसे आयेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कार्य-स्थगन का यह विषय है। मान्यवर, यह अति आवश्यक लोक महत्व का प्रश्न है। इन्होंने ब्लैक मार्केटियर्श और होर्डर्स से सांठगांठ कर ली है। इन्होंने बिक्री कर माफ करने के बारे में रुपया लिया है। मान्यवर, इनकी कैपिटलिस्टों से सांठगांठ है उनसे इन्होंने काफी रुपया लिया है। अब यह पूंजीपति जनता को लूटेंगे इन्होंने इनको लूटने के लिये पूरी छूट दे दी है। मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे होगा?

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

कल मैंने दफा 56 में, अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आज वह नहीं है?

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

मान्यवर, श्री गोरे लाल शाक्य के बारे में नियम 52 में दिया है....

श्री अध्यक्ष--

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं.....

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में दिया था। 28 तारीख को चुनाव वहां हुये और 12 बजे.....

श्री अध्यक्ष--

वह तो बयान अलग से आयेगा।

श्री गंगा प्रसाद—

मान्यवर, गोरे लाल शाक्य जी की पत्नी की हत्या कर दी गयी है। यह हत्या राजनैतिक हत्या है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि नेता जनसंघ जैसे सुलझे और गम्भीर व्यक्ति ने यह आरोप लगाये हैं। इसमें वह अपने हृदय से जानते हैं कि इन बातों का कोई आधार नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

हृदय उनके पास रह ही नहीं गया है। (हंसी)।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, चुनाव होंगे या नहीं होंगे यह तो कहना कठिन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ईमानदारी से कह दें कि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, जितनी बातें माधव बाबू ने कहीं हैं वे बातें सत्य से परे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि सन् 1972 में टेंडर हुये थे। लेकिन तब इस सरकार का जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरी बात बिक्री से सरकार के खजाने में रुपया आया है। परन्तु आपका मतलब कि कांग्रेस पार्टी से खजाने में रुपया आया तो कांग्रेस पार्टी से खजाने में कोई रुपया नहीं आया है। सारे मामले में इस सदन में और ऊपर के सदन में बजट के दौरान बिजली के उपकरणों के संबंध में बहस हो चुकी है।

मान्यवर, तीसरी बात रेड के संबंध में है। जहां कहीं रेड किया है तो उससे माधव बाबू को दुख होता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

रेड से दुख नहीं होता है बल्कि रेड सिखाने से दुख होता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ओम प्रकाश जी ठीक कह रहे हैं। भावुकता में कुछ भी आप कहें। लेकिन माधव बाबू, रेड इतना चरित्रहीन काम है कि पहले रेड करवायें और पैसा लेकर उसको दबवा दें। तो वह ठीक नहीं है। जिनके ऊपर रेड हुये हैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करूं तो वह ठीक नहीं है। यदि चर्चा करूं तो रेड में जो जांच आदि चल रही है उसमें हस्तक्षेप करना होगा। तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूं। रेड उन पर होगा जहां गड़बड़ी होगी। कई बार रेड गड़बड़ भी हो जाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि स्वयं हमारे एक मित्र के वहां रेड हुआ तो हमने कहा कि बड़ा अफसोस है। रेड हमारी जानकारी में नहीं होते हैं। यह तो अधिकारी लोग करते हैं। सरकार नीति निर्णय लेती है। यदि किसी चीज में शक होता है तो वहां रेड होता है।

चौथे चुनाव के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के चुनाव का प्रश्न नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्य 1974 में चुने गये थे। 1977-78 तक, यदि माधव बाबू और हमको भगवान ने न उठा लिया तो, चुनाव होगा। पार्लियामेन्ट के चुनाव का सवाल है तो आज तक हमारे दल के नेताओं ने उसका कोई आभास नहीं दिया है कि चुनाव होने वाला है और न उसके लिये तैयारी है।

श्री अध्यक्ष--

श्री श्रीनारायण की सूचना दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 की है जो कि पुरानी सूचना है। इसको आप दोहरा रहे हैं इसलिये स्वीकार नहीं है।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह अत्याचार है, यह आप अन्याय कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

यह पुरानी सूचना है। जब पुरान बात होय जात है तो नियम 56 में नहीं मानी जाती है।

(शोर)

*श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा विद्युत् विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी की नोटिस दी जा चुकी है। वे भूख मे पीड़ित हैं इसलिये मैं सरकार की नीतियों का घोर विरोध करता हूं। मैं चाहता था कि यहां छटनी के सम्बन्ध में चर्चा हो.....

(श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी व श्री श्रीनारायण साथ-साथ बोलते रहे)

(व्यवधान)

मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति मजदूर विरोधी है। इसने हजारों मजदूरों को नोटिस जारी कर दी है, इसलिये आप आदेश करें कि यह सदन इस पर चर्चा करे जिसमे मजदूर जगत के साथ जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, खिलवाड़ न किया जाय।

प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था तथा विधान सभा सदस्य, श्री शिवपाल सिंह के जीवन को संरक्षण देने की मांग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं आपकी इजाजत से देश की, प्रदेश की जो शान्ति व्यवस्था है, उसके सिलसिले में एक-दो बातें रखना चाहता हूं। अगर समाज में शान्ति और अमन नहीं रहेगा तो कोई विकास नहीं हो सकेगा। बल्कि समाज काम भी नहीं कर सकता है। मैंने कुछ दिन पहले यह सवाल उठाया था कि एक विधायक के कत्ल करने की कोशिश हो रही है। मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया था कि जहां तक उनकी सरकार का ताल्लुक है, उसने श्री शिवपाल सिंह की सुरक्षा के लिए एस0 पी0 को लिख दिया है और डी0 आई0 जी0 से रिपोर्ट मांगी गई है। अध्यक्ष महोदय, श्री शिवपाल सिंह सन् 1969 से एम0 एल0 ए0 हैं। वह उन्नाव के रहने वाले हैं। वहां से एक विधायक, श्री गोपी नाथ दीक्षित, 1969 से 74 तक मन्त्री रहे हैं। उस जमाने में भी उनकी जान को खतरा था। इस कारण जिला अधिकारी ने उनको एक शैडो दिया था। चुनाव हुये, इसमें श्री गोपी नाथ दीक्षित हार गये। चूंकि श्री शिवपाल सिंह बी0 के0 डी0 के उन्नाव जिले में प्रेसीडेन्ट हैं और विधायक हैं तथा श्री राघवेन्द्र सिंह, विधायक, बल्कि सारी पार्टी से श्री गोपीनाथ दीक्षित को शिकायत है। इसी कारण श्री शिवपाल सिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को शैडो दिया गया था और जिला अधिकारी के बदलने के बाद जब दूसरा जिला अधिकारी आया तो उसने भी उनको शैडो दिया। लेकिन जब श्री गोपीनाथ दीक्षित चुनाव हार गये तो षड़यन्त्र रचे गये, ऐसा उनका ख्याल है। उनके पास इसके सबूत भी हैं। हत्या करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से एक आदमी को फांसी की सजा हो गई फिर भी वह आदमी छूट गया या एक साल से पेरोल पर है या उसको मरसी दे दी गई। हत्या के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वह आदमी और एक और आदमी जिस पर डकैती का मुकदमा चला और उसको दोषी पाया गया, जिसने हमारे क्षेत्रीय प्रेसीडेन्ट के दो सगे भाइयों का कत्ल किया था वह भी छूटा हुआ है। 26 मई को उसने और कुछ लोगों ने श्री शिवपाल सिंह का पीछा किया जिसकी उन्होंने रिपोर्ट कर दी। फिर 15 अगस्त को दुबारा कोशिश हुई जिसमें उन्होंने भाग कर जान बचाई किसी इन्सपेक्शन हाउस में, जहां एस0 डी0 एम0 मौजूद थे।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

अगर चौधरी साहब तारीख बतला दें तो मैं देख लूं वैसे उसका मुझसे ताल्लुक नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

जो दरख्वास्त गृह सचिव को दी गई है 6 सितम्बर को, मैं उसको पढ़ देता हूं।

शिवपाल सिंह,
एम0 एल0 ए0,
भारतीय लोक दल, उत्तर प्रदेश।

संविद हाल,
विधान भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

तारीख 6 सितम्बर, 1974

(गोपनीय अति आवश्यक)

सेवा में;

श्रीमान् गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं 1969 से विधान सभा का सदस्य, जनपद उन्नाव से होता चला आ रहा हूं। इस जनपद से मेरे अलावा भारतीय लोकदल के दो माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र सिंह व श्री सुन्दर लाल कुरील भी 1974 के आम निर्वाचन में क्रमशः बांगरमऊ व सफीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये हैं। चूंकि बांगरमऊ निर्वाचन क्षेत्र से भूतपूर्व राज्य गृह मन्त्री एवं विधायक श्री गोपीनाथ दीक्षित जी इस चुनाव में पराजित हो गये थे, उन्नाव जिले की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुये और जिले के भारतीय लोक दल के बढ़ते हुये प्रभाव व उसकी लोकप्रियता को देख कर मेरे चुनाव से पूर्व भी इस तरीके की घटना घटित की गयीं जिससे कि मुझे शारीरिक आघात पहुंचाया जा सके, किन्तु उनका प्रयास बिल्कुल विफल रहा। इसी को ध्यान में रखते हुये भूतपूर्व जिलाधीश उन्नाव श्री आर0 आर0 शाह ने मुझे एक अंगरक्षक की सुविधा प्रदत्त की थी, वह भी चुनाव के उपरान्त वर्तमान जिलाधीश, श्री मिश्र जी ने भी स्थिति को देखते हुए आपके पास मेरा प्रार्थना-पत्र अपनी

(चौधरी चरण सिंह)

संस्तुति सहित भेजा दिया था कि मुझको अंगरक्षक देना अति आवश्यक है लेकिन श्रीमानजी के द्वारा जैसा कि मुझको जिलाधीश महोदय ने बताया अस्वीकृत कर दिया गया था । चूंकि मैं पूरे उन्नाव जनपद में भारतीय लोक दल का प्रमुख कार्यकर्ता व विधायक हूं इसको ध्यान में रखते हुये विरोधी कांग्रेस पक्ष के कुछ स्थानीय नेताओं ने जिनमें राज्य के भूतपूर्व मन्त्री (गृह विभाग) तथा उनके अन्य दो लोगों के द्वारा इस प्रकार के लोग मेरे पीछे आघात के लिये लगा दिये गये जो कि क्रमश : श्री लक्ष्मी कान्त उर्फ दुल्ली जिनको हमारी पार्टी के बांगरमऊ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी मिश्र के दो भाइयों के हत्याकांड के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में फांसी की सजा बहाल रही थी। उसके उपरान्त उनको क्षमादान दिला दिया गया था और उनके तथा उनके परिवार के लोगों पर कई डकैती के केस भी लगे थे। इसी प्रकार शंकरी सिंह, निवासी अलाउद्दीनपुर जो कि धारा 396 के मामले से बरी हुये हैं तथा एक दो अज्ञात व्यक्ति बराबर 26 मई, 1974 से मेरा जगह-जगह पीछा करके मुझे शारीरिक आघात पहुंचाने के षड़यन्त्र में लगे हुये हैं। ये दोनों व्यक्ति भूतपूर्व राज्य गृह मन्त्री जी के कृपापात्र हैं और उन्हीं के उन्नाव निवास स्थान पर अधिकतर रहते हैं। इस प्रकार की सूचनायें मौखिक रूप से जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को समय-समय पर देता रहा हूं लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनको भी इस साजिस में मिला लिया गया है। अभी गत 15 अगस्त, 1974 को जब मैं तथा मेरे दो साथी श्री राघवेन्द्र सिंह, विधायक को स्टेशन छोड़ कर जा रहा था तो कानपुर-लखनऊ मुख्य मार्ग पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने मुझे शारीरिक आघात पहुंचाने की नियत से मेरा पीछा किया लेकिन हम लोगों की सूझ बूझ के कारण कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होने पायी। इसकी भी सूचना तुरन्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर कोतवाल, उन्नाव को कर दी थी और इसके पूर्व 26 मई, 1974 को सायंकाल 8 बजे मैं श्री राघवेन्द्र सिंह के निवास, जो उन्नाव कचहरी के पास ही है, जा रहा था कि उन लोगों ने मेरा इसी नियत से पीछा किया कि मैं इतने में भाग कर जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय गया जहां पर श्री एन0 एन0 पांडेय, परगनाधिकारी, उन्नाव मौजूद थे, उनसे बतलाया और वह मेरे साथ बाहर आये तब तक ये लोग वहां से भाग चुके थे। मेरी व मेरे परिवार की किसी से कोई निजी रंजिस उन्नाव जनपद में नहीं है। केवल मुझे राजनैतिक क्षेत्र से हटाने के लिये यह सब षड़यन्त्र उपरोक्त लोगों के द्वारा किया जा रहा है।

आपको स्मरण रहे कि दिनांक 15 अगस्त, 1974 को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे एक अंगरक्षक मेरे निवेदन करने पर दिया गया है। वह भी इस शर्त पर कि आप शासन द्वारा इसकी आज्ञा प्राप्त कर लें अन्यथा दिनांक 10 सितम्बर, 1974 तक यह सुविधा मुझसे वापस ले ली जायेगी। जबकि भूतपूर्व राज्य गृह मन्त्री, श्री गोपीनाथ दीक्षित जी को अंगरक्षक व पुलिस गारद अभी शासन द्वारा दिया गया है।"

यह श्री शिवपाल सिंह का 6 सितम्बर, 1974 का पत्र है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित को 3 गारद दी गयी है। गारद का एक आदमी शहर में जहां वे रहते हैं, रहता है। जो उनका निजी गांव है, वहां पर एक गारद हर वक्त रहता है। तीसरा गारद उनके दोस्त के यहां रहता है जहां कि दीक्षित जी अक्सर रहते हैं। उनके पास 3 गारद और 3 शैडो हैं। इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं जहां तक लोगों की सुरक्षा का सम्बन्ध है हमारे सामने कोई पार्टीवाली बात नहीं और कोई डिफरेन्सियेशन नहीं होता।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अपने अधिकार से कहा कि 15 दिन की मोहलत है, आगे के लिये आप इजाजत स्वीकार कर लीजिये। यह दरख्वास्त दी जाती है कि दो गार्ड दे दीजिये लेकिन वह यहां से नामन्जूर हो जाती है यह लिखकर कि अगर अपने खर्चे पर रखने को तैयार हों तो दिया जा सकता है। इसको वह एस0पी0 बराबर बढ़ती रहे। एस0पी0 के ऊपर डी0आई0जी0 से मश्विरा किया। उनकी भी यही राय हुई। उन्होंने फिर लेटर लिखा कि एक्सटेंशन 25 अक्तूबर तक दिया जाता है और उसकी कापी भेजते रहे शिवपाल सिंह को और वह कापियां मेरे पास हैं। आर्डर यही रहा पूछो कि अपने खर्चे से रखेंगे ? दूसरा आदमी जिसकी सुप्रीम कोर्ट से डेथसेंन्टेन्स हो गया, वह छूटा हुआ है और जिसके भाई ने दो-दो कत्ल किये हुए हैं और जिस पर डकैती के केस चल चुके हैं और अन्य लोग हैं जो साल भर से उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं उनकी पूरी सुविधायें गार्ड को मिली हुई हैं लेकिन उनको आप एक भी गार्ड नहीं दे सकते।

मैंने उस रोज यह सवाल उठाया था फतेह बहादुर सिंह तथा सुन्दर लाल, एम0 एल0 ए0 हैं और एक सब-इंसपेक्टर हैं उनके बारे में जो घटना है उसका ब्रीफ सुनाये देता हूं किस प्रकार एक सब-इंसपेक्टर एस0 पी0 के सामने गुंडों के जरिये हमारे लोगों को पिटवाने की कोशिश कर सकता है। 8 कत्ल हुए लेकिन कोई चार्ज शीट नहीं है 10,12 डकैती पड़ गयीं लेकिन उनकी चार्ज शीट नहीं। यह सब-इंसपेक्टर की हिम्मत है। शिव पाल सिंह की दरख्वास्त को आप स्वयं देखें, आर्डर है पैसा दे तो कांस्टेबिल मिलेगा और दूसरे को जो कत्ल करवाता है, डकैती डलवाता है उसको 3 कांस्टेबिल तथा दो गार्ड मिले हुए हैं। सब-इंस्पेक्टर का मामला है डी0 आई0 जी0 से पूछा जा रहा है जब कि एक विधायक सुन्दर लाल जी फैक्ट्स लिख कर दिये हैं। इलेक्टेड आदमी के मुकाबले में आप डी0 आई0 जी0 से कहते हैं कि वह तहकीकात करे। आप एस0 पी0 से कहते कि फौरन उस आदमी को सस्पेंड करता। यह एक सैम्पिल है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं:--

"दिनांक 1-12-74 को समय 10 बजे उन्नाव से श्री सुन्दर लाल, एम0 एल0 ए0; फतेह बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख; जियाउर रहमान फारूकी, ऐडवोकेट; सोबरन सिंह, प्रधानाचार्य, सफीपुर तथा रईस बेग, उन्नाव से सफीपुर बस द्वारा गये और थाने के सामने ही प्रधानाचार्य के घर पर सभी लोग उतर पड़े। विद्यालय के भवन निर्माण को प्रधानाचार्य के आग्रह पर हम लोग देखने चले गये। वापस आते समय दाराब नगर से शहजादे लकड़हारा आ रहा था वह सड़क पर मिला। उसी समय निर्दोष चार-पांच मुसलिम लड़कों को थानेदार, सफीपुर और आर0 पी0 सिंह तथा चुनीर सिपाही थाने लिये जा रहे थे। उन्हें थाने के अन्दर बन्द कर दिया गया। हम लोगों के पास खड़े रईस बेग व शाहजादे को भी आर0 के0 सिंह, थानाध्यक्ष, ने पकड़वा लिया। इन लड़कों के घर के लोगों के तथा टाउन एरिया के चेयरमैन बदरुल व अन्य लोग थाने के अन्दर जाना चाहते थे। कि आर0 के0 सिंह ने इन लोगों को तमाम गालियां देकर भगा दिया तथा थाने का फाटक बन्द करवा दिया। पकड़े गये लोगों को मारा तथा दो लोगों के हाथ तोड़ दिये। इन में बेहोश भी हो गये। इस घटना को हम सभी ने थाने के सामने की दुकान से देखा।

2 जनवरी, 1974 को फतेह बहादुर सिंह, प्रमुख, सफीपुर; पुलिस अधीक्षक; उन्नाव से आर0 के0 सिंह के खिलाफ मिलने गये और पुलिस अधीक्षक से अन्दर बात कर रहे थे।

[चौधरी चरण सिंह]

तभी आर0 के0 सिंह भद्दी-भद्दी गालियां बाहर दे रहे थे। जब प्रमुख मिलकर बाहर निकले तो आर0 के0 सिंह ने उन्हें गोली से मार देने की धमकी दी और अपना पिस्तौल तान लिया। और कहा बहुत शिकायत कर लेते हो तुम्हें जान से मार दूंगा। शोर गुल सुनकर एस0 डी0 साहब स्वयं बाहर आये। इस घटना की शिकायत लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्नाव को उनके द्वारा बीच-बचाव करने के बाद तुरन्त प्रमुख जी ने दी।

3 दिसम्बर, 1974 को विधायक, श्री सुन्दर लाल जी ने क्षेत्र में आर0 के0 सिंह के द्वारा आतंक, तानाशाही व भ्रष्टाचार के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष दिनांक 12-12-74 को धरना देने की सूचना एस0 पी0, उन्नाव को दी।

इस बात को आर0 के0 सिंह ने जान कर क्षेत्र के तमाम गुंडों-बदमाशों से सम्पर्क करना और इकट्ठा करना शुरू किया। तथा ब्लाक प्रमुख की हत्या करने का कुचक्र रचने लगे। जिसकी सूचना मुख्य मंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी सभी को दी गई।

इसके बाद 5-12-74 को सुन्दरलाल, एम0 एल0 ए0, फतेह बहादुर, ब्लाक प्रमुख; फुरकान अली, जेगम क्षेत्रीय अध्यक्ष, भारतीय लोक दल; पुलिस महानिरीक्षक से लखनऊ में बंगले पर मिले और पूरी घटना बतायी। बलिखित शिकायती पत्र भी आर0 के0 सिंह के विरुद्ध दिया।

12-12-74 को उक्त तथ्यों के विरोध में एक धरना क्षेत्रीय विधायक, सुन्दरलाल ब्लाक प्रमुख, फतेह बहादुर सिंह राघवेन्द्र सिंह एम0 एल0 ए0 एवं बहुत से प्रधानों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष आयोजित किया गया।

इस धरने के विरोध में श्री आर0 के0 सिंह ने धरने में शामिल लोगों को आतंकित करने हेतु क्षेत्र व जनपद के तमाम कुख्यात लोगों को एकत्रित किया तथा दो ट्रकों द्वारा सफीपुर से उन्हें लाये जहां कि हम लोग उन्नाव में एस0 पी0 कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। उनके द्वारा झगड़ा-बल्वा करने की भी कोशिश की गई। जिसकी सूचना जिलाधिकारी, उन्नाव; एस0 पी0, उन्नाव को दी गई थी। एस0 पी0 कार्यालय के सामने तमाम जिले के अधिकारियों व पत्रकारों में भी इस अवैधानिक जवाबी लोगों को देखा। पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्नाव ने श्री जमाल अशरफ, उप अधीक्षक तथा सी0 आई0, गर्ग साहब एवं एल0 आई0 यू0 इन्सपेक्टर, त्रिवेणी सिंह आदि को भेजकर आर0 के0 सिंह द्वारा लाये गये बदमाशों को तितर-बितर करने की असफल कोशिश की।

इसके बाद स्थानीय डी0 एस0 एन0 कालेज के कुछ छात्र प्रतिनिधियों को जो आर0 के0 सिंह द्वारा फैलाये जा रहे आतंक के विरोध में एस0 पी0, उन्नाव से मिलने जा रहे थे। उन्हें रास्ते में आर0 के0 सिंह ने सफीपुर थाने के कुछ सिपाहियों द्वारा रोका गवा। यह लोग सादी वर्दी में थे। उसी समय छात्रों व आर0 के0 सिंह तथा सिपाहियों के बीच मार-पीट भी हुई। यह सारी घटना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आदलत के फाटक के सामने सड़क पर हुई। और आर0 के0 सिंह द्वारा इकट्ठा किये गये गुन्डे एवं बदमाशों का नेतृत्व वे स्वयं सादी वर्दी में कर रहे थे। उस समय थाने के रोजनामचे में आर0 के0 सिंह ने अपनी रवानगी कहीं और कर रक्खी थी। और वह स्वयं उन्नाव शहर में उपस्थित थे। कोतवाली उन्नाव में श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध धारा 325 की दो रिपोर्टें क्रमशः शहजादे व छोटे लाल, निवासी सफीपुर द्वारा दर्ज करायी गई हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही

नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक सब इंस्पेक्टर की इस एडमिनिस्ट्रेशन में यह हालत है। इसमें उसका कसूर नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। एक ब्लाक प्रमुख का कत्ल हो गया और एक एम0 एल0 ए0 के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।

मैं आपकी इजाजत से इस सदन का ध्यान बिजनौर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक ऋषिवल्लभ सुन्दरयाल की बात बता रहा हूं यह नौजवान पब्लिक वरकर थे इनका कत्ल कर दिया। जब वसूली की जा रही थी उसके खिलाफ इसने हरिजनों की एक भारी मीटिंग बुलाई थी। तो उसको सब इंस्पेक्टर थाने बुला ले गये उसको रिक्शा में बैठा कर ले गये और डाक्टर के पास ले गये और डिक्लीयर करा दिया कि यह हार्ट एटेक से मर गया है। अध्यक्ष जी, तब आपको याद होगा उस पर बहस हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारे पास यह रिपोर्ट आई है कि उसको हार्ट एटेक हुआ लेकिन अब जब उसको केमिकल एक्जामिनेशन के लिये भेजा गया उसकी रिपोर्ट आई कि ऋषिकुमार को प्वायजन से मृत्यु हुई। तो हमारा ख्याल था कि उसको प्वायजन खिलाया गया इस बात को मेरे साथियों ने भी कहा था। तो वहां पर सब इंस्पेक्टर और एस0 डी0 एम0 ने आतंक फैलाया है तो वहां पर एक एडवोकेट हैं उन्होंने यह बात आपको लिख कर भेजी कि इनका ट्रांसफर किया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे सिवाय इसके मैं यही कहूंगा कि यह रिपोर्ट भी नहीं मंगाते हैं।

इटावे की बात कहता हूं आपने उसके बारे में कहा कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी होगी। मैं यह बात माननीय सदस्यों की नोटिस में लाना चाहता हूं। एस0 डी0 एम0 की शिकायत है, एस0 डी0 ओ0 शिकायत है, डी0 एस0 पी0 की शिकायत है, लोगों की शिकायत है कि यह लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो आप इनक्वायरी करेंगे मैजिस्टीरियल, वह कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो एस0 डी0, एस0 डी0 ओ0 हैं, जिनके खिलाफ शिकायत है तो वह क्या इनक्वायरी करेंगे। यह तो0 डी0 एम0 के मातहत हैं। तो इस तरह से हिन्दुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा तो मैं दुबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जुडिशियल इनक्वायरी की जाय और जो दोषी हैं उनका वहां से ट्रांस्फर किया जाय। हाईकोर्ट के जज से नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज से करायें। अध्यक्ष महोदय, आज वहां जिला बंद है। यह एक संगीन मामला है लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता है। आज मुझे मुलायम सिंह जी ने बताया कि इनकी जांच मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा होगी। लेकिन इसकी जांच जुडिशियल होनी चाहिये और जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें हैं उनका वहां से ट्रांस्फर होना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है कि शिवपाल सिंह को जो शिकायत हैं उस पर ध्यान दिया जाय और इन लोगों की जान की हिफाजत की जाय। जब तक आप सब-इंस्पेक्टर का इलाज नहीं करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए सदन में हिस्सा लेना, शांतिपूर्वक मुश्किल हो जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, चौधरी साहब ने जिन प्रश्नों को उठाया है अगर वह इसकी पूर्व सूचना हम को दे देते तो हम उसका विधिवत हर एक प्रश्न का उत्तर कर देते। पर एक आम बात मैं कहूंगा कि हम उस राय से अलग नहीं हो सकते, हमारा यह धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। हम न केवल माननीय सदस्यों का बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक की जान की सुरक्षा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—]

का भरपूर बंदोबस्त करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्नाव के श्री शिवपाल सिंह जी और उनके साथ के जो लोग हैं, जिनके नाम यहां लिये गये हैं, आज उनके मिनट्स से नाम लेकर उनके सम्बन्ध में यथावत् जितनी भी चेष्टा है, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करूंगा और उसकी सूचना चौधरी साहब को भी दे दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं बहुत कृतज्ञ हूं मुख्य मंत्री जी का। मैं साथ में यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ चीजें इतनी सिम्पेल होती हैं, जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें स्मरण होगा एक मर्तबा श्री बहुगुणा की जान को एक इलाहाबाद का गुन्डा आ गया था, जब सन् 67 में मैं मुख्य मंत्री था। मेरे पास वह आए और उन्होंने अपनी यह बात मुझे सुनाई, उनकी गाड़ी से पहले वह अपनी गाड़ी लगाये हुए था और उसने उनकी जान लेने का पूरा प्रयास किया। वह मुझ से इतना ही कह पाए थे और उन्होंने मुझसे ऐक्शन लेने के बारे में कुछ कहा भी नहीं। वह निकल गये। किन्तु उसी वक्त मैंने आर्डर दे दिया कि अगले दिन से एक शैडो माननीय बहुगुणा जी को दे दिया जाएगा। आपने यह चाहा नहीं था, केवल अपनी बात सुनाई थी। लेकिन मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसे किया। इत्तिफाक से मेरे हाथ में उस समय शक्ति थी। आप कहते हैं कि इस समय मुझे सारे तथ्य मालूम नहीं हैं, उन्हें आ जाने दीजिए। किन्तु आपको मालूम होना चाहिये जो मैंने आपको अप्लीकेशन सुनाई है, उसे मैंने अपनी सिफारिश सहित आपके पास भेजा है, आपको सुनाया है। क्या इतना काफी नहीं है? मेरी बात का कोई विश्वास नहीं है, तथ्य चाहिये आपको? इसी तरह का श्री फतेहबहादुर का भी मामला है, जिसे भी मैंने सुनाया है। आप किसका यकीन करोगे? मामूली सब इन्स्पेक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी अप्लीकेशन और साथ में एक माननीय एम0 एल0 ए0 और मेरा भी कथन। मैंने उस सब इंस्पेक्टर के कारनामे तफसील से सुना दिए हैं। आई0 जी0 से मिल चुका हूं, अब आप डी0 आई0 जी0 से जांच कराओगे। इसी तरह से श्रृषिबल्लम की हत्या की गई। मैंने जब सारे तथ्य बताए तो आपने उसका यकीन नहीं किया। मैंने पहले ही विष देने का संदेह व्यक्त किया था। बाद में आप देखें कि केमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट में वही सच्चाई सामने आ गई। आखिर यह डेमोक्रेसी है, हम लोग जनता के सेवक हैं। हम लोगों को भी गवर्नमेन्ट के साधन अपनी हिफाजत में इस्तेमाल करने का हक है। किन्तु आपके दिमाग में घुस गई है कि वी आर दि प्रोपराईटर आफ दि स्टेट ऐण्ड आल अदर्स आर दि सेकेण्ड-ग्रेड सिटीजंस आफ दि स्टेट। जो कांग्रेस नहीं है, वह एक नागिरक भी नहीं है, ऐसा आप समझते हैं। आपने आखिर उसकी क्यों नहीं जांच की, क्यों नहीं उसका बिजनौर से ट्रांसफर किया। इससे आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। हम लोग और माधो प्रसाद जी आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो कहा जाएंगे? हम लोग किस के पास जाएंगे? एक बहुत प्रसिद्ध आदमी हमारी कांस्टीटुवेंसी के हैं, प्रमुख भी हैं, उनके कत्ल का प्रयास किया गया। उसमें सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस क्या कर रहे हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं तो यह कहना चहता हूं कि जिन लोगों की हम तक या चौधरी साहब तक पहुंच नहीं है कि उनकी बात यहां सुनाई जा सके, उनका क्या हाल होगा, उनके लिये क्या दवा है?

ऐसे कितने लोग हैं, जिनकी आवाज यहां तक पहुंच पाती है, जबकि आज हर जगह अत्याचार हो रहा है, लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है । जो जुल्म करते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती है, उनको इनाम दिया जायगा, मिडेल दिया जाएगा, और उनका किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा ।

श्री राम मूर्ति—

मैं भी आपकी नोटिस में यह बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के जो एक मेम्बर थे, श्री गोरेलाल शाक्य, उनको मारने के लिये क्या किया गया। उसे मार दिया गया, उसकी बीबी को मारा गया, उनकी बीबी जो चादर ओढ़े सो रही थीं, उसे मार दिया गया—

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

वह इस सदन के सम्मानित सदस्य थे, उनके लिये आप ढंग से, सदन के डिकोरम के हिसाब से बात करें। 'उसे' 'उसे' आप क्या कह रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति—

ठीक है, यह काबिल आदमी हैं, हम नाकाबिल हैं। आप जरा मौका देखकर बात किया करें। जब उसका कत्ल हो गया, 6 बजे पुलिस पहुंच गई— और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को शहर के अन्दर दस बजे तक खबर नहीं, उसकी लाश को उठा ले गये। लोगों को करीब आने नहीं दिया। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पता लगता कि वहां के शासन के अधिकारियों को कोई इस बात से जरा सी दिलचस्पी है ।

(व्यवधान) मैं जरा इस तरह की बात नहीं करना चाहता। आम शिकायत है कि यहां पर एक मिनिस्टर रह चुके हैं उनके जरिये सब कार्यवाही हो रही है। मैं क्यों इस तरह से नाम लूं ? मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन गवर्नमेन्ट के सामने बातें आती हैं। उनकी पूरी तरह से दिलचस्पी लेनी चाहिये। जो मेम्बर साहब हैं भागते फिरते हैं। आपके सामने सवाल लाया गया आपके यहां से हुक्म हो गया कि सबजुडिस हो गया। उसके नाम पर जो वाकयात नोटिस में आने चाहिये वह नोटिस में नहीं आये। माननीय मुख्य मंत्री पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। उनको देखना चाहिये ताकि मेम्बर साहब को कुछ शान्ति हो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जैसा कि चौधरी साहब ने मेरे सम्बन्ध में जो कहा मैं उनका अनुगृहीत हूं। मैंने उनको बात सुनायी। उन्होंने फैसला कोई ले लिया। उस फैसले के लिये मैं व्यक्तिगत रूप से अनुगृहीत हूं ।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने इस खयाल से नहीं किया था। मैंने कहा कि इसी प्रकार काम करने से सुरक्षा रहेगी । आपने चाहा नहीं था ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

(व्यवधान) यहां बिलकुल नोक नहीं है, उधर से झोंक होती है। माननीय माधव बाबू को लाठी, तलवार सिखाने का शौक है। उन्हें तलवार दिखती है सपने में।

मैं इतना वादा चौधरी साहब से करता हूं कि उन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसकी संतोषजनक व्यवस्था करूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी थी। मैंने इस तस्वीर के आधार पर नियम 56 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस सेवा दल के वालंटियरों की सलामी लेते हुए माननीय बहुगुणा जी की यह तस्वीर है। यह तस्वीर सूचना विभाग ने प्रेरित की है। सूचना विभाग का काम यह है कि कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ दल के जितने कार्यक्रम हैं उनका प्रचार किया करे।

अभी पिछले दिनों में ज्ञानस्वरूप भटनागर जो कानपुर के रहने वाले हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक किताब लिखी "परिक्रमा उत्तर प्रदेश" 200 पेज की वह किताब है, 20 रुपये उसका दाम है। इसमें हजारों रुपये के विज्ञापन हैं, जिनमें प्रदेशीय सरकार के विज्ञापन हैं। सूचना विभाग उस किताब को 20 रुपये में खरीद करके मुफ्त बांट रही है। इसी तरह से एक पोस्टर निकाला गया है, सूचना विभाग द्वारा। उसकी निचली लाइन है, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री बोला करते हैं, उसमें है, हम अव्यवस्था नहीं होने देंगे। सूचना विभाग का जिस तरह से सरकार के लिये बल्कि सरकारी पार्टी के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर यहां बहस होना जरूरी है। लोकतन्त्र में बहुत खराब स्थिति उस वक्त मानी जाती है जब सत्तारूढ़ दल बहस से बचता है। मैं आया जो कह रहा हूं उसको बहस का नतीजा मान लिया जाय। आप इसको नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार करें। सूचना विभाग के मिसयूज के और बीसों मामले उठाये जा सकते हैं अगर आप बहस की इजाजत देंगे। या तो कार्यस्थगन मंजूर करें या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर बहस के लिये समय तय करें और इस पर सदन में बहस हो।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे और सदन में शोर हुआ)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

(प्रारम्भिक भाग सुनायी नहीं दिया।) शासन के जरिये जो बीसों हजार मजदूरों की छटनी करने के आदेश दिये गये हैं, सिंचाई विभाग के, पी0 डब्लू0 डी0 के, विद्युत् विभाग के मजदूर, आज उनकी छटनी होने जा रही है। उनको नोटिस दे दिये गये हैं। पहली जनवरी के बाद वह अलग कर दिये जायेंगे। आज जो गम्भीर स्थिति इसमें पैदा हुई है इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री त्रिपाठी के साथ श्री सत्यपाल मलिक भी बोलते रहे)

मैं चाहता हूं कि इस संबंध में आप इसके लिये इजाजत दें कि इस पर वार्ता हो, चर्चा हो।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय (व्यवधान तथा शोर)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

यह उनकी जिन्दगी पर चोट हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि

(व्यवधान)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, आज जो इस तरह का सवाल है ।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री सत्यपाल मलिक--

अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिये ।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाता हूं कि बीसियों हजार मजदूरों के हटाने के आदेश दिये गये हैं ।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री सत्यपाल मलिक--

इस पर बहस होने की बहुत जरूरत है ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी--

हम सब लोग मिल कर जनता की भलाई कर सकें । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(व्यवधान तथा शोर)

श्री सत्यपाल मलिक--

कांग्रेस पार्टी की तस्वीर बनाने के लिये इस विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(व्यवधान तथा शोर)

चौधरी चरण सिंह--

इस पर चर्चा करने के लिये कोई समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

पहले इसकी कापी तो भेज दें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, पहले इसकी कापी हमारे पास आये तो हम देखें कि यह ग्राह्य है या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं कन्वर्ट कर देता था। लेकिन इतनी संख्या हो जाती थी 20/20, 25/25 इसी आशा में कि इसको कन्वर्ट कर दिया जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह बहुत खराब बात है।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये अब आप नोटिस दें तो इस पर विचार हो सकता है।

चौधरी चरहण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप अनुमति दें या न दें। अब हम नो कांफीडेंस मोशन लायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी तरफ से ही रुका हुआ था। मेरी तरफ से नहीं।

चौधरी चरण सिंह—

हम उसको भेज चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अब सब बातें आ जायेंगी। माननीय नेता विरोधी दल ने मुझ से कहा था कि जब तक मैं न कहूं अविश्वास का प्रस्ताव न मानें। आपने कह दिया कि अविश्वास का प्रस्ताव है तो मैं समय निश्चित करने के लिये सो चूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरी राय है कि जब यह प्रस्ताव आ रहा है तो जाब्ते के साथ इस पर बहस हो जाये। 2 और 3 तारीख में हो जाय।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, 2, 3, 4 और 6 तारीख में हो जाये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, हम इसके लिये राजी नहीं होंगे। दो दिन के लिए रखा जाये।

चौधरी चरण सिंह—

दो दिन के लिये मैं राजी नहीं हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तो रहने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब अलग-अलग बोलिये समय नहीं है। अविश्वास के प्रस्ताव में सारी बातें आ जायेंगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक बात सुन लीजिये। (व्यवधान) इलाहाबाद में 50 छात्र गिरफतार हुये हैं। (व्यवधान) 12 लड़क निकाल दिये गय हैं विदेश कुमार के मकान पर

कुर्की हुई है। (व्यवधान) इसका सीधा संबंध प्रशासन से हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर ने यह कहा था कि 2 जनवरी को विश्वविद्यालय खोला जायगा, तो मेरा निवेदन यह था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सुचारुरूप से चले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह काम जो आज का है यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान—कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जो साफ़ सुनाई नहीं पड़ा)।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश भूमि विकस कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974†

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे कार्य-स्थगन के लिये स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह जो नम्बर 8 है यह कराधान के बारे में है.....

श्री अध्यक्ष—

यह कराधान के बारे में नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह कराधान विधेयक के बारे में है। इन सबके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

---

†26 दिसम्बर, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह जो है यह आप ही की तरफ से है। अननुमोदन आ जाय तब आप बेशक अपनी राय दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हमको अननुमोदन के बारे में कुछ नहीं कहना है। उसके पहले मुझे कुछ कहना है। अननुमोदन के बारे में माननीय ओम प्रकाश जी कहेंगे। इसके बारे में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि मैं तो चाहता था कि इसके साथ ही विधेयक के बारे में कुछ कह दूं। मान्यवर, मुझे याद है कि जब पिछली बार विधेयक आया था, उस समय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि 5-5 विधेयक एक साथ लाये जायं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर विकास कर और सवा 6 एकड़ पर फिर से लगान लगाने और बिजली का कर बढ़ाने के लिये यह आपके विचाराधीन होगा। मेरा ख्याल है कि यह विधेयक बिलकुल किसान विरोधी है और यह गरीब जो जनता है, जिनको असहाय कहते हैं, उनकी विरोधी है। मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में समय-समय पर कहा है कि 200 करोड़ रुपये की हमको आवश्यकता है। इनको शोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक से इन्तजाम किया होता और ठीक से विकास-कार्य को किया होता। यह मैं पहली दलील देता हूं और दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने मितव्ययिता किया होता, जैसा इन्होंने यू0 पी0 निवास के बनवाने में खर्च कर दिया, ऐसा न किये होते तो कदाचित इनको यह कर लगाने की जरूरत न पड़ती। मान्यवर, मैं किसानों के बारे में 2-4 बातें कह दूं कि जितनी दयनीय दशा उनकी है, आज किसी की ऐसी दशा नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने आज कहा और रोज कहते हैं। इनको बराबर बिजली नहीं मिलती। इनकी खाद इनकी शक्ति से बाहर चली गई। 17 करोड़ रुपये की खाद इनकी एग्रो डिपार्टमेंट में पड़ी है, लोगों ने उठाया नहीं। उनके इस्तेमाल की चीजें बड़ी मंहगी हो गयी हैं। इन बढ़ती हुई कीमतों के कारण चीजें बहुत महंगी हो गयी हैं। इस कांग्रेस सरकार ने अनेक बार निर्णय लिया है, कि सवा एकड़ अथवा अनार्थिक जो जोते हैं उन पर लगान बन्द किया जायेगा। 1921 में करांची कांग्रेस का फैसला हुआ था, 1942 में इसी तरह की घोषणा हुई थी और 1967में भी इसी तरह की अपनी राय व्यक्त की थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रभूनारायण सिंह जी जब यहां इस सम्बन्ध का बिल ला रहे थे उस समय माननीय कमला पति त्रिपाठी जी न कहा कि मान्यवर, मै विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इसे प्रवर समिति को न भेजा जाये और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1930 में भी यह सिफारिश की गयी थी 1966 में भी मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था.....

श्री अध्यक्ष--

वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री भीखा लाल--

माननीय सदस्य नाराज न हों । मुझे त्रिपाठी जी के बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मान्यवर, आपसे व्यवस्था चाहता हूं। पहले संकल्प प्रस्तुत हो जाये तब यह बोलें चाहे 2 घंटे बोलें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी किरा हिसाब से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था का सवाल उठाया वह नियमत: ठीक था। व्यवस्था तो यही है कि पहले अननुमोदन करते, इसके बाद.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आज इनकी स्थिति ऐसी है। अगर इन्होंने दूसरे साधनों का उपयोग किया होता तो कदाचित् इन गरीबों पर टैक्स लगाने की स्थिति उत्पन्न न होती। जैसा कल कहा गया था कि 200 करोड़ रुपया बकाये का वसूल करना अभी बाकी है। तो फिर टैक्स क्यों लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनका प्रबन्ध कैसा है। मान्यवर, इनका प्रबन्ध चुस्त नहीं है । मैं दो सवालों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं कि अगर इन्होंने बकाये की रकम वसूल की होती और प्रशासन को चुस्त किया होता तो इनको कर लगाने की आवश्यकता न पड़ती। बिजली से लगभग 33 करोड़ का प्रतिवर्ष घाटा होता है। 3 करोड़ की चोरी हो गयी, बालिगा साहेब ने बताया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात की ओर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है। सरयू पम्प कैनाल में इन्होंने इतना रुपया खर्च किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैंने इसका उत्तर इसीलिये दिया है कि इनको तो इन्होंने छोड़ दिया है लेकिन गरीब किसानों पर टैक्स लगा दिया। मैं ज्यादा इस पर भाषण नहीं देना चाहता। मेरे भाई नाराज हो गये। मैं कहता हूं कि ये इसे वापस लें नहीं तो इस सदन का काम चलेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस कर लें?

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इनसे बड़ा भयंकर आन्दोलन प्रदेश में होने जा रहा है।

एक सदस्य--

यह काला कानून वापस लिया जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश में ये ऐसी स्थिति पैदा न होने दें जिससे सारे प्रदेश में ही आन्दोलन हो जाय ।

[एक साथ कई सदस्य (जनसंघ) अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे।]

श्री अध्यक्ष--

अभी आप तो अपनी बात कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

एक साथ बोलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है । यदि आपको कुछ बोलना है तो मैंने इजाजत दे ही दी है । इसलिये आप कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठें और अगर आप में से एक आधा बोलना चाहें, तो मैं इजाजत देता हूं ।

एक तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कुछ कहा. . . . . .

(व्यवधान)

(जनसंघ दल की ओर से "किसान विरोधी काला कानून वापस लिया जाय" के नारे लगाये गये ।)

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

हमारे माननीय मुख्य मंत्री को जान नहीं पड़ा और ये बिक्री-कर बराबर बढ़ाये जा रहे हैं ।

हमारा कहना है कि इस काले कानून को वापस लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

बात तो यह है कि अभी जनसंघ के नेता, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी बात कही । अभी हम दूसरे आइटम पर आये नहीं । क्या आप सब लोगों को उनके वक्तव्य से विरोध है या किसी और चीज से है ? अननुमोदन के सम्बन्ध में 3-3 सूचनायें मिली हैं, न तो आप बिल का अननुमोदन करना चाहते हैं. . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं. . . . . .

क्योंकि हमने देख लिया कि यह जो विधेयक लाया जाने वाला है, अध्यादेशों के अनुमोदन के लिये जो आइटम रखा है, एक प्लान बनने जा रहा है बहुत भयंकर आन्दोलन का उत्तर प्रदेश में । तो आसानी से हम नहीं मान जायेंगे । अगर बाहर जेल में जायेंगे तो कम से कम इतना तो बर्दाश्त करें ।

श्री अध्यक्ष--

आप विरोध पक्ष में हैं, विरोध आप करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

विरोध करने के तरीके भिन्न हैं । हम जान गये कि यहां ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको गिरा सकें, लेकिन हमारी आंखों के सामने विधेयक नहीं पास होगा, हमारी गैरहाजिरी में जो चाहे सो करें ।

श्री अध्यक्ष--

आपका जो संसदीय उपाय है आपके लिये अभी सुरक्षित है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वह हमें न सिखाइये, वह हमें मालूम है । जब हमको बड़े से बड़ा कानून डिफाई करना है, इस सदन के बाहर आन्दोलन करना है, चाहे दफा 88 हो, गुंडा ऐक्ट हो, चाहे मीसा

हो, उसको जब हम फेस करने के लिये तैयार हैं इसे प्रेस करने के लिये कि ऐसी चीजें नहीं रखी जायेंगी। यह कानून गरीबों का शोषक है, ऐंटी–किसान है। यह तो कभी अवसर आयेगा तो कहा जायगा। लेकिन हम इनको चलने नहीं देंगे। इसके प्रति हमारा दल और हम समझते हैं कि सभी दल दृढ़ हैं कि यह विधायक लागू नहीं होने देंगे अगर इन्होंने पास करा लिया तो भी पैसा वसूल नहीं होने देंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)––

एक ऐसे दल को ही इस सदन में मान्यता आप देते हैं उसके विधान और उसके घोषणा–पत्र के आधार पर। एक खास घोषणा–पत्र की बुनियाद पर आये हुये कांग्रेस दल के सदस्य क्या अपने घोषणा–पत्र के विरोध में, उसका उल्लंघन करके सदन में कोई ऐसा बिल ला सकतेहैं? मेरा कहना है, नहीं। इनका यह बिल लाने का अधिकार ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी यह बिल लाती है तो उसका रिकगनीशन इस सदन में बुनियादी तौर पर समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान शोर)

(काला कानून वापस हो, किसान विरोधी कानून वापस हो के नारे।)

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। विरोध का ढंग आपका है लेकिन अभी तो सदन के समक्ष कोई कार्य नहीं है। अगर आपकी तरफ से अननुमोदन का प्रस्ताव आ जाय और ये अपना ले आयें तब तो हम समझ सकते हैं कि एक अवसर है, औचित्य है। इस समय किस चीज का विरोध ?

(व्वयधान)

राजनीतिक दलों के बाहर के घोषणा–पत्र से यह सदन चले या उसकी हैसियत नैतिक है, कानूनी है यह सब विचारणीय विषय हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

मैं वैधानिकता की बात पूछता हूं। इस संकल्प को यहां पर लाने का सरकार को कोई नैतिक और कानूनी हक नहीं है।

(व्वयधान)

(जनसंघ दल के सभी विधायकों द्वारा खड़े होकर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष––

अगर आप नहीं बैठते तो मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 2 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)––

मान्यवर, थोड़ी देर के लिये इस सदन को स्थगित कर देने से कोई मतलब हल नहीं होने वाला है जब तक कि आप इस विधेयक को पेश होना स्थगित नहीं करते। इस विधेयक पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

हम किसी तरह से भी किसानों के शोषण के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। यह विधेयक किसानों के शोषण, किसानों की हत्या और जनता के साथ विश्वासघात से सम्बन्धित है जिस पर आप इस हाउस में डिस्कशन करवाना चाहते हैं। इस पर हम किसी तरह से भी डिस्कशन नहीं करने देंगे। सरकार तो यहां एयर कंडिशन हाउस में बैठी हुई है और इस जाड़े की ठंठक में किसानों के ऊपर पानी डाल रही है। इस सरकार के ऐसे काले कारनामे हैं कि वह किसानों पर डेढ़ सौ गुना और ढाई सौ गुना टैक्स विकास कर के नाम पर बढ़ा रही है। जो कर सरकार ने पहले लगाया था उसको वसूल भी नहीं किया है और उनको खर्च नहीं किया है, फिर भी वह इस टैक्स को लगाने जा रही है। इसलिये आप इस विधेयक को पेश न होने दें। हम लोग इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि हमने यह विचार कर लिया है कि हम इस विधेयक को पेश नहीं होने देंगे। पूंजीपतियों को इस सरकार ने हमें चुनौती भी दी है कि आप लोग आन्दोलन के लिये तैयार होकर आवें इस विषय के ऊपर, हम इस विधेयक को लावेंगे। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है और उसका श्री गणेश हमने आज इस सदन से ही किया है कि इसको हम पेश न होने देंगे, न हमारे सामने पास होगा और न उसकी वसूली हो पायेगी, यदि हमारी बातों में कुछ वजन है तो। मान्यवर, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने कोई जरा भी रियायत नहीं की इसलिये हम दिन भर के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, आज इस सदन के अन्दर मैं सुबह से ही देख रहा हूं कि सरकार की किसान विरोधी नीति है। किसानों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स वालों को माफ किया जा रहा है। सुबह से मैं इस आशा में था कि बिजली के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान होगा लेकिन वह नहीं आ पाया। आज किसान पहले से वैसे ही परेशान हैं लेकिन उनके ऊपर विकास कर के नाम पर टैक्स लगाया जा रहा है। जब कि दूसरी तरफ आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सरमायेदारों के ऊपर से टैक्स माफ कर रहे हैं। जिस कांग्रेस सरकार ने पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अलाभकर जोतों पर विकास कर नहीं लगेगा उसी कांग्रेस पार्टी के लोग अपने उन वसूलों से हट कर जो पहले गरीबों के बड़े हामी बनते थे, गरीबों के रहनुमा बनते थे, और उनके नाम पर आंसू बहाते थे, आज इस तरह की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा पेश विकास कर विधेयक नहीं पास होना चाहिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिस सरकार का ऐसा आचरण हो कि वह अपने ही चुनाव घोषणा-पत्र से हट कर इस तरह का विधेयक ला रही है, उसे कत्तई स्वीकार न किया जाय। कानूनी तरीके से या संवैधानिक तरीके से इसका उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह इस तरह का विधेयक सदन के सामने लावे ।

(व्यवधान)

इसलिये मान्यवर, आपसे निवेदन है कि या तो इस विधेयक को वापस लिया जाय नहीं तो नैतिकता का तकाजा है कि यह सरकार इस्तीफा दे दे। जनहित में इस्तीफा दे दे। जो यह जनता पर लगान लगाया है यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूंकि यह कहां की नैतिकता है कि मुख्य मंत्री जी ने यह विधेयक पेश करने का इरादा किया है। इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ यह अन्याय है। शासक दल को ऐसी परिस्थिति में इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं है। यह नैतिकता का तकाजा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव घोषणा-पत्र में भी नहीं लिखा है कि आप इन गरीबों पर यह बोझ लादें और लगान लगायें। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब किसानों पर लगान फिर से लगाना उचित है। क्या वह.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह विधेयक किसानों के, जनता के विरुद्ध है। ऐसा करके आप उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिये मेरा कहना है कि इसको वापस लिया जाय। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं यह उसकी जिम्मेदारी के खिलाफ है। सत्ता पक्ष की बेंचों पर बैठने वालों के मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, पिछले सदन में दिये गये भाषणों को पढ़ा जाय। मान्यवर, यह नैतिकता नहीं होगी कि लगान को फिर से लगाया जाय। मैं यह सवाल करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे :--

श्री ओम प्रकाश सिंह ।
श्री मोहन लाल कपूर ।
श्री अवधेश कुमार ।
श्री श्रीनारायण ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी अनुपस्थित हैं ।

दूसरा संकल्प निम्नलिखित सदस्य प्रस्तुत करेंगे :—

श्री अवधेश कुमार ।
श्री ओम प्रकाश सिंह ।
श्री मोहन लाल कपूर ।
श्री श्रीनारायण ।

सभी अनुपस्थित हैं ।

अगला संकल्प निम्नलिखित मा0 सदस्य प्रस्तुत करेंगे :—

श्री अवधेश कुमार ।
श्री ओम प्रकाश सिंह ।
श्री मोहन लाल कपूर ।
श्री भीखा लाल ।

अनुपस्थित ।

(श्री भीखा लाल के खड़े होने पर ।)

*चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इसको जितने विरोधी दल हैं वह पेश नहीं होने देना चाहते हैं और मान्यवर, यह विधेयक जनता के हित में नहीं है। इस बात को मुख्यमंत्री महोदय स्वयं मानते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस दल के मंत्री श्री सालिग राम जायसवाल ने इस्तीफा भी दिया था। तो इससे स्पष्ट है कि यह विधेयक जनहित के, किसानों के विरूद्ध है। मान्यवर, इसलिये यह विधेयक अब पेश नहीं होना चाहिये। इस बात को लेकर हमारा दल सदन का त्याग करता है। (चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(शोर, आपस में बातचीत ।)

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री श्री तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है, दुनियां के कांस्टीट्यूशन को तिवारी जी जानते हैं। इस सदन में सभी माननीय सदस्यों और मंत्रियों से उनको ज्यादा गहन ज्ञान है और उन्होंने गहन अध्ययन किया है। लेकिन इतना राजनीतिक जीवन काटने के बाद और सारी दुनियां की विधान सभाओं की कार्य प्रणालियों और जनताकी कार्यवाहियों का अध्ययन करने के बाद तिवारी जी दिल पर हाथ रख कर नहीं कह सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ों जनता के साथ जुर्म नहीं है। इस सरकार ने यह तय किया था कि छोटे किसानों के ऊपर कोईकर नहीं लादा जायेगा और कर से सवा छः एकड़ वाले किसानों को मुक्त किया जायेगा। लेकिन कुछ सालों बाद अब इस सरकार ने, मुख्य रूप से मैं श्री तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि, सारे विकास की योजनाओं की रीढ़ सवाछः एकड़ का किसान ही है। जिसके पास इतना अन्न नहीं पैदा होता है जिससे कि उसके परिवार का खर्च चल सके। इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं कहूंगा कि इस विधेयक को लाकर इस सदन में ज्यादा गर्मी लाने का वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी प्रयास न करें। मैंने कटौती के प्रस्ताव में कहा था कि आप उन बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं के ऊपर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मैं बहुत अदब के साथ अध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्री तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि यदि सदन चलाना है तो छोटे किसानों के ऊपर भार करों का न लादें। इसी आधार को लेकर विस्तार से चौधरी साहब क्या बतायेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन हमारे जो सोशलिस्ट भाई हैं, श्री रामायण राय, श्री प्रभु नारायण सिंह, ओम प्रकाश जी और कुछ सदस्य जो दुनिया के गरीबों के हृदय हैं उन्होंने भी इसकी विरोध किया है। दूसरी तरफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भाई हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

आप चौधरी साहब से क्या ज्यादा किसानों के हमदर्द हैं?

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

इसलिये मान्यवर, भूमि विकास कर तथा भू-राजस्व अध्यादेश को वापस लिया जाय नहीं तो हम भी अपनी पार्टी की तरफ से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(श्री भगवती प्रसाद सदन त्याग कर चले गए)

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विकास-कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का अननुमोदन करता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश भू-राजस्व के संबंध में जारी किया गयाहै उसके जरिये से 1971 में जो सवा छः एकड़ की जोतें थी उन का लगान माफ किया था जिनको आज तक हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी अलाभकर जोत मानती आयी है उन पर पुनः लगान लगाने का यह अध्यादेश है। इसी अध्यादेश के जरिये से विकास कर की दरों में भी वृद्धि की गयी है। मान्यवर, इन दोनों टैक्सों से आज प्रदेश के गरीब किसानों में काफी बड़ी हलचल है और इसका कोई स्वागत नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्ता पार्टी के अन्दर भी शायद बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो कि इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं और इसका उदाहरण मौजूद है कि माननीय सालिग राम जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया है। यह अध्यादेश स्वागत योग्य नहीं है इसलिये मैंने इसके अननुमोदन का प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार की ओर से खड़े होकर इसकी वकालत की जायगी कि आज उत्तर प्रदेश बहुत ही अर्थ संकट में है, इसलिये उससे निकालने की कोशिश की जा रही है और कुछ टैक्स लगाने के प्रस्ताव भी आये हैं। मान्यवर, संकट की झलक तो हमने बजट सेशन में ही देख ली थी। उस समय यह बतलाया गया था कि 18 करोड़ का घाटा है लेकिन अब समाचार पत्रों से सरकारी बयानों से खबरें मिल रही हैं कि यह घाटा अब 100 करोड़ से ऊपर है। उसका नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश के सारे विकास के काम ठप्प हो गये हैं और योजनायें बंद पड़ी हैं। निर्माण कार्य न होने से आज छोटे-छोटे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। खाली सार्वजनिक निर्माण विभाग से 13,000 कर्मचारी निकाले गये हैं। यह सभी चतुर्थ श्रेणी के हैं। हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रक्खा था। उसको वह प्रेस कर रहे थे

[श्री भीखा लाल]

कि आप उसको स्वीकार कर लें। उसके पीछे भावना यह थी कि अगर सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह कह रहे हैं कि उनके पास निर्माण के लिये पैसा नहीं है। इस कारण कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो हम कहेंगे कि इतनी बड़ी फौज बड़े अफसरों की क्यों रक्खी जा रही है। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ही छटनी क्यों की गई है। हजारों की तादाद में जूनियर इन्जीनियर्स और इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स तथा अधीक्षक क्या कर रहे हैं। दूसरे अन्य बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे। तो पैसे की कमी के कारण सिर्फ मजदूरों की ही छटनी क्यों की जा रही है। इस अर्थ संकट से निकलने के लिये छोटे किसानों और मजदूरों व छोटे कर्मचारियों पर ही भार डाला जा रहा है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। यहां तक हमारे मुख्य मंत्री जी ने अक्तूबर में अखबारों में घोषणा कर दी थी कि हमारा संकट इतना गहरा हो गया है कि शायद दिसम्बर के बाद वह सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे। इससे बड़ा और क्या संकट हो सकता है। इससे निकलने के लिये राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहायता मांगती है तो वह मिलती नहीं है। केन्द्रीय सरकार खुद दलदल में फंसी हुई है। इसके पास पैसा नहीं है इसलिये उसने इन्कार कर दिया है। सूखा पड़ने पर भी उससे सहायता मांगी गई थी लेकिन उसने मना कर दिया था। केन्द्र और प्रदेश में पिछले वर्षों में घाटे के बजट बनाये जाते रहे हैं। उसको पूरा करने के लिये मुद्रा प्रसार किया गया और इसी कारण पूरे प्रदेश में जबरदस्त मुद्रा स्फीति है। सरकार के अनुसार रूपये की कीमत केवल 27 पैसा रह गई है यद्यपि अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि वह 20 पैसे से भी कम है। तो आज यह स्थिति है, यह विचारने की चीज है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति के पैदा होने के कारण क्या हैं। कारण है कांग्रेस की आर्थिक नीतियां।

अपने देश के विकास का रास्ता जो अपनाया गया है, पूंजीवादी देशों के विकास के रास्ते के आधार पर है। हमारे उत्पादन का तरीका वही है जो दूसरे पूंजीवादी देशों का है। वितरण का तरीका वही है तो दूसरे पूंजीवादी देशों में है। हमारे डिवीजन आफ लेवर की पद्धत्ति वही है जो दूसरे पूंजीवादी देशों में है। हमारा देश भी उन्हीं पूंजीवादी देशों की बाजार का हिस्सेदार है, उनकी एक कड़ी है। इसलिये जब पूरे पूंजीवादी देश आर्थिक संकट में हैं, तो हिन्दुस्तान भी उससे कैसे बच सकता है। अमरीका का डालर डूब रहा है। इंगलैन्ड का पाउण्ड गिर रहा है, जापान के एन की भी वही स्थिति है। अमरीका, इंगलैन्ड और अन्य पूंजीवादी देशों में महंगाई चरमसीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हम इस देश में और प्रदेश मेंउसी प्रणाली पर जब चल रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार उस संकट से कैसे बच सकती है। चूंकि कांग्रेस सरकार ने जो नीति अपनायी है, वह पूंजीवादी विकास की नीति अपनायी है और उसी की वजह से आज यह सारा संकट आया है और वह संकट गहरा होते-होते इतना भंयकर हो गया है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि दिसम्बर के बाद सरकार अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं दे पावेंगे। यह संकट की चरम सीमा है। आज इस संकट से निकलने का रास्ता ढूढ़ने का साहस इस कांग्रेस सरकार में नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। देश और प्रदेश की आय बढ़ी है। लेकिन इस विकास का फायदा हमारे देश और प्रदेश की आम-जनता को जो होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। बढ़ी हुई आमदनी चन्द आदमियों की मुट्ठी में पहुंच गयी। इजारेदारों के हाथ में पहुंच गयी। क्या इस सरकार में साहस है कि उन इजारेदारों की दौलत अपने हाथ में ले?

क्यासरकार में साहस हैं कि चीनीमिलों का राष्ट्रीयकरण करे, जिसके लिय कहा जाता है कि हम बचनबद्ध हैं और जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ सकती है। क्या सरकार में साहस है कि कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करे, हिन्दालको का राष्ट्रीयकरण करे, वनस्पति–उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे ; मान्यवर, नहीं साहस इस सरकार में है। क्या सरकार में साहस है कि हमारे देश की उत्पादन–व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण करे, वितरण–व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण करे। नहीं है साहस। और, मान्यवर, इसी का कारण है कि आज हमारे देश मेंमहंगाई चरम–सीमा पर पहुंच गयी है। हर तरफ संकट है। ऐसा संकट है कि इसके निवारण का कोई रास्ता सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है।

मान्यवर, हमारे देश में अपार, कालाधन है, लेकिन उसको निकालने का साहस इस सरकार में नहीं कि उसके लिये कदम उठाये।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)––

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का बयान हो चुका है कि हम और ये एकटीम के हैं, हमारा आदर्श कम्युनिज्म है। तो अच्छा होता कि माननीय सदस्य बजाय यहां कहने के अपनी बात मुख्य मंत्री जी के एन्टी–रुप में समझा देते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)––

मैं आभारी हूंगा कि चौधरी साहब सुन लें।

श्री भीखा लाल––

मैं तो आपको भी चौधरी साहब समझाना चाहता था लेकिन आपकी आधी टीम चली गयी, आप यहां क्यों बैठे हैं।

मान्यवर, मैं कहना चहता हूं कि सरकार में साहस क्या नहीं है कि कोई रास्ता इस संकट के निवारण के लिये ढूंढे। इस साहस को बटोरने के लिये नीतियों में परिवर्तन करना होगा। इसके लिये इजारेदारों पर हमला करना पड़ेगा। उत्पादन के केन्द्रों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये आगे बढ़ना होगा और काले धन को निकालने के लिये बड़े-बड़े पूंजी पतियों तथा सरमायादारों पर हमला करना पड़ेगा और इस प्रकार वर्ग संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश की प्रधान मंत्री कहती हैं कि उनको वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं है जो कि 9 दिसम्बर, के नेशनल हेराल्ड में मैंने पढ़ा था लेकिन उसी अखबार में दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी ने कानपुर में भाषण दिया कि हमारे देश में जो संकट है उसका सबसे बढ़ा रोग पूंजीवाद है। जब तक इसको नहीं मिटायेंगे तब तक यह रोग दूर नहीं हो सकता। अगर पूंजीवाद को मिटाना है तो वर्ग संघर्ष करना होगा।

हेमवती नन्दन बहुगुणा जी चाहे कितने ही अच्छे, प्रगतिशील तथा समाजवादी विचारों के हों मगर वह एक ऐसी संस्था से बंधें हुए हैं जिसने अपनी आर्थिक नीतियों का खूंटा गाड़ रक्खा है और मोटी जंजीर डाल कर मुख्य मंत्री जी के गले में बांध रक्खी है वह उसी खूंटे के इर्द गिर्द वह नाचते रहेंगे न खूंटा उखाड़ पायेंगे और न जंजीर तोड़ पायेंगे और वर्ग संघर्ष कभी भी नहीं आ पायेगा। प्रधान मंत्री कहती हैं कि वह वर्ग संघर्ष नहीं कर रही हैं।

[श्री भीखा लाल]

सिद्धान्त रूप में वह भले ही यह मानती हों लेकिन मैं मिसालें दे कर बतला सकता हूं कि वह भी वर्ग संघर्ष चला रही हैं। अब जब सरकार को साहस नहीं होता कि वह मदों के नये स्रोतों को ढूंढें और देश की आदमनी को बढ़ायें तो वह टैक्सों को बढ़ा रही हैं। टैक्स का सिद्धान्त तो यही माना गया है कि टैक्सों का बोझ बड़े आदमियों पर पड़ना चाहिये, गरीब आदमियों पर नहीं पड़ना चाहिये लेकिन जिस व्यवस्था के माध्यम से टैक्स लगाये जाते हैं उससे टैक्स का बोझ गरीब पर ही पड़ता है। लेकिन टैक्सों के प्रस्तावों पर मुलम्मा इस प्रकार का चढ़ा कर रक्खा जाता है कि इसका बोझ गरीबों पर नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर टैक्स लगा कर कहा गया कि विकास कर लगाया है। यह भी कहा गया है कि इसका बोझ बड़ी जोत वालों पर पड़ेगा, छोटी जोत वालों पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक पुस्तिका भी निकाली है उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का विवरण देते हुए उसमें यह लिखा है कि वह देहातों पर टैक्स इस लिये लगा रही है और किसानों पर माफ किये हुए लगान को इसलिये वापस ले रही है क्यों कि इस समय देहातों पर टैक्स कम है वनिस्बत शहरों के और उसमें 1 व ढाई गुने का फर्क है। लकड़वाला कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा गया है। मान्यवर इस पुस्तिका में बड़ी खूबसूरती के साथ लिख दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय क्या है इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बात यह है कि अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों की अलग-अलग आमदनी बता देंगे तो भंडाफोड़ हो जायेगा। मैं समझता हूं कि उस के 1 और ढ़ाई से भी ज्यादा का अन्तर है। फिर सरकार इन टैक्सों के प्रस्ताव की वकालत नहीं कर सकती है। इसीलिये आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। अगर आमदनी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे तो कैसे लकड़ वाला साहब ने रिकमेन्ड किया कि ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्सों का भार कम है।

मान्यवर, सवा छः एकड़ लगान की माफी के बारे में सरकार की ओर से बड़ी लचर दलीलें दी जा रही थीं। आज वही व्यक्ति इसकी दलील दे रहे थे जो कि पहले इसका विरोध करते थे कि सवा छः एकड़ की लगान की माफी नहीं होनी चाहिये। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो लोग वाक-आउट करके बाहर गये हैं उन्हें बड़ा दर्द है और कहते हैं कि हम इस चीजको नहीं देख सकत हैं यह लगान फिर से लगाया जाय। जब लगान माफ हुआ था तो जन संघ की तरफ से इसके विरोध में परचे बांटे थे और इश्तिहार निकाले गये थे। उन्होंने गांवोंमें जाकर लोगों से कहा कि लगान माफ होने से तुम्हारी जमीन निकाल दी जायेगी। लोगों को बहकाया गयाकि अगर तुम लगान नहीं दोगे तो जमीन छीन ली जायेगी। गरीबों की इस प्रकार इसकी हिमायत जनसंघ की पार्टी की तरफ से की गयी थी और परचे बांटे गये थे। आज उनको इसे सुनने की हिम्मत नहीं है इसीलिये वे आज सदन छोड़कर चले गये। वे कहते थे कि हम छोटे किसानों के बड़े हिमायती हैं। लेकिन भय दूसरा था और यह 14 करोड़ रुपया माफ होने वाले लगान का बोझ उनके पीछे चलने वाले धनी किसानों पर डाला जायगा। सरकार की तरफ से दलील दीजाती है कि छोटे किसानों ने इसका विरोध किया था यह बिलकुल गलत है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

वे उसी तरह से चले गये जिस तरह से आप बाजरा कांड की बहस के दिन उठकर चले गये थे।

श्री मीखालाल—

सरकार की तरफ से थोथी दलीलों की पुष्टि में कुछ जाने–माने लोगों से दलीलें दिलवाई जा रही थीं । हमारे प्रदेश के भूत पूर्व एडवोकेट जनरल कन्हैयालाल मिश्र का एक लेख "नवजीवन" में 23 दिसम्बर को छपा था। उसमें क्या दलीलें दी गई हैं––उसमें हेडिंग है " लगान में छूट––छोटी जोतों के किसानों को अहितकर" दलील यह दी जाती है कि छोटी जोतों पर लगान माफ हो जायगा तो सरकार की दिलचस्पी दाखिल खारिज में नहीं रहेगी। किसी आदमी के मरने पर अथवा जमीन का दूसरे तरीके से हस्तान्तरण होता है तो सरकार की दिलचस्पी उसके दाखिल खारिज की रहती है। जब लगान नहीं होगा तो सरकार की दिलचस्पी म्यूटेशन करने में नहीं होगी। अगर एक आदमी मर जायेगा तो वर्षों तक उसका नाम लिखा रहेगा । यह एडवोकेट जनरल लिखते हैं। मैं तो सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस दलील से सहमत हैं। मैं कहना चहता हूं कि जो हमारा भूमि सम्बन्धी कानून है उसमें लिखा हुआ है कि भूमि सम्बधी लेखों को सही रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो लचर दलीलें दी जा रही हैं वह छोटे किसानों को कन्विन्स करने के लिये दी जा रही हैं। दूसरी दलील यह दी जा रही है कि किसान समझते थे कि जितने भी कर्मचारी हैं वे हमारे नौकर हैं और जब वे लगान नहीं देंगे तो वे नहीं कह पायेंगे। तीसरी दलील यह दी जाती है कि अगर किसान लगान नहीं देंगे तो सरकार से वह फर्टिलाइजर, गल्ला, सिंचाई के साधन हासिल नहीं कर सकेंगे । अगर यह दलील सही है तो क्या सरकार यह भी कहेगी कि फिर किसी किसान को अपना मकान पक्का बनाने के लिये सीमेन्ट नहीं देगी क्योंकि वह मकान का लगान नहीं देता है। तो यह जो कन्हैयालाल जो एक लचर दलील यह देते हैं कि लगान नहीं दोगे तो खतरा रहेगा कि कहीं जमीन छिन न जाय अगर सरकार इस दलील को मान लेगी। तो इस बात का खतरा अवश्य पैदा हो जायगा कि वह किसानों के मकान छीन ले क्योंकि वह मकान का लगान नहीं देते। इस काले कानून को लागू करने के लिये और छोटे किसानों को कन्विन्स करने के लिये इस प्रकार की तामम दलीलें दी जा रही हैं । इन सबसे नतीजा निकलता है कि सरकार समझती है कि अब कोई अलाभकरजोत नहीं है अगर यह ठीक है तो फिर मान्यवर, कल ही एक विधेयक पास किया गया इस माननीय सदन के अन्दर उसके द्वारा भूमिहीन मजदूरों तथा एक एकड़ तक के ऊपर जो कर्जे बिना लिखे पढ़े थे वह माफ कर दिये गये, क्योंकि वहां पर सरकार समझती है कि एक एकड़ तक के किसान जो हैं वह इतने कमजोर हैं कि वह कर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहां पर कानून को प्रस्तुत करते हुए वह बात नहीं आती हैं कि छोटे काश्तकार इतने कमजोर हैं कि वह लगान नहीं दे सकते हैं। तो सरकार की समझ में अब कोई अलाभकर जोत नहीं रही ।

अलाभकर जोत के बारे में 1949 में कुमार अप्पा कमेटी की रिपोर्ट है और जमीदारी एबोलीशन कमेटी की रिपोर्ट है। उसके बाद हो सकता है कि परिस्थितियों में तब्दीली आगयी है जिससे उस समय की अलाभकर जोतें अब अलाभकर न रही हों क्योंकि खेती के तरीकों में परिवर्तन हो गया है, नये बीज निकल आये हैं नई फर्टिलाइजर निकल आई हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि हो गई है। यह दलील दी जा सकती है कि अब सवा छः एकड़ तक की जोत अलाभकर नहीं रही तो क्या सरकार मानने के लिये तैयार है कि पांच एकड़ तक की है, 4 एकड़

[श्री भीखा लाल]

तक की या तीन एकड़ तक की जोतें अलाभकर हैं लेकिन सरकार की नजरों में तो कोई भी जोत अलाभकर नहीं रही। तो इस पर विचार किया जा सकता है और बहस हो सकती है इसी सदन में कि यदि सवा छः एकड़ तक की जोत अलाभकर नहीं है तो कौन जोत अलाभकर नहीं और कौन जोत अलाभकर है। तो इस पर सदन में बहस हो सकती है। मान्यवर, इसी लिए मैंने संशोधन दिया है बहुत सोचविचार कर और समझबूझ कर संशोधन दिया कि सवा छै एकड़ के स्थान पर 3 1/8 एकड़ तक की जोत पर लगान माफ किया जाय। इसलिये जब संशोधन आयेगा तो हम उसे पेश करेंगे। मान्यवर, यह बहस का सवाल है।

अब सरकार कहती है कि लगान और विकास टैक्स का बोझ छोटे काश्तकारों पर नहीं पड़ेगा। इस तथ्य को आंकड़ों के आधार पर देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। सवा छ एकड़ तक के काश्तकारों से उत्तर प्रदेश को 14 करोड़ रुपये का लगान मिलता था यानी 21 करोड़ उस वक्त लगान का आता था जब साव छ एकड़ का लगान माफ नहीं हुआ था। और जब माफ हुआ था उसके बाद 7 करोड़ आता है। तो जाहिर है कि सवा छै एकड़ तक के काश्तकारों पर 14 करोड़ का बोझ है जो कि सबसे गरीब तबका है। इस तरह से कुल लगान का 2/3 बोझ उन पर फिर आप डालने जा रहे हैं। मान्यवर, इस बिल के पास होने से सरकार को लगान बढ़ाने से और विकास कर बढ़ाने के साथ 23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुनाफा होगा जो वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है। अर्थ यह है कि 14 करोड़ रुपया जो माफ हुआ था फिर से मिलने लगेगा और साढ़े 9 करोड़ का अतिरिक्त विकास कर लगेगा। इस प्रकार विकास कर जो अभी तक 14 करोड़ था वह साढ़े 23 करोड़ हो जायेगा और लगान 21 करोड़ हो जायेगा। मान्यवर, यह सरकार के आंकड़े हैं जिनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसका बोझ किस पर पड़ेगा जो छोटे किसान हैं उन पर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सवा छः एकड़ तक के किसानों के पास 44 फीसदी जमीन है यानी लगभग आधे-आधे हैं। लेकिन 56 फीसदी जमीन है और सवा छः एकड़ के किसानों के पास लगान का अनुपात क्या है ? सवा 6 एकड़ के किसान 14 करोड़ देते हैं और उसके ऊपर के किसान केवल 7 करोड़ देते हैं अनुपात 1 और 2 का है जब कि भूमि लगभग बराबर-बराबर है। अब नई दर से जब विकास-कर लगेगा तब 14 करोड़ लगान जो देने वाले लोग हैं उन पर आप 7 करोड़ विकास-कर लगाएगें और 23 करोड़ में से साढ़े 16 करोड़ रुपया सवा छः एकड़ से ऊपर के काश्तकारों पर लगायेंगे, जबकि वे आधे आधे हैं। कहा जाता है कि बढ़े हुए टैक्स का दोझ बड़े काश्तकारों पर पड़ेगा, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। सवा छै एकड़ तक की जोतों पर लगान व विकास-कर 21 करोड़ पड़ेगा और इससे ऊपर की सभी जोतों पर लगान व विकास-कर केवल साढ़े तेइस करोड़ पड़ेगा। इससे यह साफ जाहिर है कि बढ़े हुए टैक्स का बोझ बड़े काश्तकारों पर न पड़कर छोटे काश्तकारों पर अधिक पड़ेगा। मान्यवर, इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में लगान में बहुत असमानता और असंगतियां हैं और यह असमानता जमींदारी एबालीशन के समय से ही वर्तमान हैं और उसके बाद से और बढ़ी हैं।

जमींदारी खात्मा के समय जमींदारों की और सीट खुदकाश्त 71 लाख एकड़ थी। उसमें से 60 लाख एकड़ उन किसानों को मिली जो उस पर काविज थे और 11 लाख एकड़ उन्हीं जमींदारों को दी गई उनके ऊपर जब लगान बन्दिस हुई, तो क्या

हुआ श्रीमन्। जो काश्तकार काबिज थे, उन पर लगान बांधा गया सर्किल रेट का दुगुना और जमीदारों पर सर्किल रेट का एक बटा तीन। तो इस प्रकार आप देखें आज यह अनुपात 1 और 6 का है। तो जमींदारों के खेतों के लगान में और काश्तकारों के खेतों के लगान में बड़ा फर्क किया गया है एक ही मेड़ पर अगर काश्तकार और जमींदार के दो अलग-अलग खेत हैं तो काश्तकार उसका लगान देता है 6 गुना और जमींदार देते हैं उसका एक बटा छः मान लीजिये कि एक काश्तकार 6 रुपया एक बीघा का लगान देता है और वह सवा छः एकड़ तक का किसान है तो 50 फीसदी यानी 3 रुपया विकास टैक्स लगेगा, तो उसको कुल मिलाकर 9 रु0 देना होगा। किन्तु जमींदार साहब जिनका एक रुपया बीघा लगान है और यदि वह सवा छः एकड़ के ऊपर के खातेदार हैं तो उन पर ढाई गुना यानी ढाई रुपया टैक्स हुआ और एक रुपया लगान हुआ। इस प्रकार उन पर कुल साढे 3 रुपया हुआ। तो जमींदारी एबालीशन के समय से ही यह एनामली चली आ रही है। सरकार इसे क्यों नहीं दूर करती है। जमींदारी एबालीशन के समय में बहुत सी जमीने ऐसी थीं, जो ऊसर थीं, बंजर थीं, किन्तु आज उन पर अच्छी खेती होती है, वह जमीनें सोना पैदा करती हैं। आप तराई इलाके में जाइये, वहां देखिये। यह बात मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री को समझाने की नहीं है क्योंकि वह खुद जानते हैं। तराई इलाके में कितनी जमीनें इस सरकार में पट्टों पर दी गई और कृषि योग्य बनी हैं, यह देखने की चीज है। क्या सरकार बतायेगी कि उनका सर्किल रेट पहले क्या था। हम जानते हैं कि कहीं 4 आना रहा होगा, कहीं 8 आना रहा होगा और कहीं ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया रहा होगा। पट्टे होने के बाद उन पर लगान अधिक सर्किल रेट का दुगुना बांधा गया। इस प्रकार वह कितना कम लगान देकर अधिक लाभ उठाते हैं। जो बड़े-बड़े फार्म्स एक-एक और दो-दो हजार एकड़ के हैं, सीलिंग होने के बावजूद भी वह टूटे नहीं हैं। उनका लगान एक-दो रुपया बीघा है, उन पर ढाई गुना टैक्स तो लग गया, लेकिन वह बहुत ही मामूली लगेगा। छोटे किसान के मुकाबले वह बहुत ही कम है। यह बड़ी एनोमली है, इसे दूर करने के लिये सरकार को बन्दोवस्त करना चाहिये।

मान्यवर, इस एनामली को दूर करने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिए और उचित बन्दोवस्त करना चाहिए और इस प्रकार काफी मात्रा में लगान बढ़ जायगा। इस पर सरकार कहेगी कि बन्दोवस्त में तो 4 साल लगेंगे। बन्दोवस्त का रास्ता देखें तो हमारा विकास टैक्स रुक जायगा। हम टैक्स कैसे लगा पायेंगे अगर बन्दोवस्त का इन्तजार करेंगे। उसके लिए हम रास्ता बताते हैं। हमने संशोधन दिया है। आप लगान की बेसिस पर टैक्स मत लगाइये क्योंकि छोटे काश्तकारों पर ज्यादा लगान है और बड़े काश्तकारों पर कम लगान है। इसलिये लगान की बेसिस पर टैक्स लगाने से ज्यादा बोझ छोटे किसानों पर पड़ेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं चाहता हूं कि इस फार्मूले पर आप टैक्स लगायें। आप एकरेज के हिसाब से लगायें। छोटे काश्तकारों पर टैक्स न लगे हमारी पार्टी इसकी हामी है। लेकिन बड़े काश्तकारों पर लगे क्यों कि हरितक्रान्ति और पंचवर्षीय योजनाओं का फायदा बड़े काश्तकारों ने उठाया है।

[श्री भीखा लाल]

अगर विकाव टैक्स लगाना चाहते हैं तो फी एकड़ पर रखिए। हमने संशोधन दिया है, जब वह पेश होगा तो माननीय सदस्य उस पर बोलेंगे। लेकिन उसमें प्रतिबन्ध लगा है। अगर माननीय राज्यपाल आज्ञा देंगे तो वह पेश होगा। मुझे उम्मीद है कि वह आज्ञा अवश्य दे देंगे। हमने सुझाव दिया है कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ तक न कोई लगान लगाया जाय न कोई टैक्स लगाया जाय। उसके ऊपर जो सीलिंग में सिद्धांत रखा है सिंचित और असिंचित का उसके आधार पर टैक्स लगाया जाय। तीन सही एक बटा आठ एकड़ से सवा छः एकड़ तक सिंचित पर 3 रुपया प्रति एकड़ और असिंचित पर 2 रुपया प्रति एकड़। सवा छः एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक सिंचित पर साढ़े सात रुपया प्रति एकड़ और असिंचित पर 5 रुपया प्रति एकड़। साढ़े बारह एकड़ से ऊपर सिंचित पर 15 रुपये प्रति एकड़ और असिंचित पर 10 रुपये प्रति एकड़। इस सिद्धान्त को मान कर अगर सरकार चलेगी तो जो विकास टैक्स लगा रहे हैं साढ़े 23 करोड़ हमने पूरा हिसाब लगा लिया है दस-बीस लाख आपको ज्यादा मिल जायगा। लेकिन गरीब छोटे काश्तकार इस टैक्स की मार से बच जायेंगे और जिसको टैक्स देना चाहिये उस पर बोझा पड़ेगा। इन सब बातों को रखते हुये, इन सिद्धान्तों को जो हमने यहां पर रखा है, इस तरीके के टैक्स लगाना चाहिये। लगान की अनामली दूर हो। तीन सही एक बटा आठ एकड़ तक लगान बिल्कुल माफ करने। विकास टैक्स एकरेज पर लगाया जाय। इस विधेयक में दोष है, सरकार इसको वापस करे और फिर से सोच कर नया बिल पेश करे और उस पर बहस हो। इसलिये मैं इस संकल्प को रख कर इस अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव करता हूं। और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहबाद)—

(माननीय वित्त मन्त्री को बुलाने पर) मान्यवर, एक वैधानिक प्रश्न है। 1966 में मुजफ्फरनगर में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें हमारे इस सदन के जो नेता हैं और माननीय मुख्य मन्त्री हैं, माननीय बहुगुणा जी उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अलाभकर जोतों के लगान पूरा का पूरा माफ कर दिया जाय। माननीय बहुगुणा जी का प्रस्ताव था सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ था। 1967 में कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया तो उसमें इस बात का जनता से वादा किया गया कि अगर हम लोग जीत कर के सरकार में आयेंगें तो हम इस अलाभकर जोत के लगान की माफ करेंगें। आज माननीय बहुगुणा जी इस सदन के नेता है, माननीय मुख्य मन्त्री भी हैं, क्या सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है जो अभी वित्त मन्त्री जी प्रस्तुत करने वाले हैं। और जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं। विशेषकर जब जनता से वायदा करके यह कहा गया कि अगर हमें वोट दिया जायेगा और हम चुनकर आ गये तो 1966 में मुजफ्फर नगर में जो प्रस्ताव किया गया था उसका हम पालन करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि वैधानिकता किस तरह से इसमें अन्तर्ग्रस्त है। प्रश्न यह है कि संविधान की कोई धारा या कोई कानून इसको रोकता हो, ऐसा भी आपने नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, नीति में कानून नहीं होता है। जो माननीय वित्त मन्त्री जी इसको पेश कर रहे हैं, उन्होंने ही नारा लगाया था कि जिन जोतों से लाभ नहीं हैं उन पर लगान नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने नारा लगाया और उसके लिये जेल गये और सवा 6 एकड़ तक लगान माफ कराया वही आज फिर से लगान लगाने जा रहे हैं। (व्यवधान)।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक वैधानिक प्रश्न है। हम लोग इस बात को कहते थे और नारा लगाते थे। कई बार सत्याग्रह करके जेल गये और आप भी सत्याग्रह किये हुये हैं कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी खत्म की जाय। कांग्रेस की तरफ कई माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं, जो इस मांग को लेकर सत्याग्रह कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं और कई प्रकार के त्रास भुगत चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में जनता से वायदा किया था कि जब हमारी सरकार होगी तो चुनाव के बाद अलाभकर जोतों से मालगुजारी खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है कि जब आपको वोट लेने हों तो जनता से वादा करें कि अगर हम चुन कर आ जायेंगे तो सवा 6 एकड़ तक लगान माफ कर देंगे और अब आप उसी जनता के ऊपर फिर से लगान लगाने जा रहे हैं तो यह जनता के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय सदस्य, किस मैनीफैस्टों की बात कर रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, यह फैक्टस के विपरीत बात कर रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

इस तरह के राजनीतिक लोगों से अविश्वास का वातावरण बन रहा है और बड़ा खराब वातावरण हम लोगों के लिये बन गया है चाहे बस में बैठें हों या रेल में बैठे हों, जहां लोग देखते हैं कि यह राजनीतिक है, खद्दरपोश हैं, तो वे समझते हैं कि यह धोखेबाज हैं। जब हम वही करने लग जायं जबान से कहें, वायदा करें, उससें मुकर जायें तो राजनीतिक लोगों की क्या मर्यादा रह जायेगी, क्या मान्यता रह जायेगी। यह बड़ी लज्जा और शर्म की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि अलाभकर जोतों पर लगान न लगायें। (व्यवधान)।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने एक वैधानिक प्रश्न आपके सामने उस समय रखा था शुरुआत में और आज पुन: रखता हूं। आप सत्याग्रह करके जेल गये थे (व्यवधान) मैं सत्याग्रह करके जेल गया था। माननीय बहुगुणा जी इस मामले में अपने दल में प्रस्तावक रहे हैं। उनके दल के लोग सब इसी बात पर चुनकर यहां आये हैं। इस बुनियाद पर मैंने प्रश्न उठाया हैं कि क्या जिस बुनियाद पर आप सदन के किसी दल को मान्यता देते हैं, वह मान्यताओं के दो सिद्धान्त हैं। एक विधान और दूसरा उनका घोषणा-पत्र केवल एक नहीं है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

घोषणा-पत्र और विधान के मुताबिक जब वह एक दल नहीं रह जाते, तो क्या उसके बाद उनका पेश किया हुआ यह विधेयक यहां लाया जा सकता है ? नहीं लाया जा सकता है। नैतिक जिम्मेदारी मान्यवर, आप पर, नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर, नैतिक और कनूनी जिम्मेदारी तिवारी जी के ऊपर, और नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी माननीय बहुगुणा जी के ऊपर है। उस वक्त वह बहन जी तो रहीं ही नही, उनके ऊपर नहीं हैं। माननीय प्यारे लाल शर्मा, माननीय ओम प्रकाश, माननीय लोकपति जी जिन्होंने कांग्रेस दल के अन्दर इसका विरोध किया उन सब पर है।

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं कि बहन जी नहीं रही हैं। मान्यवर, ये मेरी बात कह रहे हैं कि मैं नहीं रही हूं ....(व्यवधान)

श्री तेज बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी चरण सिंह जब मुख्य मन्त्री बने तो उस समय का तकाजा था कि लगान उन्होंने माफ किया। 1971 में चुनाव हुआ और 1974 में चुनाव हुआ, दोनों एलेक्शन घोषणा-पत्र में यह नहीं लिखा था कि लगान नहीं लगेगा। समय की मांग है कि लगान पुन : लगाया जाय। आप रोज कहते हैं कि फलां सड़क बने, फलां नहर बने, इसके लिये धन की आवश्यकता है किसान कहता है कि खाद दो, बीज दो, परन्तु कोई नहीं कहता है कि हमारा लगान माफ करो। यह सिवाय राजनैतिक बत है जो लगान माफ करने के लिये कहता है। मैं आपको यह कहूंगा कि आपको राजनैतिक सदबुद्धि हो।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है ....

श्री अध्यक्ष—

अभी निवेदन नहीं सुन सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, एक व्यवस्था है ...

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय दिघे जी ने एक प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर आ जाने दीजिये ..

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी साहब ने संविद सरकार में सम्भवत: सवा तीन एकड़ तक का लगान माफ किया था और माननीय प्रभु नारायण सिंह जी राजस्व मन्त्री थे, उस समय सवा तीन एकड़ तक लगान माफ किया गया था। सवा तीन एकड़ तक क: लगान तो तभी माफ हो गया था, जो देहलवी साहब ने उठाया है .....

श्री अध्यक्ष—

आप सवालों को उठाते हैं, परन्तु अभी एक माननीय सदस्य ने वैधानिक प्रश्न उठाया है। वह कहते हैं कि दल के भीतर कोई निर्णय हुआ था; एक यह और दूसरा कि घोषणा-पत्र में कुछ अंकित है। इन दोंनों तक ही सीमित रखें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

अच्छा हो कि आप मेरी परामर्श से आप अध्यक्षता न करें।

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री मोती लाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974 पर विचार किया जाये।

श्रीमान् मैं इस सदन की अनुज्ञा चाहता हूं कि इस विधेयक पर सदन कृपा पूर्वक विचार करे। यह इसलिये मैं रख रहा हूं क्योंकि आज बड़ी-बड़ी चुनौतियां प्रदेश और देश के सामने हैं, उनको स्वीकार करने का मनोबल इस सदन में है या नहीं, यह उत्तर आज युग-युग की आकांक्षा के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। आज बिजली की मांग है, सिंचाई की मांग है और सड़कों की मांग है। उद्योग धन्धे, खेती सब बिजली पर आश्रित हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिये हमारे पास संसाधन नहीं हैं। तो आज बुनियादी प्रश्न यह है कि इस सदन के सामने कि विकास की गति तीव्रगामी कैसे हो। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करना है या नहीं। मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय सदस्यों का विशेष रूप से अपने उन नवयुवक साथियों का जो विरोध पक्ष में हैं, से कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अब तक आप देखें कि जो आर्थिक नियोजन हुआ है वह सबसे कम हुआ है। चूंकि यहां टैक्स भी सबसे कम रहा है। जो आर्थिक स्थिति का वातावरण है उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पर कैपिटा टैक्स के सम्बन्ध में एक पुस्तिका है। उसमें सब है। बिहार के बाद हमारी पर कैपिटा आय 3 रु0 आती है। पंजाब की 5.7 प्रतिशत हरियाणा की 5.6 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश की 5.2 प्रतिशत, उड़ीसा जरा हमारे बराबर है, उसकी 3.1 प्रतिशत है। वह भी .1 प्रतिशत हमसे ज्यादा है। कर्नाटक 7 प्रतिशत, केरल 6 प्रतिशत, महराष्ट्र की 6.6 प्रतिशत राजस्थान 5.5 प्रतिशत, तामिल नाडू की 7.2प्रतिशत और पश्चिम बंगालकी 5.9 प्रतिशत हैं। तो आज हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना है और आप हमारे इन्वेस्टमेंट को देखें। सारे देश में 4.3 प्रतिशत है। हमारे यहां केवल 2.8 तिशत है। अब सवाल हमारे सामने यह है कि हम इस पिछड़ेपन को दूर कैसे करें। इसको हमें देखना होगा। इस मामले में हमें कठोर होकर मैदान में उतरना होगा। आर्थिक विषमता को दूर करना होगा। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि गरीबी को कैसे दूर करें। अन इकोनामिक होल्डिग को इकोनामिक होल्डिग कैसें बनाये। आज जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको रोजगार कैसे दें। यह नैतिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दायित्व है। इसलिए एक समाजवादी विचार का सेवक होने के नाते जो हमारे समाजवादी विचार धारा रखने वाले सदस्य हैं, उनसे आपके द्वारा श्रीमन्, आग्रह करूंगा कि रूस में समाजवादी लेनिन ने कहा था कि, जब रूस में क्रान्ति हुई थी, कि अगर समाजवाद का निर्माण करना है तो बिजली और पंचायतों को सबसे पहले देश में लाना होगा। आज प्रदेश में बिजली की कमी के कारण उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें ओबरा, हरदुआगंज और पनकी के लिये 1 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रदेश में कोई भी वित्त मन्त्री हो या मुख्य मन्त्री हो यदि हम बिजली का उत्पादन न बढ़ा सके तो हमारा प्रदेश पिछड़ा रह जायगा। हर तरफ के सम्मानित सदस्य और खास तौर से माननीय राम अधार ने बड़े-बड़े दर्दनाक सवाल उठाये हैं और कहा है कि हमें बिजली नहीं मिल रही है। आज लखनऊ में भी 2 घंटे बिजली की कठौती हो रही है। क्या हम यह हमेशा करते रहेंगे कि हमारे उद्योगों को बिजली न मिले, उत्पादन न हो, महंगाई बढ़े और फिर महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़े। इन टैक्सों के प्रोप्रोजल्स से इस वर्ष केवल 14 करोड़ 80 लाख रुपया मिलने वाला है। एक वर्ष में हमें 38 करोड़ 48 लाख रुपया इस कराधान विधेयक से मिलने वाला है और अगर कुल 3 महंगाई भत्ते की किस्तें देनी पड़ें तो यह 38 करोड़ रुपया उसमें लग जायगा। अगर हम सरकारी कर्मचारियों का एक रुपया भी बढ़ाते हैं तो एक वर्ष में 3 करोड़ रुपया आज हमें देना पड़ता है।

एक सदस्य—

तो आप दाम बांधो नीति अपनाइये?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर हमें 3 महंगाई भत्ते बढ़ाने पड़े, तो 38 करोड़ रुपया हमें देना पड़ेगा। तो प्रश्न इतना आसान नहीं है। बार-बार यहां पर लांछन लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। आज हमें इस सवाल को दृढ़ता से हल करना पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे। आर्थिक विकास की दौड़ में इसे हमें अग्रणी करना होगा। आज हमारा किसान भी विकास के महायज्ञ में आहुति देना चाहता है। हमारे मजदूर भी इस महायज्ञ में आहुति देना चाहते हैं वह भी चाहता है कि विकास में बराबर पैसा दो पैसे दे। कई वर्षों से इस पर विचार चल रहा है कि हम कृषि टैक्स लगायें, एग्रीकल्चर टैक्स लगायें, या कृषि पर आय-कर लगायें या कापसेस लगायें या प्रत्येक खेती की पैदावार पर हर चीज पर अलग-अलग टैक्स लगायें। बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आया कि खेती पर टैक्स लगाने का कौनसा मापदन्ड हो, उसका क्या आधार हो? यदि एग्रीकल्चर टैक्स लगाते हैं तो तमाम किसानों को बही खाते रखने पड़ेंगे और इतना हिसाब गरीब किसान न रख पायेंगा। जिस किसान पर इन्कम टैक्स नहीं लगता है अगर उस पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाते हैं तो उसे हिसाब-किताब रखना पड़ेगा कि कौनसी फसल बेची, कितना तम्बाकू बेचा, कितना आलू बेचा, कितनी मूंगफली बेची, प्याज से लेकर अरहर की दाल और मड़वा और जौ तक का हिसाब-किताब रखना पड़ेगा। आज वर्तमान सरकार एक ओर किसान को इस महायज्ञ में कुछ योगदान देना चाहती है तो विचार करना होगा कि कृषि के क्षेत्र में वह किस

प्रकार योगदान करे । हमारी यह नीति है कि जो भी टैक्स लगे, वह आसान होना चाहिए, वह किसान को मालूम होना चाहिए कि वह क्या दे रहा है । टोडरमल के जमाने से किसान टैक्स देता चला आ रहा है । पुराने युगों से लगान की एक परम्परा देने की आ रही है । उस समय किसान अपनी पैदावार का 1/3 हिस्सा राज्य को देता रहा है । तो तब से लगान की प्रथा देश में रही है ।

इस्तमरारी बन्दोबस्त आया । उसके बाद सैटिलमेंट हुआ जो राज्य के सारे संसाधन की पद्धति थी । तो लगान हमारे राज्य के संसाधनों को जोड़ने की आधारभूत पद्धति रही । इसीलिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्लेक्टर कहा गया, जो क्लेक्ट करता है । अब प्रश्न यह रहा कि हमने जो लगान किसान जानता है कि हमारे ऊपर इतना है, जिस परम्परा पर किसान को शताब्दियों से विश्वास है उसको हटा कर बही खाते के लिये मजबूर करना, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिये, कापसेस के लिये मजबूर करना, यह उचित नहीं है । एक तरफ छोटा किसान चाहता था कि मेरी जोत मेरे नाम रहे । उसे यकीन नहीं होता कि उसके नाम उसका खेत रहेगा या नहीं । जोत बही भी हमने लगायी लेकिन जोत बही भी एक सही विश्वास छोटे किसानों के हृदय में पैदा नहीं कर सकी कि मेरा खेत मेरे नाम में है । लगान की पर्ची देने में उसका ज्यादा विश्वास था कि अगर मैं लगान दे रहा हूं तो मेरी जमीन मेरी है जो आज के युग में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े महत्व का है जिससे वह अधिक उत्पादन कर सके ।

अब छोटे किसान पर कितना भार आता है । मैं माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई देता हूं । उन्होंने पूरे प्रश्न का बहुत अध्ययन किया है । सेटिलमेंट की बात उन्होंने कही । बन्दोबस्त जरूर होना चाहिये शासन ने निर्णय किया है । जो कमियां उन्होंने बतायी हैं, भूमि के मालिकाना में जो असंगतियां रह गयी हैं उनक निवारण के लिये हम सेटिलमेंट करायेंगे । सेटिलमेंट कमिश्नर की नियुक्ति हो गयी है । यह चेष्टा की जा रही है कि आने वाले दो, तीन साल के अन्दर जो असंगतियां हैं भूमि और लगान की उनका निवारण बन्दोबस्त के माध्यम से हो । मुझे आशा है कि सेटिलमेंट का काम जल्दी होगा । जो प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल टैक्स है उसका जो हमने हिसाब लगाया है उसके हिसाब से जो एक एकड़ जोत वाला किसान है उसे एक साल में केवल 5.81 रुपये देने होंगे, दो एकड़ जोत वाले किसान को केवल 11.62 रुपये वार्षिक देना होगा, जो 5 एकड़ जोत वाला किसान है उसे 50 प्रतिशत विकास-कर देने के बाद भी 43.50 रुपये एक साल में देना होगा । दस एकड़ वाले को 145 रुपये प्रति वर्ष देना होगा । और जो 10 एकड़ से ऊपर और 25 एकड़ से नीचे के किसान हैं उनको 508 रुपये देना होगा । 15 एकड़ से ऊपर वाले किसान की औसत आमदनी 15,800 रुपये वार्षिक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

2 एकड़ वाले की आमदनी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दो हजार रुपये । (व्यवधान) ।

एक सदस्य--

एक जगह लगान एक रुपया है, दूसरी जगह उतनी ही भूमि का 4 रुपया है, इतना अन्तर क्यों है ? (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बन्दोबस्त में सारी बातें सामने आ जायेंगी।

(व्यवधान)

बन्दोस्त की आवश्यकता है, हम सारी असंगतियों को दूर करना चाहते हैं, वह होंगी . . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आपने एक एकड़ वाले की पौने दो हजार रुपये सालाना आय बतायी, वह खर्च निकाल कर या बिना निकाले ? (व्यवधान)।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस खर्च में 5 रुपये कर के भी जोड़ लीजिये।

एक सदस्य--

क्या यह कर लगाने के बाद आप यह गारन्टी देंगे कि किसान को फर्टीलाइजर, पानी और बिजली आवश्यकतानुसार समय से देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह गारन्टी देने के लिए माननीय सदस्यों के निरन्तर सहयोग की आश्वयकता है। (व्यवधान)।

एक सदस्य--

बिजली पुराने दर पर दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बहुत अच्छा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने भूमि विकास निधि बनायी है और इस विधेयक के माध्यम से 14 करोड़ रुपया उस निधि में जाने वाला है। इस निधि का सारा धन, चाहे वह सिंचाई के लिये हो, चाहे बिजली के लिये हो, चाहे सड़कों के लिये हो, इन्हीं सबके लिये जाने वाला है। ग्रामीण विकास के लिये ही यह धन खर्च होगा। इस फंड में से 40 प्रतिशत धन जिला परिषदों को, ब्लाकों को और खंड विकास समितियों को अनुदान के रूप में मिलने वाला है। अपने यहां करीब पौने 9 सौ क्षेत्र समितियां हैं। बहुत से ब्लाक प्रमुखों के पास आय के कोई साधन तक नहीं हैं। इस निधि के माध्यम से हम उनको कुछ अनुदान देना चाहते हैं। इनको सहायता देने के लिये संसाधन जुटाने होंगे। उसी के लिये यह विधेयक हम लाये हैं। आशा है यह सदन इसे पास करेगा। इस समय मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। आज किस प्रकार देश में मुद्रा स्फीति को रोकने की जरूरत है, उसका मुकाबला किस प्रकार किया जा सकता है उस सबको विस्तार के साथ सदन के सामने रख चुका हूं। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, संसाधन जुटाने के लिये, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, विशेष रूप से बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये, यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आज सारा देश हमारी ओर देख रहा है। हम उत्तर प्रदेश

के चुने हुए लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, आज 1974 का आखिरी दिन है और कल 1975 पदार्पण करने वाला है, हम सब मिल कर सारे देश को बतला दें कि उत्तर प्रदेश के चुने हुए इस सरन के सदस्यों ने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने का संकल्प उठाया है। इस अवसर पर मुझे एक शेर याद आता है---"खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हैं जिसको हाजत अपनी हालत को बदलने की"। अपनी हालत को बदलने के लिये, अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिये ऐसे कदमों का बोझ उठाना है जिससे हम आगे बढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष---

इस विधेयक पर कुछ संशोधनों की सूचना है। पहला संशोधन है सर्वश्री बाबू लाल वर्मा, राम प्रकाश त्रिपाठी, मोहन लाल कपूर, माधव प्रसाद त्रिपाठी, त्रिवेणी सहाय तथा दशरथ सिंह जी का---वे लोग हैं नहीं। दूसरा संशोधन है सर्वश्री आशा राम यादव, कमला प्रसाद वर्मा, सत्य प्रकाश मालवीय आदि का। श्री मालवीय जी पेश करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि लकड़वाला कमेटी ने मेरे कांग्रेसी सदस्यों को ऐसी लकड़ी सुंघायी है कि....

श्री अध्यक्ष---

पहले संकल्प पढ़ दीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे दे।

मान्यवर, यह संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किया है कि इस सम्बन्ध में जो विधेयक आया है वह पारित न किया जाय। बल्कि इस पर बकायदा विचार विमर्श करके एक प्रवर समिति बना दी जाय और उसमें विचार विमर्श किया जाय। तत्पश्चात् सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया जाय और उस वक्त जैसी प्रवर समिति राय दे और जिस तरह से इस विधेयक को प्रस्तुत करे, उस पर हम लोग विचार करें। 10 दिसम्बर, 1970 को तत्कालीन राजस्व मन्त्री श्री प्रभुनारायण सिंह ने जो आज उस तरफ बैठे हुए हैं, इस विधेयक को प्रस्तुत किया था कि सवा छः एकड़ तक का लगान माफ किया जाय और उस वक्त सदन के जो माननीय सदस्य थे उन लोगों ने---हमारे नेता ने तो सवाउ 3 एकड़ तक का माफ किया था---उस वक्त के इस सदन ने सवा छः एकड़ तक का लगान माफ करके स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया के मनोरथ को पूरा किया। पिछले जून के महीने में जब हम लोग बजट सत्र में बैठे थे तो कुछ आशंका उत्पन्न हुई कि कदाचित् यह लगान फिर सरकार की ओर से लगाया जाय। उस वक्त उस तरफ बैठने वाले माननीय प्रभुनारायण सिंह, श्री प्यारे लाल शर्मा जो गाजियाबाद से चुन कर आते हैं, 19 जून, 1974 को इस सदन में जो कुछ कहा था वह इस सदन की कार्यवाही के पृष्ठ 779 पर अंकित है। उन्होंने कहा था कि यदि हमारी पार्टी की ओर से इस लगान को लगाने की पुनरावृत्ति की जायगी तो हम जम कर इसका विरोध करेंगे। मैं इसके लिये

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

श्री बालकृष्ण सनवाल को वधाई देता हूं, मुमकिन है कि बाद को मुझे इस बधाई को वापस लेना पड़े, और श्री लोकपति त्रिपाठी जो मिर्जापुर से चुन कर आते हैं, वाराणसी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे ...

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुयीं)।

बनारस की कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव श्री लोकपति त्रिपाठी ने अपनी अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यह पारित कराया था कि यदि आजकल की सरकार ने लगान लगाने की कोशिश की तो हमारा कांग्रेस दल और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करेगी। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक हुयी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है.....

श्री लोकपति त्रिपाठी (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, अभी जैसा मालवीय जी ने कहा है कि कांग्रेस दल की बैठक में मैंने कोई प्रस्ताव पास कराया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस दल लगान लगाने का विरोध करेगा, अगर लगान सवा छः एकड़ तक रखी जायगी, तो मालवीय जी की सूचना सत्य नहीं है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूं मुझको बोलना नहीं है।

पत्रकार सम्मेलन में मुझसे प्रश्न किया गया था कि क्या श्री सालिग राम जी का निर्णय सवा छः एकड़ लगान के विरोध में उचित था और आप उसका समर्थन करते हैं। मैंने उत्तर में कहा था श्री सालिग राम जी ने सवा छः एकड़ लगान न लगे इसके लिये आन्दोलन किये थे तथा अब जब पुनः सवा 6 एकड़ पर लगान लगा तो उनका निर्णय उनके लिये उचित ही है। पुनः प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि कांग्रेस दल का जो भी निर्णय होगा उसका मैं समर्थन करूंगा तथा वैसा ही करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं वह बात नहीं है। तो इसके बाद कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक हुई तो शायद माननीय प्रभुनारायण सिंह को छोड़ कर किसी भी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने इस अध्यादेश का विरोध नहीं किया। लेकिन मैं आज चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगणों का हृदय परिवर्तन हो और जो बिल आज प्रस्तुत हुआ है उसका उन्हें विरोध करना चाहिये। मैंने शुरू में ही एक संवैधानिक आपत्ति उठायी थी। माननीय बहुगुणा जी ने ही यह प्रस्ताव मुजफ्फरनगर की कांग्रेस कमेटी में प्रस्तुत किया था और बाद में 1967 में जो चुनाव घोषणा-पत्र कांग्रेस की ओर प्रकाशित किया गया उसमें यह कह करके वोट मांगे गये थे कि अगर तुम हमको ही चुनकर भेजोगे तो सवा 6 एकड़ लगान माफ करने की हम हिमायत करेंगे।

(अनेक सदस्यों की आवाजें---हमने ऐसा नहीं कहा था)

आप सुन लें। चुनाव घोषणा-पत्र मेरे पास मौजूद है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है केवल गिरगिट की तरह रंग परिवर्तित होता है।

(हंसी) (शोरगल)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, आप लोग शांत रहें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सम्बन्ध में 29 अक्तूबर को एक अध्यादेश गजट में प्रकाशित किया गया था जो पूर्व प्रभावी 1 जुलाई, 1974 से किया गया था। मैंने माननीय बहुगुणा जी को एक पत्र इस सम्बन्ध में लिखा था और बहुगुणा जी ने उसका उत्तर भी दिया था। मैं अपना और माननीय बहुगुणा जी का पत्र आपके सामने रख रहा हूं। मेरा यह पत्र 16 नवम्बर, 1974 का है :--

प्रिय श्री बहुगुणा--

सवा 6 एकड़ तक की अलाभकर जोतों पर पुन : अध्यादेश द्वारा लगान लगाकर तथा बिजली की दरों में वृद्धि करके उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार ने जन-विरोधी कार्य किया है, वैसे किसी भी नये कर को अध्यादेश द्वारा विधान सभा के जीवित रहते लगाना अलोक तांत्रिक है विशेषकर जबकि वह ऐसा कर अथवा लगान हो जिसे पूर्व की सरकार समाप्त कर चुकी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनां 3 नवम्बर, 1974 तथा आपके वक्तव्य की प्रतिलिपि भी मुझे प्राप्त हुयी है।

1966 में मुजफ्फरनगर कांग्रेस सम्मेलन में अलाभकर जोतों पर लगान माफ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इस प्रस्ताव को आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री के पद से प्रस्तुत किया था। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा-पत्र में जनता से वादा किया गया था कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ की जावेगी। कांग्रेसी सरकार ने तो अपना वादा पूरा किया नहीं। 1969 में गैर-कांग्रेसी सरकार ने लगान माफ करके जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुये ऐतिहासिक तथा क्रांतिकारी कदम उठाया। डा0 राम मनोहर लोहिया आजीवन तथा मृत्यु शैया पर भी अलाभकर जोतों पर लगान माफी के प्रबल समर्थक थे। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास नये करों को लगाने अथवा चालू करों की दरों में वृद्धि करने से नहीं होता। उचित तो यह है कि उपलब्ध साधनों से व्यवस्था में सुधार कर आय बढ़ाई जावे। राज्य विद्युत् परिषद् ने स्वीकारा है कि 22 प्रतिशत विद्युत् प्रसारण में नष्ट होती है इसकी कीमत लगभग दो अरब रुपया आती है। राज्य सीमेंट निगम को इस वर्ष लगभग साढ़े तीन करोड़ का घाटा हुआ है। राज्य विद्युत् परिषद् तथा सीमेंट निगम की अकर्मणता तथा अनियमितताओं द्वारा उत्पन्न घाटे को जनता पर जबरदस्ती गैर प्रजातांत्रिक तरीकों से लादना घोर अन्याय है। सरकार केवल इन्हीं दो विभागों में सुधार कर केवल घाटा दूर कर 200 करोड़ से ऊपर की आय कर सकती है।

किसी भी लोकप्रिय सरकार के निर्णय को उलटना तथा विधान सभा के जीवित रहते अध्यादेश द्वारा नये कर या लगान लगाना जनतन्त्र की हत्या है। ऐसे अध्यादेश को विधान सभा में बिल के रूप में प्रस्तुत करने के पूर्व जनसाधारण की राय जानना आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में आपको अवसर देने को तैयार हूं। मैं इलाहाबाद दक्षिणी विधान सभा सीट का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसके अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण दोनों इलाके हैं तथा इसके

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

ग्रामीण इलाकों का आप पूर्व में विधान सभा व लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं। मैं अपने क्षेत्र से त्याग-पत्र देने को इस शर्त के साथ तैयार हूं कि आप भी कृपया बारा विधान सभा क्षेत्र से त्याग-पत्र दें तथा इलाहाबाद दक्षिणी विधान सभा सीट रिक्त होने पर आप वहीं से उप चुनाव लड़ें तथा चुनाव में रायजनी इसी प्रश्न पर हो कि अलाभकर जोतों पर पुन : लगान लगाया जावे अथवा नहीं तथा बिजली की दरों में वृद्धि की जावे अथवा नहीं ।

आशा है कि आप कृपापूर्वक मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे तथा मुझे अवगत भी करावेंगे जिसमें कि मैं अपना त्याग-पत्र आपके पास भेज दूं और जिसे आप अपने त्याग-पत्र सहित अध्यक्ष, विधान सभा के पास अग्रसारित कर दें।

जनतन्त्र में जनता ही सर्वोपरि है। उक्त विषयों पर जनता की राय जानने का एक मौका मैं आपको दे रहा हूं। आशा है कि जनता की राय जानने के लिये उक्त माध्यम को आप अवश्य ही स्वीकार करने की कृपा करेंगे तथा मुझे एक सप्ताह के अन्दर अवगत भी करावेंगे ।

उत्तर की प्रतीक्षा में।

इस पत्र का उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 4 दिसम्बर, 1974 को मेरे पास भेजा। उसमें उन्होंने सवा छ : एकड़ से कम जोतों पर लगान पुन : लागू करने के निर्णय को लिखा है जबकि 1966 में मुजफ्फरनगर प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलन में अलाभकर जोतों पर लगान माफ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इस प्रस्ताव को अपने प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री के पद से प्रस्तुत किया था। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा-पत्र में जनता से वादा किया गया था कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ की जावेगी। अब इन बातों को इन्कार नहीं किया है। श्री बहुगुणा जी का उत्तर का पत्र यह है :

प्रिय मालवीय जी,

6 एकड़ तक की अलाभकर जोतों पर पुन : लगान लगाने के विषय में आपका 16 नवम्बर का पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

सवा छ : एकड़ से कम जोतों पर लगान पुन : लागू करने के निर्णय का आम-तौर पर सभी ने स्वागत किया है। छोटा किसान भी लगान देना चाहता है जिससे कि उसके पास जमीन की मिल्कियत एवं कब्जे का प्रमाण उपलब्ध हो जाता है। विधान सभा के सत्र में इन मामलों की चर्चा विस्तार में अवश्य होगी, इसलिये, इस समय अधिक कुछ कहना नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैंने अपने पत्रों को इस सदन के सम्मुख इसलिये प्रस्तुत किया है कि यह लगान का विषय ऐसा था कि जिसको जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ने माफ किया था और अभी 22 अगस्त, 1974 तक विधान सभा का सत्र चलता रहा लकिन उस सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया गया और अध्यादेश द्वारा पूर्व प्रभावी बनाकर इस अध्यादेश को बाद में लाया गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक विधान सभा जीवित है तब तक अध्यादेश द्वारा जनता के ऊपर कर लगाना एक बहुत ही बड़ा नैतिक अपराध है और जनतन्त्र की हत्या है, विशेषकर ऐसे लगान का प्रभाव देश और इस प्रदेश के छोटे-छोटे किसानों पर पड़ने जा रहा है। माननीय बहुगुणा जी ने 3 नवम्बर, 1974 को प्रधान लोगों को एक पत्र लिखा और उसमें इस बात का जिक्र किया कि यह नवम्बर का महीना इतना बड़ा और महत्वपूर्ण

है कि इसी महीने में पं0 जवाहर लाल नेहरू का जन्म हुआ, इसी महीने में प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का जन्म हुआ और इसी महीने में नेहरू युग आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस लगान को लगाने के बाद प्रधान मन्त्री ने यह कहा कि विरोधी दल वाले कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ने और इसलिये भ्रष्टाचार का नारा दे रहे हैं। इस नारे से हम भ्रष्टाचार को हटा नहीं सकते क्योंकि विदेशों में हमारे प्रदेश और देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ने भी यह लड़ाई लड़ी है। बहुगुणा जी ने आश्वासन दिया है कि मालगुजारी की रसीद बन्द हो गई है और जोत बही से जमीन की मिल्कियत के सम्बंध में प्रमाण-पत्र किसानों को नहीं मिलता है, तो जब मालगुजारी देंगे तो किसानों के पास मिल्कियत का प्रमाण-पत्र रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी मालगुजारी की रसीद मंगाकर देखलें, उससे किसी किसान की मिल्कियत के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा और इसी कारण संविद सरकार ने जोत बही बनवाई थी; उससे किसानों की मिल्कियत का प्रमाण-पत्र मिलता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि आखिर उधर के लोग भी जन प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रक्खा है उसको उधर के माननीय सदस्य भी मान लेंगे। यह जो दूसरा प्रस्ताव मैंने मुख्य मन्त्री जी के सामने त्याग-पत्र व चुनाव के सम्बन्ध में रक्खा है उसको वह मान लेंगे जिससे जनता का इस विषय पर मत मालूम हो सके और उसके अनुसार इस सदन में यह विधेयक अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाय। मैं इन शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं बहुत दुःखी हृदय से इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा यह सच बात है। 1948 से लेकर 1964 तक जब तक मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था सात बार इस आजाद हिन्दुस्तान में जेल गया था और उसमें से पांच बार जेल जाने का मुख्य कारण अलाभकर जोत से लगान माफी की बात थी। तो जाहिर है कि इस मसले के साथ मुझे सेन्टीमेन्टल अटैचमेंट है। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब मुझे इस मसले पर समर्थन करने के लिये बोलना है तो मुझे दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ता है। लेकिन मैं यह भी बहुत सफाई के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ भाइयों ने, कम से कम भारतीय लोक दल के भाइयों ने इस सवाल को उठाया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी कल या परसों के नेशनल हेराल्ड में चेस्टरटन की....

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या आप पत्थर हटाकर बोल रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

जन-शताब्दी के सिलसिले में एक लेख छपा है। उसमें लिखा हुआ है कि संसदीय जनतन्त्र में वास्तव में पार्टीज की हुकूमत नहीं बदला करती है। होता यह है कि जो फ्रान्ट बेन्चेज के हैं और जो नेता विरोधी दल हैं, वह बदला करते हैं। सरकार वही रहती है। यह उसकी भावना थी। तो मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं....

श्री पंजी प्रसाद--

आप अपनी भावना को कह रहे हैं या यह उनके विचार हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

आज इस विधेयक को इनीशियेटिव का श्रेय या अपयश माननीय नेता विरोधी दल को है। क्योंकि उन्होंने ही ऐसा वातावरण इस सदन में और इस सदन के बाहर पैदा किया कि अगर सरकार को पैसे की कमी है तो वह ऐसा कर सकती है। इस सन्दर्भ में उन्हीं का भाषण पढ़ना चाहता हूं....वैसे भाषण बहुत लम्बा है, केवल कुछ लाइनें पढ़ूंगा....मेरा यह ख्याल है कि "किसानों को मालगुजारी देने में न पहले दिक्कत थी और न आज है।"....चौधरी साहब ने इसके बाद भी बहुत सी बातें कहीं हैं, लेकिन उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। तो, इस विधेयक को लाने का श्रेय माननीय बहुगुणा जी को नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर चौधरी साहब ने यह बात न उठाई होती तो इसका आज ऐसा वातावरण न बनता। तो जहां तक वातावरण का प्रश्न है, वह माननीय चौधरी साहब के भाषण से पैदा हुआ।

चौधरी चरण सिंह--

तो वातावरण मैं पैदा करता हूं और अमल आप करते हैं ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

माननीय, हमारे सत्य प्रकाश जी ने दूसरी बात नैतिक उठाई, वैधानिक तो मैं नहीं मानता, उसको। लेकिन वह केवल कांग्रेस दल के साथ नहीं। जो डा0 लोहिया के अनुयायी बैठे हैं, वे अपने दिलों पर हाथ रख कर पूंछें जिसके लिये इसी माननीय सदन में कहा गया था कि डा0 लोहिया की अन्तिम इच्छा तभी पूरी होगी, जब सवा छ : एकड़ लगान माफ होगा। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि आज उस व्यक्ति के नेतृत्व में बैठे हुये हैं जिसने लगान माफी का विरोध किया तो उनकी नैतिकता कहां गयी। क्यों नहीं कहते कि हम चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो, माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जिन्दगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आदमी अपनी पुरानी मान्यताओं पर विचार करता है। माननीया, आदमी बहुत खा पीकर, तन्दुरुस्ती बनाता है और खून बनाता है। लेकिन जब उसके किसी भाई-बहन के बीमार या घायल होने के कारण खून की आवश्यकता होती है, तो वह इस मेहनत से बनाये हुये खून को उसको अर्पण कर देता है। तो उसी भावना के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़े हुये हैं और जो बहुत सी दलीलें दी गयी हैं सरकार की ओर से, शायद मैं उनमें सभी से इत्फाक न करता हूं लेकिन एक बात से जरूर इत्तफाक करता हूं कि आज हमारा प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है ? हम आर्थिक पिछड़ेपन के गर्त में डूबे हैं और इस बात को चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों, या कांग्रेस के लोग हों, सभी इस बात को महसूस करते हैं। आज प्रदेश की यह हालत हो रही है कि सरकारी नौकरियों में मूर्तियां बन्द हैं। बिजली की कमी की वजह से उत्पादन खेतों में ठीक नहीं हो पा रहा है। सिंचाई नहीं हो पा रही है। तमाम दिक्कतें हमारे सामने हैं। तो माननीया जब यह विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत है कि क्या हम आर्थिक पिछड़ेपन में पड़े रहें, या कुछ न कुछ बोझ बर्दाश्त करें, तो स्वाभाविक है कि न चाहते हुये भी हम उस बात का समर्थन करने के लिये खड़े होते हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा और जैसा भीखा लाल जी ने

कहा आप यह बिल लाये हैं प्रदेश की बहबूदी के लिये और इसी कारण छोटे काश्तकार को टैक्स करना चाहते हैं ।

जमींदारी एवालीशन चौधरी साहब ने किया तो भला काम किया। मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश सबसे पहले नम्बर पर था जिसने इस प्रगतिशील कदम को उठाया था। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह समझता हूं कि 15-16 साल तक वह रेवेन्यू मिनिस्टर रहे लेकिन लैंड रेवेन्यू का रिवीजन उनके जमाने में नहीं हुआ और किसानों के साथ जो बेइंसाफी हुई थी वह बरकरार रही। जो काश्त जमींदारों के हाथ में रही उसका लगान बहुत कम है। माननीय वित्त मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री ने अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये जो कदम उठाया है वह ठीक है लेकिन छोटे काश्तकारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिये सारे प्रदेश में एक ही तरह के रेट्स लगायें। वैसे तो सवा 6 एकड़ तक लैन्ड रेवेन्यू फिर से लगाने की जो बात है वह सेंटिमेंटल है लेकिन आज जो लैंड रेवन्यू है वह टोटल प्रोड्यूस का 1/46वां हिस्सा पड़ता है। किसी भाई ने टोडरमल तथा चाणक्य का जिक्र किया। उस समय हाई रेट था यानी 1/4 अथवा 1/6 (व्यवधान) आज जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत भी बढ़ी है। उसको हम नजरन्दाज नहीं कर सकते हैं 1940 में 10 आने में 5 सेर चावल मिलता था लेकिन आज एक पसेरी चावल बेचने पर क्या मिलता है ?

श्री मधुकर दिघे--

कपड़े के दाम भी तो बढ़े हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

जरूर बढ़े हैं। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यह चाहूंगा कि बड़े-बड़े भूमिपतियों के हक में जो लैंड रेवेन्यू के रेट्स लगा रखे थे उनको फिर से रिवाइज किया जाय। इसके अलावा मैं विरोधी दल के समाजवादी भाइयों से कहुंगा कि वह देखें कि कृषि पर सरकार का खर्चा कितना बढ़ता जा रहा है। चौधरी साहब ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि मालगुजारी माफ न करें लेकिन किसानों पर जो और बर्डन है उनको कम किया जाय। आबपाशी के रेट्स कम किये जायें तथा खाद के रेट कम किये जायं, डेवलपमेंट लेवी हटाई जाय। संभवत : उन्हीं के सुझाव से प्रभावित हो कर सरकार ने यह ऐलान किया कि ढाई एकड़ के काश्तकारों को खाद में एक तिहाई की छूट मिलेगी और एक एकड़ के काश्तकारों को कर्जा से मुक्ति मिलेगी। शायद माननीय चौधरी साहब की भी यही भावना थी कि थोड़ा सा टैक्स किसानों पर लगा कर उनको ज्यादा राहत दी जाय। अगर एक काश्तकार को एक बोरी यूरिया खाद मिली और एक तिहाई की छूट उसे मिली तो उस छूट का मुकाबला अगर साल भर के लगान से किया जाय तो उस पर बोझ हल्का ही होगा क्योंकि एक बोरी यूरिया खाद में उसे जो छूट मिलेगी वह लगान से ज्यादा होगी। क्योंकि उतनी छूट उसको यूरिया में मिल जायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बिल आया हुआ है उसके भी पीछे यह भावना नहीं है, जैसा कि कुछ भाइयों ने कहा है। आज भी अगर हमारा बस चले और सम्भव है कि दूसरी तरफ के खर्चे काटकर संसाधन जुटाकर उसे प्रदेश की तरक्की में लगाया जा सके, तो मैं पहला आदमी हूंगा जो यह कहेगा कि इसको हटा लो। भीखा लाल जी ने एक छोटी सी बात उठायी। श्रीमन्, एशिया में 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने खेती के मामले

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

में ज्यादा तरक्की की है, और उस सम्बन्ध में खोज की है चाहे वे छोटी जोतों से ही क्यों न सम्बन्धित हो। फिलिपाइन, ताइवान और जापान इन तीन देशों ने काफी तरक्की की है। चौधरी साहब के पास इसके आंकड़े होंगे कि पोस्ट वार पीरियड में या दूसरी लड़ाई समाप्त होने के बाद वहां की जो एवरेज होल्डिंग है वह तीन या चार एकड़ है। चौधरी साहब ने इसे एक-दो बार कोट भी किया है इसलिये कह रहा हूं तीन-चार एकड़ की होल्डिंग को उन्होंने एकानामिक होल्डिंग बना रखी है। जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने कहा है कि मैं भी चाहूंगा कि हमारी चेष्टा यह होनी चाहिए कि सवा छः एकड़ कोई सवार नहीं मुकर्रर हुई थी .....

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

दूसरे देशों का आप मिसाल दे रहे हैं तो आप यह बतायें कितने दिनों के शासन काल में उन्होंने ऐसा किया है और हिन्दुस्तान में कितने दिनों के शासन काल में आप यह व्यवस्था कर रहे हैं .....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव-

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पोस्ट वार पीरियड में जब मैकारथर जापान में गये थे तो उन्होंने पहले भूमि सुधार के बारे में ही कहा था ..... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा कि अलाभकर जोत क्या है इसको तय करने का प्रश्न आज भी खुला हुआ है और मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार को एक समिति बैठा कर के इधर के और उधर के माननीय सदस्यों को संतुष्ट कर दें कि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर नहीं है बल्कि नीचे की जोत अलाभकर है और इसके लिये कहां-कहां से छूट दी जा सकती है। इसको सिद्धान्त रूप में मानने में सरकार को मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। कुछ आंकड़े आपको बता दूं। पिछले कुछ दिनों में खेती के ऊपर कितना खर्च बैठा है, कितनी तरक्की हुई है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आपके सामने 1960-61 से 1971-72 यानी 10 साल के पीरियेड का बता रहा हूं। सन् 1960-61 में कुल 28 हजार मीट्रिक टन खाद का इस्तेमाल हमारे प्रदेश में होता था जब कि 1971-72 में 3,38,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई है यानी 10 गुने से भी ज्यादा हमने इस क्षेत्र में तरक्की की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से सिंचाई में और बिजली की प्रति यूनिट की खपत में और ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। इस क्षेत्र में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसी हिसाब से सरकारी अखराजात भी बढ़ जाते हैं उसको वह आधार मानते हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि काश्तकार को पुर्जी नहीं मिल रही है इसलिये उसकी भूमि नहीं है। काश्तकार का स्वामित्व पुर्जी से नहीं होता। वह तो मौके पर लाठी से या हल से और जोतबही से होता है (व्यवधान) मैं समझता हूं कि मैं उस तर्क के आधार पर इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज जिस हालत में हमारा प्रदेश पड़ा हुआ है वह हम सब जानते हैं। और उसके लिये केन्द्र ने जो कहा है और जैसा शुरू में मैंने कहा इसके लिये चौधरी साहब भी जिम्मेदार हैं और फिर केन्द्र जिम्मेदार है और केन्द्र सरकार ने एक आल्टरनेटिव सरकार के सामने रखा उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपया आप को तब दिया जायेगा जब उससे मैचिंग संसाधन

जुटायें और उसके लिये उन्होंने सुझाव दिया कि एग्रीकल्चरल टैक्स भी आप लगाइये। तो जाहिर है कि इस सदन में जो लोग बैठे हैं जिनका सम्बंध थोड़ा भी काश्तकारी से होगा या काश्तकार को जानते होंगे वह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के पक्ष में नहीं होंगे। हमारे यहां शहर में काश्तकार नहीं बल्कि तम्बाकू की खेती होती है और मैं जानता हूं कि तम्बाकू के काश्तकारों को सेन्ट्रल एक्साइज से किस तरह से परेशानी होती है, किस तरह से उनका शोषण होता है इस बारे में रोज हमारे पास शिकायतें आती हैं तो काश्तकारों को परेशानियों से बचाने के लिये वह एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगाना है लेकिन यह उसका दूसरा विकल्प है जिसको आप अंग्रेजी में लेसर इविल कहते हैं तो उस छोटी बुराई के रूप में इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं चाहूंगा कि जो समाजवादी भाई हैं वे इस बात को मद्देनजर रखकर देखें क्योंकि विकास की प्रक्रिया में उनकी भी जिम्मेदारी है। श्री सत्य प्रकाश जी ने एक पत्र बहुगुणा जी को लिखा कि मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं और आप भी इस्तीफा देकर चलें। तो श्रीमन् जहां तक इस्तीफे का सवाल है जितने इस्तीफे रोज सदन में दिये जाते हैं अगर वह मंजूर कर लिये जाते तो आज तक 1/4 सदन खाली होता। जो लिखते हैं और जहां वह जाते हैं वह दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से कोई लाभ नहीं होता है।

(व्यवधान)

जैसा विरोधी भाई कह रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि लोक सभा चुनाव होने वाले हैं अगर यह ठीक है तो उस हालत में आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है आप उसमें खड़े होंगे और मालूम हो जायेगा, जनता बता देगी।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल---

आप समाजवादी मालूम होते हैं तो फिर इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश---

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री मधुकर दिघे---

सब को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

आप को भी वक्त मिलेगा अभी बहुत वक्त है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

माननीय लोकालाल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे ताज्जुब है कि माननीय तिवारी जी ने यह जो बिल पेश किया इसके समर्थन में लेनिन

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

तक को ले लिया और कहा कि ओबरा बिजली प्लान्ट लगेगा उससे करोड़ों किसानों को लाभ होगा। यहां पर कहा गया कि दो एकड़ में पौने दो हजार का फायदा होता है। मैं ओम प्रकाश जी से पूछता हूं कि यह जो पौने दो हजार रुपये पैदा होने की बात है इसमें उन्होंने जो किसान की लागत है, उसकी जो मेहनत है उसको नहीं लगाया, माननीय तिवारी जी ने उसको गिना नहीं। जो वह पौने दो हजार रुपये महीना की आमदनी के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं उसमें वह इस बात को भूल गये। कल ही आपने इस सदन में बहुत भारी बधाई ली कि एक एकड़ तक की भूमि वालों का जो कर्जा था उसको माफ कर दिया। कि अगर वह कर्जा माफ नहीं किये जायेंगे तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक एकड़ तक का कर्ज माफ कर देते हैं, किन्तु दो एकड़ पर टैक्स लगाते हैं। ओबरा का हवाला देते हैं और लेनिन का कोटेशन देते हैं। यह कितना अच्छा तर्क है, कितना संगत और असंगत है, यह कितना ख्वाब पूरा करेगा, इसका फैसला सदन को करना है। इस बिल का ताल्लुक न आंकड़ों से है, न देश के भविष्य से है और न प्रदेश और देश के पिछड़ेपन से है। इसकी बुनियाद में एक ब्यूरोक्रेशी है, जो चाहती है कि वह आपसे अपनी बात पूरी कराये। आप समाजवाद और जनता की भावनाओं की तिलांजलि देकर, जनता के ज्ञान को झुठलाकर केवल कुर्सी बचाने के लिये यह बिल लेकर आए।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

कुर्सी बचाने के लिये कैसे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

इस प्रकार कि प्लानिंग कमीशन यह चाहता है कि आप टैक्स लगाएं, तो आप लगायेंगे। यदि आप प्लानिंग कमीशन की बात को टाल नहीं सकते हैं, उसको यह बता नहीं सकते हैं कि यदि लगायेंगे तो यह इस प्रदेश के हित में नहीं होगा तो आप फिर किससे मनवायेंगे। आपके सब सदस्य यह बात जानते हैं कि आप यदि इस बात को सोचना चाहते हैं कि किस किसान पर टैक्स लगाया जाय और किस पर न लगाया जाए, तो आपको दूर तक बात ले जानी पड़ेगी। आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक इन्कम टैक्स से भी होना चाहिये। इन्कम टैक्स में आप 6 हजार तक पर छूट देते हैं, किन्तु काश्तकार से कहते हैं कि 1 एकड़ और 2 एकड़ पर भी टैक्स लगायेंगे ? आमदनी और सरकार के खर्च में कोई तो तालमेल होना चाहिये। सरकार चलती है तो यह फैसला करके चलती है कि उसे किसके हितों की रक्षा करनी है और किसके हितों पर हमला करना है। देश के आजाद होने के बाद आपने सबसे पहले जमींदारी का खात्मा किया, क्यों कि आप चाहते थे कि गरीब किसानों का शोषण, उनकी लूट समाप्त हो। तो जो लगान पहले जमींदारों की ऐय्याशी पर खर्च होता था, जो खेत में वापस नहीं आता था, उसके लिये आपने वह व्यवस्था की थी, तो क्या अब आप समझते हैं कि सवा 6 एकड़ का किसान इतना सम्पन्न हो गया है कि उससे जो रुपया लेंगे वह इतना फिजूल है कि वह खेत में वापस न जाए। बुनियादी तौर से हम जो तर्क दे रहे हैं, वह सही राजनीति से और साइंस का सवाल है। यदि आप चाहते हैं कि सवा छः एकड़ के किसान से 13 करोड़ रुपया वसूल

करके उसको इस हालत में पहुंचाना कि प्रदेश की उन्नति हो सके। तो आप इसे अवश्य कीजिए लेकिन मैं जानता हूं, आप इसे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उसे बिजली, खाद और बीज आदि नहीं दे सकेंगे और न समय पर ही दे सकेंगे। जब तकावी बंटेगी, तो वह उसके पास जायगी, जो तलवार लेकर खड़ा हो।

चौधरी साहब को वोट मिलेगा, क्योंकि वह सवा छः एकड़ वालों को साथ लेकर चले हैं। चौधरी सहब नहीं चाहते हैं कि हरिजन भी वोट देने पायें। जो टैक्स आप लगाने जा रहे हैं, उससे 13 करोड़ रुपये जरूर वसूल होंगे, लेकिन उसके बाद गरीब किसान मजदूर लाठी की वजह से चौधरी साहब के पीछे जाकर खड़ा होगा। इसी वजह से आज उनकी नैतिकता बदली है। कल तक चौधरी साहब को खतरा नहीं था कि सवा छ एकड़ का किसान उनके खिलाफ जाएगा। किन्तु इस चुनाव में क्या साबित हुआ है। अब वह (जनसंघ दल) तो गये, जिनके ऊपर अटल बिहारी विश्वास करके चल रहे थे कि व्यापारी उनके साथ हैं; वह तो टूट गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

इसलिए आज वह सदन से वाक आउट करके गये हैं, आज जन संघ शहर से उठ कर देहात में आ जायगा। आज चौधरी साहब यहां पर इस लिए तशरीफ रखते हैं, आज डाक्टर लोहिया की आत्मा को शान्ति पहुंचाने के बाद, जो छपरौली में हरिजनों के वोट को रोक कर जीते, कल गरीब किसान का जो वोट था उसको भी तोड़ सकें।

(शोर) (एक साथ कई सदस्य खड़े हो कर बोलने लगे।)

एक सदस्य—

विषय पर ही बोलिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

इनके आका मास्को से जो संदेश भेजते हैं वह बोलते हैं। क्या इस सरकार के खिलाफ वोट आप देंगे ?

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, इनका बोलना व्यर्थ है क्योंकि बिल का समर्थन अन्त में करेंगे। लेखपाल को बुलवाइये न।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

बात दरअसल यह है कि बिल का समर्थन हो या विरोध हो, उसके पीछे राजनीति जरूर है और मैं अपनी राजनीति आपके सामने साफ रख रहा हूं। मेरी पार्टी गरीबों की पार्टी है। मेरी पार्टी मजदूरों की पार्टी है ? (व्यवधान तथा शोर) मैं बिल का विरोध कर रहा हूं। हमारे दोस्तों को तकलीफ हो रही है। यही वर्ग है, जिनके बारे में काल मार्क्स ने कहा है ?

श्री वीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

जरा गर्ग साहब शर्म खाइये। हरिद्वार में राशन की लाइन में लगी हुई औरतों को धक्का दे कर निकाल दिया नौ बजे रात को। क्यों ढोंग रचते हो? दूसरे रोज जब प्रदर्शन हुआ तो उस पर लाठी चलवायी। उसमें एक आदमी मरा। (व्यवधान) कुछ शर्म खाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

आप के विरोध और आपके समर्थन की बुनियाद कौन वर्ग हैं, यह आप बताने के लिये तैयार नहीं हैं। आप जिन वर्गों का साथ देना चाहते हैं उनका नाम लेते हुए डरते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आप तो लोहिया जी के अनुयायी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गल लंगोट बांधने वाले लोग किसानों का दर्द नहीं जानते। (व्यवधान) मैं वाचक हूं, वंचक नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय बहुगुणा जी इस बात पर विचार करें। कल तक यह बात सुनने को मिलती थी।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं। यह सन् 42 में अंग्रेजों के साथ में थे उनको खा गये। यह अब इनका साथ पकड़ते हैं। कहीं यह इनको न खा जायं।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या आपको बहुत तकलीफ है इस बात से कि यह अंग्रेजों को खा गये।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने यह कहा कि इस देश के नेता इस लायक नहीं हैं कि इस देश की राजसत्ता को संभाल सकें।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजों को खा गय।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

इस तरह की लम्बी चौड़ी बात आप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

अध्यक्ष महोदय, हमको भी अवसर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अध्यक्ष महोदय, 1974 में इसको खत्म करने के लिये उन्होंने नई साजिश की है । नये विभीषण और नये मीर जाफर उन्होंने तलाश कर लिये हैं । (व्यवधान) चोर की दाड़ी में तिनका । आप परेशान क्यों हैं । अभी तो मैंने नाम तक नहीं लिया है । लेकिन यदि आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात अवश्य पूरी करूंगा । अगर आपने पुराने तरीकों को तोड़ दिया तो फिर हमारा आपका फैसला हो जायेगा । आपने फैसला किया है कि आइन्दा सरकार इलेक्शन स न बन कर बुलेट से बनेगी । आप उन लोगों के साथ चलते हैं जिनका नारा है कि असेम्बली तोड़ेंगे । आप लोग महत्वाकांक्षा में फंसे हुये हैं । आप उनका साथ छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं । आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जयप्रकाश नारायण न बनें ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

आप जो कुछ भी करते हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज सवाल इस बात का है कि आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते हैं जब तक कि गरीब लोग आपके धोखे में न आ सकते हों । मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप लोग गरीब किसानों को धोखा न दें । आप टैक्स लगाने जा रहे हैं । आप लेनिन की तस्वीर देखकर अपने इरादे पूरे कर रहे हैं । लेकिन अगर आपने लेनिन की उस तस्वीर को देखा होता तो जरूर आप इस बात को सोचते कि हिन्दुस्तान का गरीब किसान टैक्स नहीं दे मकता है । आप ब्लैक मारकेटियर्स पर, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाते तो अच्छा होता ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है । जैसा कि उन्होंने कहा कि लेनिन की मूर्ति को देखकर प्रेरणा हो जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी उनसे प्रेरणा ले रही है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी भी उनसे प्रेरणा लेंगे या गांधी जी से गरीब किसानों क लिये प्रेरणा लेंगे । इसकी सफाई उनको करनी चाहिये थी । (व्यवधान)

आप किसानों की भाषा बोल रहे हैं और आपकी सी० बी० आई० पार्टी किसानों की सहानुभूति लेने के लिये तैयार हो गई है । (व्यवधान)

आप आचार्य नरेन्द्रदेव को याद कीजिये । आप डाक्टर लोहिया को याद कीजिये । आप डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं । लेकिन हर बात के लिये आप रूस की ओर देखते हैं । आज रूस की क्या हालत है ? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

एलेक्जेंडर मोलो जतिसिन ने एक शब्द रूस के खिलाफ कह दिया था तो उसको देश से निकाल दिया गया था। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी के अटेच्ड लैट्रिन और बाथ रूम हैं। (व्यवधान)

ये आजादी की हत्या करने वाले हैं और आज यहां पर भाषण कर रहे हैं.....

(शोर)

एक सदस्य--

ये लड़की भगाने वाला है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इनलोगों ने सन् 42 में गद्दारी की। ये अपने चेहरे को देखें। लेनिन को देखें। पहले अपने इतिहास को देखें।

एक सदस्य--

अपने चेहरे को देखो।

(व्यवधान व शोर)

एक सदस्य--

लड़की भगाने वाले अपने चेहरे को देखो।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)--

देश में गरीबी इनकी वजह से है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप हत्या करते हैं।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मैं नेता सदन से यह अपील करूंगा कि वह नेता विरोधी दल को एक हेलीकाप्टर दे दें और गांव-गांव जायें.....

(शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

ये माम्को के जरखरीद क्या बोल रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

(शोर)

एक सदस्य--

ये अंग्रेजों की बटरिंग करते थे। ये कमीने लोग हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 9 करोड़ रुपया आप एक दिन में वसूल कर सकते हैं। आपने जो बिजली हिन्डालको को दी है उसकी छूट को बन्द कर दीजिए तो यह सब समस्या ठीक हो जायं। और जो बिजली मिलेगी वह गरीब किसानों के काम आवेगी।

(श्री चेतराम गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, जिनके संशोधन प्रस्ताव हैं, क्या उनको नहीं बोलने दिया जायगा ?

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक ऐसे समय पर प्रस्तुत किया गया है जबकि इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। आज बीसियों और पचीसियों वर्ष से हम और हमारी सरकार खेतों में उपज बढ़ाने में लगी हुई है। आज से 20 वर्ष पहले जो खेतों की उपज थी, उसके मेरे पास आंकड़े भी हैं और मैं समझता हूं कि एक एकड़ में 1 या 2 क्विन्टल से अधिक गल्ला पैदा नहीं होता था। आज जबकि हमने अपने सिचाई क्षेत्र को बढ़ा लिया है, पहले के मुकाबले में, दुगना हो गया है और किसान जिसने नयी-नयी विधियां अपनाई हैं, बहुत छोटे से क्षेत्र में अधिक अन्न उपजाने लगा है। सरकार के पास भी आंकड़े हैं सरकारी फार्म्स पर भी आंकड़े हैं और व्यक्तिगत किसानों के जो फार्म्स हैं, उन पर भी आंकड़े हैं कि नये किसम के गेहूं, नयी-नयी किस्म की फसलें, नये किस्म के गन्ने, एक एकड़ में गंहूं की पैदावार, धान की पैदावार एक वर्ष में जहां पर 2 फसली एरिया है, उसमें 50 क्विन्टल और 40 क्विन्टल और इससे भी कुछ अधिक इस प्रदेश के किसानों ने ली हैं। तो मान्यवर, जबकि इस प्रदेश के किसान की पैदावार की आमदनी बढ़ी है, तो उस पर टैक्स भी बढ़ना स्वाभाविक है। यह सरकार बधाई की पात्र है कि अपने प्रदेश का विकास करने के लिये एक समुचित व्यवस्था, जो ठीक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये वह हमारे वित्त मंत्री जी ने कर बढ़ाकर प्रदेश का विकास बढ़ाने के लिये की है।

मान्यवर, हम अगर इससे पहले चलें तो हम देखते हैं, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि टोडरमल के जमाने से और श्री चन्द्र गुप्त मौर्य के जमाने से 1/4 हिस्सा और कभी-कभी तो 1/6 हिस्सा अपनी उपज का अनाज की शक्ल में किसान से लिया जाता था। लेकिन आज आप देखें कि पैदावार जहां 50 क्विन्टल प्रति एकड़ हो गई है, या 25 गुनी प्रति एकड़ हो गई है। 6.8 बिस्वे का एकड़ होता है और एक एकड़ में 25 क्विन्टल गल्ला एक वर्ष में किसान पैदा करता है। अगर 25 क्विन्टल भी मान लें और एक क्विन्टल धान का दाम 100 रुपया भी मान लें तो उसकी कीमत 2,500 रुपया होगा। अर्थात् एक एकड़ से इतनी आमदनी होती है। लगान जो है वह है 5 रुपये 58 पैसे प्रति एकड़ की दर से। जहां पर इतनी आमदनी हो, तो ठीक नहीं मालूम होता है कि उसके लगान की दरों में कोई विशेष इजांफा न किया जाय।

हमारी सरकार इस बात के लिये भी धन्यवाद की पात्र है कि जो सवा 6 एकड़ तक के किसान हैं उन पर विकास कर की कोई धनराशि नहीं बढ़ाई है। जैसाकि पहले था वैसे ही 50 परसेंट आज भी देगा। पहले यह फैसला करना पड़ेगा कि जमीन सरकार की है या वास्तव में किसान की है। हमारे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि जमीन सार्वजनिक है और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की है। अगर सरकार की जमीन है तो कुछ न कुछ तो उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

टैक्स के रूप में किसान को देना ही पड़ेगा। तो जो लगान लगाया वह बिल्कुल उपयुक्त है। आप केरल में देखें जहां कम्युनिस्टों की साझे की सरकार है। वहां भी जमीन पर टैक्स है। तो टैक्सेशन की आवश्यकता है। इस प्रदेश में जब जमींदारी थी, राजे, महाराजे थे, जैसे रामपुर है, जौनपुर है और दूसरे जिले हैं वहां 5 रुपये बीघा, यानी 30-35 रुपये एकड़ लगान पहले से ही नाफिज है जिसे किसान देता है। मैं किसान हूं और किसानों से चुन कर आया हूं। किसान स्वयं कहता है कि जमीन का स्वामित्व हम पायें इसके लिये कुछ न कुछ हम सरकार को दें। यह जरूर है कि जब किसान के पास जाते हैं तो वह यह मांग करता है कि चूंकि खाद के दाम दुगुने हो गये, आबपाशी के रेट्स ड्योढ़े हो गये, मार्केट में और चीजें ड्योढ़े और दूनी दाम पर मिलती हैं इसलिये उसके गेहूं और गन्ने के दाम अच्छे दिये जायं, उसके लिये सिंचाई की व्यवस्था की जाय, जमीन जोतने के लिये ट्रैक्टर और दूसरी चीजें मोहय्या की जायं, उसके गांव तक सड़क बनवायी जाय, बिजली लगवायी जाय जिससे सिंचाई की व्यवस्था ठीक से की जा सके। तो सरकार ने सोचा कि चूंकि किसान को बिजली देनी है, उसके घर तक सड़क बनवानी है, और दूसरी चीजें करनी हैं, इस सब के लिए आवश्यक है कि कोई अन्य संसाधन जुटाये जायं जिससे सरकार की आमदनी बढ़े।

मान्यवर, अपोजीशन की तरफ से और हमारे साथियों की ओर से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस विधेयक में केवल राजस्व या विकास कर का ही जिक्र है। लेकिन इसके माध्यम से डीजल, स्प्रिट, मोटर आयल और दूसरी चीजों पर भी टेक्सेशन किया गया है। तो मान्यवर, तिलमोहन कांड का उधर से जिक्र किया गया, गोयनका साहब का जिक्र किया गया. . . . . .

(व्यवधान) आप सुनिये धैर्य के साथ।

मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि सरकार पिट्रौल, डीजल तथा मोटर गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाया है, मगर सवा 6 एकड़ तक के किसानों से वही पुराना टैक्स रखा है, भूमि विकास कर को बढ़ाया नहीं है, इस सबके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था। विकास के लिये यह सरकार जो विधेयक लायी है, इन शब्दों के साथ, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मालवीय जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मुझे यह जानकर दुख है कि इस विधेयक को पेश करके सरकार की ओर से आर्थिक संकट की दुहाई दी गयी है। 26 सालों से कांग्रेस का ही प्रदेश और देश में शासन रहा है। इस सरकार की फिजूल खर्ची, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही देश और प्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ा है। आज केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार दोनों के सामने आर्थिक संकट है। यह इनकी गलत नीतियों के कारण ही पैदा हुआ है। इस संकट से उभरने के लिये फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये था, न कि गांव में जो गरीब 3 आना रोज मजदूरी करके अपना पेट भरता है उस पर टैक्स लगाना। सवा 6 एकड़ जोत वाले की आमदनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

35 रुपय माहवार से अधिक नहीं है, जब कि शहर में रहने वाल गरीब मजदूर की आमदनी कम से कम 100 रुपये है। मगर यह सरकार उस 35 रुपये वाले पर भी आज टैक्स लगा रही है। दूसरी तरफ शहरों में जो 500 रुपये पाने वाले सरकारी नौकर हैं उनकी तनख्वाहों में महंगायी भत्ते में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। एक तरफ यह कहना कि आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ कर्मचारियों का महंगायी भत्ता बढ़ाना और फिर गांव के गरीब किसानों पर टैक्स लगाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

आप कितना समय और लेंगे।

श्री राम अधार--

15 मिनट।

श्री अध्यक्ष--

तब आप कल बोलें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की कई सूचनायें आयी हैं। जैसा कि माननीय नेता, विरोधी दल ने सुझाव दिया है, यह सारी बातें कल अविश्वास के प्रस्ताव में कही जा सकती हैं। उसमें सब को मौका मिलेगा। सब को यदि स्वीकार करूं तो समय नहीं मिलेगा। तो ये जितने प्रश्न हैं इन पर आपको अवसर मिलेगा अविश्वास प्रस्ताव में उठाने का, इसलिये इनको स्वीकार करने का कोई औचित्य मैं नहीं देखता।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मुझे एक दो मिनट निवेदन करना है बिजली के सम्बन्ध में। बिजली के सवाल को मैंने कल भी उठाया था और आज भी कहा है कि सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर किसानों को बिजली रात को मिलती है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस पर वे आश्वासन दें।

(व्यवधान)

इटावा जिले में पुलिस द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों पर तथा कथित अत्याचार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अर्न्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल सिंह तथा श्री एदल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, इटावा जिले में पुलिस द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों पर तथाकथित अत्याचारों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19-12-74 को इटावा प्रदर्शनी में नौटंकी के पंडाल में एक स्थानीय डिग्री कालेज के कुछ छात्र जबर्दस्ती बिना टिकट घुस गये। वहीं पर छात्रों के दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गये और झगड़ा करने वाले छात्रों को बाहर निकाल दिया। छात्रों ने आश्वासन दिया कि आगे उनकी ओर से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद नौटंकी कार्यक्रम चलता रहा।

2--दिनांक 20-12-74 को स्थानीय के0 के0 डिग्री कालेज के लगभग 400/500 छात्र प्रदर्शनी स्थल पर नौटंकी पडाल के पास पहुंच गये और वहां घुसकर नौटंकी के मैनेजर, कर्मचारियों तथा महिला कलाकारों को पीटने लगे। कतिपय छात्रों ने कुछ महिला कलाकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया व नौटंकी के पंडाल के एक भाग में आग लगा दी। कुछ छात्रों के पास ईट, लाठी, हाकी व डंडे थे। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये तथा मजिस्ट्रेट ने भीड़ से तितर-बितर हो जाने को कहा। उत्तेजित भीड़ ने पथराव करना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कम से कम बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश दिये। भीड़ ईट, पत्थर फेंकते हुए तितर, बितर हो गई पर डिग्री कालेज के पश्चिम की ओर भीड़ पुन: एकत्र हो गई और अंधाधुंध पथराव करना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप सी0 ओ0 सिटी तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। कुछ लोग डिग्री कालेज के प्रांगण में भी घुस गये तथा वहां से भी पथराव करने लगे। इसी बीच कालेज के प्रधानाचार्य वहां आ गये। मजिस्ट्रेट ने प्रधानाचार्य से कालेज की ओर से होने वाले पथराव को रोकने के लिए कहा लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ तथा पथराव और भी तीव्र गति से होने लगा। कुछ छात्रों ने पुलिस की एक जीप को घेर लिया व डंडों से उस पर प्रहार किया जिसके फलस्वरूप जीप को क्षति पहुंची तथा उसमें बैठे कर्मचारियों को चोटें आईं। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने थानाध्यक्ष पर एक मोटे डंडे से प्रहार भी किया लेकिन वे बालबाल बच गये। जब भीड़ काबू से बाहर हो गई तथा पथराव बराबर जारी रहने लगा तो मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी तत्पश्चात् भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग करने के आदेश दिये। इसी बीच कालेज के प्रांगण से अश्रु गैस दल पर किसी ने दो फायर किये। अश्रु गैस का कोई असर न देखकर मजिस्ट्रेट ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये हल्की लाठी बेंत का प्रयोग करने के आदेश दिये। कुछ उपद्रवकारी कालेज के अन्दर घुस गये। इसी बीच जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच गये तथा उन्होंने कालेज के प्रधानाचार्य को कालेज से छिपे लोगों जिसमें कुछ छात्र भी थे, को पुलिस के हवाले करने के लिये कहा। प्रधानाचार्य ने जिलाधिकारी से उन छात्रों को घर जाने की अनुमति प्रदान करने के लिये कहा जिन्होंनें उपद्रव में भाग नहीं लिया है। इस पर दो सौ-ढाई सौ छात्र व छात्रायें अपने घर को चले गये। काफी समझाने बुझाने के बाद उन कमरों को खुलवाने को राजी हुए जिन्हें कुछ उपद्रवी छात्रों ने अंदर से बंद कर रखा था। इस पर ऐसे छात्रों से कमरों को खोलने के लिये कहा गया तथा यह भी कहा गया कि कमरे नहीं खोले गये तो दरवाजे तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब कालेज स्टाफ के कुछ सदस्यों ने उनसे स्वयं कमरे खोलने के लिये कहा तो छात्रों ने कमरे खोल दिये व उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर 36 छात्र गिरफ्तार किये गये। कुछ छात्र जो निकल भागे थे उन्होंने पुलिस चौकी नौरंगाबाद पर पथराव किया जिसके फलस्वरूप एक सिपाही के कनपटी पर गंभीर चोट आई। एक सब इंस्पेक्टर भी पथराव के कारण घायल हुए।

3--इस संपूर्ण घटना में छात्रों द्वारा ईंट पथराव करने तथा डंडा प्रहार से एक मजिस्ट्रेट, एक सर्किल आफिसर पुलिस, एक पुलिस इंस्पेक्टर, चार सब इस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबुल तथा 19 पुलिस पी0 ए0 सी0 होमगार्ड के जवान घायल हुए।

4--इटावा शहर में 20-12-74 से एक माह के लिये दफा 144 लागू कर दी गई तथा जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं को 28 दिसम्बर, 1974 तक बंद कर दिया गया।

दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 को जिन 36 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उनको अदालत ने दिनांक 24-12-74 को मुचलके पर छोड़ दिया है। इस घटना के बाद प्रदर्शनी के सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए हैं। डिग्री कालेज के कुछ अध्यापक तथा विद्यार्थी पुलिस के कालेज में प्रवेश के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। 25 छात्रों को चोटें आई थीं। किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट लगने की कोई सूचना नहीं है।

5--शासन ने अध्यक्ष राजस्व परिषद् को यह आदेश दिया है कि सम्पूर्ण घटना क्रम की यथाशीघ्र छानबीन कर लें ताकि यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक त्रुटियां हुई हों तो उनका पता चल सके और उनके निष्कर्षों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त घटना के संबंध में जो मुकदमें दर्ज किये गये हैं उनकी विवेचना भी राज्य के सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द कर दी गई है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह सत्य से विल्कुल परे है। और जो घटना 20 तारीख को हुयी और जो घटना 19 दिसम्बर को नौटंकी से जोड़ी जा रही है, वह भी असत्य है।

घटना की शुरुआत 1 महीने पहले एक विद्य र्थी श्री ब्रह्म कुमार को पुलिस द्वारा मारे जाने के कारण हुयी। पुलिस ने इस छात्र ब्रह्म कुमार को बेमतलब मारा था। इस घटना के कारण छात्रों में रोष भर गया था और उहोंने जिलाधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन किया, मुख्य बात तो यह थी। उस दिन एस0 पी0 ने लड़कों से मांफी मांगी और एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। उस दिन उन अधिकारियों के विरोध में जो नारेबाजी हुयी थी उसकी वजह से यह 20 तारीख वाला षड़यंत्र रचा गया। जहां तक 19 तारीख की बात कही जाती है कि झगड़ा हुआ था, वह भी गलत है। 19 तारीख को नौटंकी हो रही थी। वह नौटंकी जो पूर्वी टोला कहा जाता है वहां के गुंडे पुलिस के साथ गये थे, इस दिलासा में कि छात्र नौटंकी देखने आयेंगे। इस नौटंकी के लिये 300 लोगों को पास दिये गये थे। इसमें से पास कुछ छात्रों को भी मिल गये थे। और कुछ छात्र इस लालच में गये थे कि उनको भी पास मिल जायेगा और वे नौटंकी में प्रवेश कर सकेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, इस पर सवाल करवाइये। यह तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय सदस्य का कथन है कि यह रिपोर्ट असत्य है। तब मैंने थोड़ा मौका दे दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने पूरी बात रखने के लिये मैं इस घटना को बता रहा हूं। 19 तारीख को गुंडों द्वारा, पिछली खीज मिटाने के लिये छात्रों को पिटवाया गया। दूसरे दिन 20 तारीख को 20-25 लड़के वहां पर पहुंच गये और उनसे कहा कि तुमने हमारे दोस्तों को बेमतलब क्यों मारा। इस बीच पुलिस के लोगों ने कहा कि तुमको भी मारा जायगा। इस बीच कुछ प्रोफेसर और प्रिंसिपल पता चलने पर वहां आ गये इस डर से कि कहीं झगड़ा न हो जाय। उन्होंने लाउडस्पीकर पर एनाउसमेंट किया कि के0 के0 डिग्री कालेज के जितने भी छात्र हों यहां पर, वह कालेज में आ जायं। जो 10-20 लड़के वहां गये थे वह लड़के चले आये और 10-15 लड़के जो रह गये थे उनको पुलिस ने गाली दी और वह लड़के भागते हुये कालेज में आगये। जब लड़के कालेज में आगये तो उनके साथ पुलिस वाले और पी0 ए0 सी0 के लोग भी आ गये। लड़कों ने दरवाजा बंद कर लिया था। जब प्रिंसिपल ने कमरा खोलने से मना कर दिया तब पुलिस वालों ने एक दूसरा दरवाजा गिरा दिया और अंदर घुस गये। कुछ लड़के इम्तहान का फार्म भर रहे थे और कुछ क्लासेज भी चल रहीं थी। पुलिस वालों ने अश्रु गैस छोड़ी और लड़कों की मरम्मत भी की। और इतनी मरम्मत की लेकिन उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। वह लड़के ताले में बन्द कर दिये गये तो ताले को तोड़ कर वहां के एस0 डी0 ओ0 त्रिवेदी ने स्वयं लाठी ले कर उन छात्रों को मारा। इस कालेज के जो प्रशासक हैं वे इस विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह जब आये तो पुलिस ने उनकी भी नहीं सुनी। इसमें कहा गया है कि राजस्व परिषद् के अध्यक्ष द्वारा जांच होगी हमारा उस पर कोई भरोसा नहीं है। दूसरे दिन जब डी0 आई0 जी0 तथा कमिश्नर साहब पहुंचे और भूतपूर्व उपाध्यक्ष मिलने पहुंचे तो उन्हे खड़ा रहना पड़ा। वह ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। खून पड़ा हुआ था कालिज के अन्दर उसको देखने के लिये कहा गया लेकिन डी0 आई0 जी0 तथा कमिश्नर उसे देखने नहीं गये और संगीत सम्मेलन में मौज लेते रहे। लिहाजा मुख्य मंत्री जी इसकी न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है यह भी एक पक्ष है और इसको बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन को दे देंगे, वह इसकी भी जांच पड़ताल कर लेंगे।

श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)--

यह बात सच है कि वहां पर जा कर पुलिस ने थोड़ी ज्यादती की है। गुंडे लड़कों को मारने की कोशिश में जिन्होंने बदमाशी नहीं भी की थी उन्हें भी मारा गया है। यह भी अफसोस है कि सरकार ने कुछ देरी डिसीजन लेने में अवश्य लगा दी है लेकिन मेरा अनुरोध है कि चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू से जो जांच कराई जा रही है उसकी रिपोर्ट वह जल्दी मंगालें और जिन आफिसर्स की गलती पाई जाय उनको तुरन्त दंडित करें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा सुझाव दिया है चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू से तत्काल कार्यवाही करने के लिये कह दिया जायगा।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

इटावा की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस ने कालेज में घुस कर लेबोरेटरी में जो छात्र बन्द कर दिये गये थे वहां भी ताला तोड़ कर उनको बुरी तरह से मारा जिससे कई की टांग टूट गयी और इतने अत्याचार अंग्रेजों के जमाने में भी कभी नहीं हुआ था लिहाजा राजस्व परिषद् के चेयरमैन की जांच से कोई नतीजा नहीं निकलेगा लिहाजा आप इस सदन के सदस्यों की कमेटी बनायें और इटाव की पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश को तुरन्त मुअत्तल करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारतीय लोक दल जबरदस्त आन्दोलन करेगा, इटावा जिले की पूरी जनता आन्दोलन करेगी।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

प्रशासन को अच्छी तरह से जब मालूम था कि कुछ विद्यार्थी गड़बड़ी करते हैं विशेष कर जो उनमें गुंडा तबका है तो फिर उसने उनको नौटंकी करने की और कैंप लगाने की इजाजत क्यों दी ? फिर मंत्री महोदय ने यह स्टेटमेंट तो दिया कि इन झगड़े में इतने अधिकारियों के चोट आई लेकिन कितने विद्यार्थियों के चोट आई और टांगें टूटीं यह नहीं बताया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जैसी कि सूचना मिली उसी के आधार पर विद्यार्थियों की राय पर कैम्प की इजाजत दी गई लेकिन वह प्रशासनिक भूल हुई।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

बयान में यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कम से कम बल प्रयोग कर भीड़ तितर-बितर करने के आदेश दिये। भीड़ ईंट, पत्थर फेंकते हुये तितर-बितर हो गई लेकिन डिग्री कालेज में एकत्र हो गई अन्धा धुन्ध पत्थर फेंकने शुरू किये जिससे सी० ओ० (सिटी) और कुछ लोगों के चोटें आईं डिग्री कालेज के प्रांगण से पत्थर फेंके तो यह स्थान तो नौटंकी के स्थान से 4 फरलांग दूर है, मजिस्ट्रेट ने तो पुलिस को कम से कम बल प्रयोग करके तितर-बितर करने के आदेश दिये थे। लड़के कालेज की ओर चले गये। वह स्थान 3 फरलांग से कम दूर नहीं है। प्रिंसिपल की ओर से यह एलान किया गया था कि लड़के कालेज में आ जायं, तो मतलब यह हुआ कि वह वहां से भी पथराव करने लगे। डिग्री कालेज के पश्चिम की ओर भीड़ पुनः इकट्ठा हो गई, तो वहां तो लड़के गये हुये थे, तो पुलिस वहां क्यों गई। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस ने लड़कों को तितर-बितर किया और इस कारण लड़कों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

भीड़ कालेज में पहुंच गई और वहां पर पुनः एकत्र हो गई। मौके से लड़ के भाग गय लेकिन पुलिस भी वहां चली गई। तितर-बितर भीड़ हो गई। दो फरलांग या इससे अधिक दूर जाकर भीड़ फिर पथराव करने लगी, तो पुलिस उनको पीटते-पीटते वहां ले गई। जब लड़के अन्दर चले गये तो पुलिस को जाने की क्या जरूरत थी। प्रधानाचार्य मौजूद थे। दरवाजा तोड़कर निकाल कर पीटा गया। यह पाशविक है। ब्रूटल है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस को अधिकार न दिया जाय तो जुर्म नहीं रुक सकते हैं लेकिन पुलिस को जो अधिकार दिये जाते हैं अगर वह उनका बे लगाम इस्तेमाल करे तो अन्याय होता है। तो लगाम कौन लगाये, उस पर लगाम आप लगायेंगे।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

आपके जमाने में गोलियां बहुत चलाईं गयीं।

चौधरी चरण सिंह--

कम चलाईं गयीं हैं। मोदी नगर में फैक्ट्री तोड़ने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चलवाई थीं मैंने गोली नहीं चलवाई थी।

श्री भूपसिंह केन (जिला मेरठ)--

चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे तो तमाम जगहों पर गोली चलवाई थी और अब बहस कर रहे हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कालागढ़ में चौधरी साहब ने गोली चलवायी।

चौधरी चरण सिंह--

कालागढ़ में मैंने गोली नहीं चलावायी।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

सुल्तानपुर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार को चौधरी साहब ने पिटवाया।

चौधरी चरण सिंह--

अब जिस किसी साहब को जहां मैंने गोली चलवायी थी, उसके बारे में कहना हो, तो कह दें। मैं जवाब दे दूंगा।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

चौधरी साहब सुल्तानपुर का दौरा करने के लिये गये थे। लड़कों ने प्रदर्शन करना चाहा। चौधरी साहब केआर्डर से लाठी-चार्ज हुआ। अनेकों लड़के, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और कानूनगो घायल हुये और उन्हें अस्पताल भेजा गया। अनेकों कर्मचारी पीटे गये जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। तहसील में घुसकर पी० ए० सी० ने पिटाई की।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से पूंछना चाहता हूं कि लालगंज, आजमगढ़, में चौधरी साहब गये थे। वहां लड़कों को गिरफ्तार करवाया। लड़कों को पीटा गया। आज भी मुकदमा चल रहा है। तब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे।

चौधरी चरण सिंह--

पहली शिकायत मेरें खिलाफ यह की गयी कि मैंने कालागढ़ में गोली चलवायी। इस संबंध में मेरा कहना है कि मैंने कालागढ़ में गोली नहीं चलवाई। कोई हुकुम इसके लिये नहीं दिया। मैं मौके पर मौजूद नहीं था। कैसे गोली चलवाता।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

यही बात मेरे लिये भी है। मैंने नहीं चलवाया।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने कब कहा कि आपने चलवाया। मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस पर लगाम रखने की जरूरत है। लगाम नहीं रखेंगे तो सोसाइटी नहीं चलेगी। और ज्यादा लगाम रखेंगे तब भी सोसाइटी नहीं चलेगी। मैं नहीं कहता कि बहुगुणा जी ने या नारायण दत्त जी ने गोली चलवायी। जहां तक कालागढ़ की बात है, बहुत दिनों से स्ट्राइक चल रही थी वहां के अफसरों की नाकाबलियत के कारण। कमिश्नर मौजूद थे। 78 पुलिस मैन घायल हुये थे। लाठी–चार्ज हुआ और गोली चली और एक आदमी मरा था। न मेरे हुक्म से गोली चली और न मैं वहां मौजूद था। सारा सवाल यह है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, उस पर कोई कहते, तो ठीक था। बाराणसी में गोली चली, मैं बेशक मौजूद था लेकिन ऐज ए प्राइवेट सिटीजन। मैं न चीफ मिनिस्टर था और न मिनिस्टर था। मेरा कोई वास्ता नहीं था। वहां पर औरायी एक जगह है, वहां झगड़ा हो चुका था। जिस वक्त मैं शहर में गया तो वहां पर झगड़ा हो रहा था मने प्रभुनारायण सिंह के लड़के को बुलाकर समझाया कि झगड़ा न करो। पी० ए० सी० ने गोली चलाई। मैं तो देहात में था और मैंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश भी नहीं दिया क्योंकि मुझे कोई राइट नहीं था। न कोई आफीसर इस सम्बन्ध में मुझमें मिलने आया .....

एक सदस्य—

मोदी नगर में बच्चों पर गोली चलवाई .....

चौधरी चरण सिंह—

सुल्तानपुर में कहा गया कि वहां पर लोगों को पीटा गया, कुछ लोग अस्पताल में गये और मर भी गये। मैं बी० के० डी० की तरफ से वहां पर प्रचार करने के लिये गया हुआ था और वहां पर एक मीटिंग कर रहा था। कांग्रेस वालों ने उस मीटिंग को डिसबर्स करने की कोशिश की। चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया ....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

चौधरी साहब इससे क्या फर्क होता है कि आप उस समय चीफ मिनिस्टर थे या नहीं थे ?

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

जहां तक इन्तजाम का ताल्लुक है ....

एक सदस्य—

तुम्हारी चाची इन्दिरा गांधी ने जब-जब उत्तर प्रदेश का दौरा किया है तब-तब वहां पर लाठी और गोली चली है। (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह—

आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी एक दूसरी पार्टी से वास्ता रखती थीं जिसे मैंने छोड़ दिया....(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है या नहीं। क्यों आप बकवास करते हैं। हमारे जो कांस्टीटुयेन्ट के लोग थे उन्होंने बताया कि इन्दिरा जी बनारस में आयेंगी तो हम रिजोल्यूशन लायेंगे, उनको खींचकर और पकड़कर जाने क्या-क्या वे कहे, कि ऐसा करेंगे। मैंने कहा कि यह नहीं होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं भी इन्दिरा जी के साथ गया और हजारों आदमियों ने तथा स्टूडेन्ट ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के गेट पर अटैक किया। जो मैंने इन्तजाम किया उसको छोड़ दीजिये किन्तु मेरे साथी मुझसे नाराज हो गये और उसी नाराजगी से ४५ आदमी जो गवर्नमेंट में थे चले गये जिसके फलस्वरूप मैंने इस्तीफा दे दिया। यह मेरी ड्यूटी थी। मैंने रामस्वरूप आदि लोगों को गिरफ्तार कराया। वह सही बात थी। वह क्यों किया वह दूसरी बात है। किन्तु मैंने अपनी पार्टी के लोगों की परवाह न करके ऐसा किया। जहां तक लॉ एन्ड आर्डर की बात है फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। अगर पुलिस को पावर नहीं दोगे तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती है लेकिन सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाय यह गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। अभी आज मैंने उन्नाव के एस० पी० के बारे में जिक्र किया था कि उसके सामने गुन्डे भरकर ले जाये जाते हैं क्योंकि नहीं उस एस० पी०पर ऐक्शन लिया जाता है लेकिन उसके पीछे गोपीनाथ जी का हाथ या किसी कांग्रेस वाले का हाथ है। एस० पी० इस बात को कभी बर्दास्त नहीं कर सकता है कि एक सब-इन्स्पेक्टर गुन्डों को लेकर उसके मकान के सामने गुन्डा गर्दी करे। इस बात को बरदास्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पीछे कोई फालोइंग न हो तो वह यह बात थी कि वह जानता था कि यह मुखतलिफ पार्टी के लोग हैं इसलिये इनके साथ जो हो वह थोड़ा है। आप समझ सकते हैं कि एक सब-इन्सपेक्टर इस तरह की गुस्ताखी करता रहे और उस पर कोई ऐक्शन न हो। तो यह आपके एटीटयूड और कांविलियत का सबूत है। किस हद तक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर बस कर देंगे। इस मामले में आप जिद पकड़े हैं। श्री नारायण दास तिवारी जी से तीन दफे कह चुका हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायें तो वह कहते हैं कि राजस्व परिषद के मेम्बर से जो आई० ए० एस० आफिसर होगा से करायेंगे। वह किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या दूसरे आफिसर को जो उनके बिरादरी का होगा या पी० सी० एस० का होगा, एस० पी० होगा गलत बतला देगा।

तजुर्बा यह बतलाता है कि एक ही सर्विसेज के लोग किस तरह से अपने केडर को गलत बता देंगे और लोग भी कहते हैं कि वह इन्साफ नहीं कर सकता है। कम से कम पब्लिक में यह विश्वास नहीं है कि इस प्रकार से इन्साफ हो पायेगा। जब लोगों का विश्वास नहीं है तो फिर जिद क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि इतना बड़ा कान्ड हो गया जिसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये लेकिन आप उसको क्यों इन्कार कर रहे हैं। क्या एक आई० ए० एस० आफिसर ठीक से फैसला कर पायेगा? इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो जाय क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया है लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। वहां पर कोई नौटंकी नहीं थी, क्या वह कोई जानवर थे जो कि चार फर्लांग तक पुलिस वाले उनको पीटते ले गये। पुलिस में कोई इन्सानियत होती है। इस तरह से पीटते ले गये। आप मान लें कि गलती हुई है लेकिन जो वहां के पुलिस के आफिसर हैं उनकी बात को आप अनुमोदित करते हैं। मेरा कहना है कि वहां पर जो कछ हुआ है उसको आप जुडिशियल इन्क्वायरी

करायें और उनके आफिसर्स का फौरन वहां के ट्रान्सफर कराइये और उनके खिलाफ ऐक्शन लीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह जो हरकतें हो रही हैं वह सब बंद हो जायेंगी।

एक सदस्य—

पहले आपको इतनी हमदर्दी छात्रों से नहीं थी ....

चौधरी चरण सिंह—

मेरी छात्रों से पहले भी हमदर्दी थी आज भी है इसीलिये वह आर्डिनेंस निकाला और आपको हमदर्दी का आज यह नतीजा हो रहा है। जो इलाहाबाद में हुआ (व्यवधान) मेरी छात्रों के प्रति हमदर्दी भी और है मैं चाहता हूं कि वह मेहनत से पढ़ें अनुशासन में रहें और देश का निर्माण करें। आज आपके इन्स्टीयूशन में क्या हाल हो गये हैं? बड़े रिमार्क करते हो और खुश होते हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

१९७० में देवरिया में एक माननीय सदस्य के साथ एक इन्जीनियर ने दुर्व्यवहार किया कुछ कहा सुनी हो गई तो उसमें जुडिशियल इन्क्वायरी की। हम ठीक बात करते हैं तो उसे नहीं मानते ....

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरा सवाल है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

एक छोटी सी बात पर जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाते हैं और इस मामले में इतना बड़ा कांड हो गया उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आज इटावा पूर्णरूप से बन्द है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल को प्रशासन का दीर्घकालीन अनुभव है वह जानते हैं जब जुडिशियल इन्क्वायरी होती है तो उसमें बड़ा समय लगता है किसी भी मामले में पिछला अनुभव आप देखें। इस बात के वह हामी रहे हैं जुडिशियल इन्क्वायरी में बहुत टाईम लगता है और जुडिशियल इन्क्वायरी तभी होती है जब कोई जुडिशियल मामला सामने आये। इस प्रश्न पर शासन ने चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू को जो एक वरिष्ठ आई० सी० एस० हैं जिनके निष्पक्षता में शायद चौधरी साहब को भी कोई शक नहीं होगा, इसीलिये ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके और वह ३-४ दिन में हो जाए और उसका जनता पर अच्छा असर पड़े। जो हमारे माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह जी आदि चाहते हैं, उसमें भी देर होगी। हमने चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू को मुकर्रर किया है यह एक तरह से जुडिशियल इन्क्वायरी ही हो जाती है।

चौधरी चरण सिंह—

जिन अफिसरों ने यह ज्यादती की है या करवाई है, वह चाहे एस० डी० एम० हो, चाहे डी० वाई एस० पी० या एस० पी० हों, उन सब का कम से कम यदि ट्रान्सफर ही कर दिया, तब शायद इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप उन्हीं से करा लीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं इस बहस में नहीं जाता कि क्या होना चाहिये। लेकिन हमारे तिवारी जी ने माननीय चौधरी साहब के प्रशासनिक अनुभव का जिक्र किया, उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि यदि हम किसी पर भी विश्वास न करें। दो-चार दिन में सब हो जाएगा। उसको एक मौका मिलना चाहिए कि यह स्थिति क्यों आई। हम बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन को इसलिये नहीं भज रहे हैं कि हम मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, शान्त करना चाहते हैं या दोषी लोगों को बचाना चाहते हैं। हम पूरे फैक्ट्स सामने

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]
लाना चाहते हैं, कि लड़कों को क्यों नौटंकी में उद्घाटन का मौका दिया, एक्जीब्यूशन में कैम्प क्यों उन्हें लगाने दिया या लड़कों को मारते हुये क्यों वहां तक ले गयें। ऐसे सीनियर मोस्ट अफिसर जो चीफ सेक्रेटरी के रैंक के हैं, वह जाकर असल बात ले आयें। सारे मामले में कह दिया है कि लोकल पुलिस कोई हस्तक्षप नहीं करेगी। सी० आई० डी० सारे मामले को देखेगी, चुंकि लोकल पुलिस ही स्वयं एलेज्ड है। इस तरह से इस जांच में लोगों को कोई हानि नहीं होगी। किन्तु इसमें ३-४ दिन अवश्य लगेंगे। जिसदिन यह इन्सीडेंट हुआ था। मैं नहीं समझता कि जिस तारीख को यह वाकिया हुआ था, उसके ४ दिन बाद तक भी मुलायम सिह जी ने यह सवाल उठाया होगा ? मालूम यह पड़ता है कि वाकिया होने के बाद आप वहां तशरीफ ले गये और उसके बाद यह प्रश्न यहां उठाया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मै 21 को गया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुझसे यह मतलब नहीं है कि आप कब गयें, मैं यह कैसे जान सकता हूं कि आप कब गये। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि आपने कब इसे उटाया। मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सारे अफसरों को अविश्वास के खाते में डाल दिला गया और किसी पर विश्वास नहीं हुआ तो प्रशासन चलाना मुश्किल होगा। मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। मैं वीरेन्द्र कुमार जी से यह भी नहीं मानने वाला हूं कि 3-4 हफ्ते तक गवाहियां गुजरती रहें। वह सरसरी तोर पर जांच करें, जो विद्यार्थियों और प्रिंसिपल का पक्ष है उसको सुनने का वह पूरा मौका दें, मौका मुआयना करें और वहां से लौटचर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो मुख्य-मुख्य चार्जेज हैं यदि वे अन्सर्ड नहीं हुए तो गवर्नमेंट निश्चय ही ऐसे ठोस और निश्चित कार्यवाही करेगी। जैसा चौधरी साहब स्वयं करते यदि वह इस स्थान पर होते।

श्री भारत सिंह चौहान--

अफसरों को क्यों भेजा जाय, माननीय नारायण दत्त तिवारी हैं राजा अजीत प्रताप सिंह जी हैं और आप स्वयं हैं, आप लोग जाकर जानकारी कर सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसमे मुझे कोई उज्र नहीं छेकिन 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन तक अभी असेम्बली ही चलती है, उसके बाद ही जाना टीक हो सकेगा। कोई भी चला जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

इटावा जिले के आज सारे कालेज बन्द हैं आज पूरा इटावा बन्द है। इन 12 दिनों में वहां का सारा जन-जीवन ठप हो गया है। श्री त्रिवेदी और वहां के अन्य अफसरों का वहां इतना आतंक व्याप्त है कि चाहे वहां कोई पहुंचे और चाहे चेयरसैन, राजस्व परिषद् पहुंचे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उनका स्थानान्तरण नहीं होगा। वे लोग अपने रहते वहां सही जांच नहीं होने देंगे जिस एस0 डी0 ओ0 त्रिवेदी ने खींच-खींच करके लड़कों को पीटा है लाठी लेकर लड़को को मारा। जो लड़के कमरे में बन्द थे, किवाड़ से सांस सुनकर जो अफसर लड़कों को मारता है उस अफसर को वहां से हटाने में आपको क्या दिक्कत है। इतना बड़ा आतंक हो चुका है। जब तक वह अफसर रहेंगे तब तक सही जांच नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि इनका कल तक एस0 डी0 ओ0 त्रिवेदी और सी0 ओ0 का आज ही तबादला होना चाहिये और दो तीन अफसर का चार दिन में ट्रांसफर कर देना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

यह बात ठीक है। मैं उनसे सहमत हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदम, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं कि हर एक वाकये पर जुडीशल इन्क्वायरी नहीं होती उससे देर भी लगती है। लेकिन कुछ इन्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे जुडीशल इन्क्वायरी करना जरूरी होता है। न करो तो गलत है। मोदीनगर फायरिंग का कह रहे थे। बाद में साबित हो गया कि पुलिस की फायरिंग से नहीं हुआ था। (व्यवधान) उसमें मैंने जुडीशल इन्क्वायरी करवायी थी। काफी लोगों ने एटैक किया था यह तयशुदा बात है कि पुलिस लड़कों को पीटते-पीटते वहां लें गयी बजाय इसके कि लड़के दाखिल हो गये। आपसे शिकायत यह है कि जिस समय आपने यह पढ़ा कि वहां भी बलबा हो गया आपने क्यों नहीं पूछा कि क्यों हो गया? कितनी दूर नौटंकी से था, क्यों बलवा हो गया। पुलिस वाले चेज करते-करते उनको ले गये। वहां पर जाकर वह छिपते हैं, बाद में बन्द कर लेते हैं, फाटक बन्द कर लेते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ईजी टु डिटरमिन।

चौधरी चरण सिंह—

इन्टरनल एविडेंस है। आपने जिस वक्त रिपोर्ट देखी उसी वक्त कहते कि गलती है पुलिस वालों की। अगर डी० एस० पी० और एस० पी० को नहीं तो एस० डी० एम० और डी० वाई० एस० पी० का ट्रान्सफर कर दीजिये। सार जिले में फीलिंग्स इनफ्लेम्ड हैं। अगर लड़कों की गलती होती तो पब्लिक का यह रिऐक्शन न होता। लड़कों की थोड़ी गलती रही होगी। लेकिन पुलिस ने उनकी पिटाई आउट आफ प्रोपोर्शन की है। बाकी आपके हाथ में है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब ने परामर्श दिया है। सवाल थोड़े ही किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नियम 51 में एक सवाल मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के समय आप कहां सो रहे थे?

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
31 दिसम्बर, 1974।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ 545 पर)

6—जिला सहकारी बैंक लि०, एटा के संचालक मण्डल में इस समय 15 संचालक हैं जिनमें 12 निर्वाचित हैं। 1 कोआप्टेड तथा 3 राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट हैं। यह व्यक्ति निम्नलिखित समितियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर संचालक चुने गये हैं :—

क्रम सं०	नाम संचालक	नाम समिति जिसके आधार पर संचालक चुने गये	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	श्री छोटे लाल पालीवाल, सभापति ..	क्षे०स०स०, सोंहर ..	निर्वाचित संचालक
2	श्री होती लाल यादव, उप सभापति ..	क्र०वि०स०,एटा ..	,,
3	श्री वाचस्पति तौमर, संचालक ..	क्षे०स०स०, कासगंज द्वितीय।	,,
4	श्री नवाब सिंह यादव, संचालक ..	क्षे०स०स०, कठैली	,,
5	श्री रूप किशोर गौतम, संचालक ..	सा०स०स०, जमों ..	,,
6	श्री रघुबर दयाल. संचालक ..	सा०स०स०, माहकमपुर	,,
7	श्री कालीचरन अग्रवाल, संचालक ..	क्षे०स०स० अमापुर	,,
8	श्री गोपाल शर्मा, संचालक .	क्षे०स०स०, गौरहा	,,
9	श्री क्षेत्रपाल सिंह सोलकीं, संचालक ..	क्षे०स०स०, नि० कला	,,
10	श्री सत्यपाल सिंह, संचालक ..	सा०स०स०, विलास बंस	,,
11	श्री रूप नारायन गुप्ता, संचालक ..	म० सं० राजा का रामपुर	,,
12	श्री रन सिंह, संचालक ..	सा०स०स०, गठिया जगन्नाथ	,,
13	श्री जानकी प्रसाद, संचालक ..	सा०स०स०, महनमई	कोआप्टेड
14	एजेन्ट, एस० बी० आई०, एटा ..		राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट
15	जिला सहायक, निबन्धक ..	सा०स०, एटा ..	,,

उपरोक्त संचालकों में 9 संचालक ऐसे हैं जिनकी समितियां, जिनके वह प्रतिनिधि होकर आने पर संचालक चुने गये थे, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, एटा को 6 माह से अधिक की बकायादार हैं परन्तु इन संचालकों के विरुद्ध बैंक द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हेमवती नन्दन बहुगणा,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 553 पर)

तालिका

अस्पताल का नाम	अस्पताल में नियुक्त डाक्टरों की संख्या	इस वर्ष 31-.-74 तक रोगियों की संख्या जिनकी परिचर्या की गयी	वर्ष 1973-74 में दवाओं व साज-सज्जा हेतु प्राविधान (रुपयों में)		वर्ष 1973-74 के प्राविधान से व्यय की गयी धनराशि (रुपयों में)	
			औषधि	साज-सज्जा	औषधि	साज-सज्जा
1—टिहरी	2	2	7,771	22,000	2,700	22,000	2,640
2—नरेन्द्र नगर	..	4	20,122	40,700	3,500	40,000	3,500

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 562 पर)

क्रम-संख्या	नाम	तैनाती का स्थान	तैनाती की तिथि
1	2	3	4
1	कु० सुमित्रा रानी ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनी नगर	23-2-74
2	श्रीमती सन्य भावा ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलालगंज	11-4-74
3	श्रीमती लाल मणि ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद	6-6-74
4	श्रीमती अनीसा खान ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी ..	12-6-74
5	श्रीमती लीलावती ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज ..	23-7-74
6	श्रीमती अनारकली ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्सी का तालाब	14-8-74
7	श्रीमती पुष्पा गप्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माल	20-7-74
8	श्रीमती एस० अग्रवाल ..	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट ..	30-9-74

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 564 पर)

जी हां।

शिकायती-पत्र में मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं—

1—समिति से नाजायज तरीकों से लाखों रुपया पैदा करके निम्न प्रकार से अपनी हैसियत बनायी है तथा गुटबन्दी में बुरी तरह फंसे हुये हैं :

(क) उनके पास दो मोटर ट्रक (एक भाई के नाम है)।

(ख) एक ट्यूवेल, एक ट्रैक्टर और एक जावा मोटर साइकिल है।

(ग) 100 बीघा जमीन खरीदी है जो उनके घर वालों के नाम है।

(घ) समिति के सदस्यों का मुनाफा व अमानत में गड़बड़ी करके धन कमाया।

2—कई बार धन के बल पर स्थानान्तरण रुकवा चुके हैं।

3—समिति से अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं।

उपरोक्त शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग की विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा कराई जा रही है।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 565 पर)

रिवर बैंक कालोनी के स्थानान्तरित हो गये अधिकारियो की सूची एवं ब्योरा

क्रम-सं०	आबंटों का नाम	भवन संख्या	स्थानान्तरण, स्थान पद	विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री एस० पी० वोहरा	.. बी-5/3	.. सीनियर टाउन प्लानर, चन्डीगढ़	परिवार रह रहा है।
2	कर्नल बी० के० मुकर्जी	.. बी-7/3	.. सैनिक सेवा एन०ई०एफ०ए०में कार्यरत।	परिवार रह रहा है।
3	डा० वी० एन० कपूर	.. सी-1/1	.. प्रोफेसर, कामर्स डिपार्टमेंट, चन्डीगढ़ विश्वविद्यालय।	परिवार रह रहा है।
4	डा० (मिस) डी० कलानी	.. सी-1/2	.. बंगलौर	.. पिता तथा बहन रह रही है।
5	डा० सी० एम० तिवारी	.. सी-1/4	.. कानपुर (पैथालोजिस्ट)	.. परिवार के साथ रह रहे हैं और रोज आते जाते हैं।
6	डा० एम० के० अग्रवाल	.. सी-2/5	.. यू० एस० ए०	.. ताला लगा है (पिता केयर टेकर की हैसियत से रह रहें हैं)।
7	श्री यूसुफ हुसैन	.. सी-3/7	.. दिल्ली	.. परिवार रह रहा है।
8	श्री आर० एम० सिनहा	.. सी-1/11-8	वाराणसी	.. अनधिकृत (श्री श्रवण कुमार अग्रवाल)
9	श्री आर० पी० कटियार	.. ई-1/ए-1	.. ..	अनधिकृत (श्री उदय नरायन यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड (129-ए) की कार्यवाही
10	श्री एस० एन० सिंह	.. ई-1/सी-2	.. दिल्ली	.. परिवार रह रहा है।
11	डा० कुमारी इन्द्रा गुप्ता	.. ई-2/डी-1	.. उन्नाव	.. स्थगन आदेश।

12	डा० डी० आर० वर्मा	..	ई-2/एफ-1	..	झांसी मेडिकल आफिसर	.. परिवार रह रहा है। 20 दिसम्बर, 1974 को वापस आ रहे हैं।
13	श्री एम० एन० महरोत्रा	..	ई-1/ई	..	डाक व तार विभाग, पटना	.. परिवार रह रहा है।
14	श्री एस० के० गोयल	..	फ०-1/डी०-1	..	नगरमहापालिका. आगरा	.. परिवार रह रहा है।
15	श्री जे० एस० वर्मा	..	एफ-/3बी-1	..	आय-कर अधिकारी, इलाहाबाद	परिवार रह रहा है।
16	कर्नल ए० एन० कल्यानदसानी		जी-1	..	बंगलौर	.. अनधिकृत (श्री केशव राम आर्य) मूल आबंटी एवं अनधिकृत कब्जेदार से मुकदमा चल रहा है। प्रशासक के आदेशानुसार मूल आबंटी से किराया जमा कराया जा रहा है।
17	डा० पी० पी० अजवानी, निदेशालय, मेडिकल एन्ड हेल्थ, यू० पी०।	..	जी-3	..	झांसी	.. परिवार रह रहा है।
18	श्री लेखराज सिंह, सहायक अभियन्ता।		जी-22	..	कानपुर, नगरमहापालिका	.. ताला लगा है।
19	श्री एस० एस० चौहान, सी०बी०आई०।	..	2-गोसदन	..	दिल्ली	.. परिवार रह रहा है।
20	श्री आर० के० बिहारी	..	नं० 17-गोसदन	..	दिल्ली	.. लखनऊ वापस आ गये हैं।
21	श्री के० बी० प्रधान, सेवा निवृत्त कन्सालिडेशन आफिसर।		नं० 21-गोमतीस		बरेली	.. श्री एस० के० ग्रोहा केयर टेकर के रूप में रह रहे हैं।
22	श्री बी० के० मेहरोत्रा, रिजर्वबैंक		नं० 2 -गोसदन	..	चन्डीगढ़	.. परिवार रह रहा है।
23	श्री लाल किशन, जनगणना अधिकारी, दिल्ली।		नं० 5-गोसदन	..	डिपुटेशन पर दिल्ली गये हैं	.. परिवार रह रहा है।
24	श्री फजील अहमद, सेवा योजन अधिकारी, गोरखपुर।		नं० 3 -गोसदन	..	गोरखपुर	.. ताला लगा है।
25	श्री एम० पी० सिन्हा, सेन्ट्रल बैंक, सीतापुर।		एच-1/2	..	सीतापुर	.. परिवार रह रहा है।
26	श्री एम० पी० जैन, अभियन्ता		बंगला	..	कानपुर नगर महापालिका	.. परिवार रह रहा है। न्यायालय से स्थगन आदेश।

अनुपूरक विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 0 पर)

प्रश्नगत वर्षों में बर्ती गई अनियमितताओं से सम्बन्धित धनराशि जो आडिट द्वारा बतायी गयी है. 20,64,764.61 रु० है।

सहायक निबन्धक, देवरिया ने कोई धनराशि राइट आफ नहीं की है।

स्पेशल आडिट 196 -63 से 19 1- 2 तक के वर्षों का हुआ। इस अवधि से सम्बन्धित अनियमितताओं की धनराशि 2 , ' , 56.36 रु० आडिट द्वारा बतायी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है —

	रु०
अपहरण	9, 2,540.52
दुरुपयोग	15, ,445.15
अन्य अनियमिततायें हैं	3,13, 0.69
	2 , 3, 56.36

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 573 पर)

प्रपत्र

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम तृतीय श्रेणी	पद	अवकाश प्रार्थना-पत्र का दिनांक	अवकाश की अवधि 30 दिन	अधिकारी का पद जिसके द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया	अवकाश स्वीकृति आदेश सं०, दिनांक	नगदीकरण अवकाश की धनराशि किस दिनांक को बैंक से निकाली गई	दिनांक, उस कर्मचारी को नगदीकरण अवकाश की धनराशि का भुगतान किया गया	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री आई० एच० रिजवी ..	फार्मेसिस्ट	15-8-73	27-8-73 से 25-9-73	अधीक्षक सि०हा०	सं० 131, दिनांक 24-8-73 ..	6-9-73	6-9-73	
2	श्री ननकू प्रसाद ..	टेलर ..	15-8-73	1-9-73 से 30-9-73 ..	अधीक्षक सि० हा०	132, दिनांक 1-9-73 ..	12-9-73	12-9-73	
3	श्री जमुना प्रसाद 'क'	लै०टे० ..	23-8-73	1-9-73 से 30-9-73	अधीक्षक सि० हा०	133, दिनांक 1-9-73 ..	14-9-73	14-9-73	
4	श्री के०के० शुक्ला ..	फार्मे०	28-8-73	8-10-73 से 6-11-73	अधीक्षक सि० हा०	135, दिनांक 9-10-73 ..	9-10-73	9-10-73 ..	
5	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	फार्मे०	4-9-73	1-2-74 से 2-3-74	सी० एम०ओ० लखनऊ।	143, दिनांक 12-12-73 ..	7-2-74 ..	7-2-74 ..	
6	श्री सर्फराज अहमद ..	फार्मे०	12-9-73	8-10-73 से 6-11-73	अधीक्षक सि०हा०	146, दिनांक 1-10-73 ..	9-10-73 ..	9-10-73 ..	
7	श्री ए० पी० गुप्ता	फार्मे०	8-10-73	15-12-73 से 13-1-74	सी० एस० ओ०	141, दिनांक 12-12-73 ..	17-12-73	17-12-73	
8	श्री ए० वी० शर्मा ..	लिपिक	15-10-73	1-11-73 से 30-11-73	सी०एम०ओ०	87, दिनांक 22-10-73 ..	6-11-73	6-11-73 ..	
9	श्री गोमती प्रसाद ..	फार्मे०	15-10-73	8-11-73 से 7-12-73	अधी० सि० हा०	177, दिनांक 7-11-73	22-11-73 ..	22-11-73 ..	
10	श्री अशोक कुमार ..	लै०टे०	7-11-73	12-11-73 से 11-12-73	अधी० सि० हा०	178, दिनांक 9-11-73 ..	20-11-73	20-11-73 ..	
11	श्रीमती वि० निगम ..	सिस्टर	1-12-73	10-2-74 से 11-3-74	सी०एम०ओ०	140, दिनांक 12-12-73 ..	16-2-74 ..	16-2-74 ..	
12	क० ए० सल्को	सिस्टर	1-12-73	15-12-73 से 13-1-74	सी०एम०ओ०	142/73, दिनांक 12-12-73 ..	17-12-73 ..	17-12-73 ..	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	सी०एम०ओ०	5/74 दिनांक 4-1-74 ..	6-3-74 ..	6-3-74 ..	आदेश देर से प्राप्त हुआ परन्तु दिनांक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	श्री एन० आर० गप्ता	.. एक्सरे टे०	11-12-73	इनका प्रार्थना पत्र सी० एम० ओ०, लखनऊ को भेजा गया परन्तु वहां से आपत्ति के साथ वापस आ गया श्री गुप्ता से आपत्ति सुधार करने के लिये कहा गया तथा दूसरी अर्जी देने को कहा गया वे न तो दूसरी अर्जी दिये और न तो आपत्ति सुधार किये। दूसरी अर्जी दिनांक 1 सितम्बर, 1974 को दिय जो दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को स्वीकृत हुई तथा उसका भुगतान दिनांक 27 नवम्बर, 1974 को किया गया।				
27	श्री रामलोचन	वार्ड ब्वाय	3-9-73	9-11-73 से 8-12-73	अधी० सि० हा०	180, दिनांक 8-11-73	.. 22-11-73	22-11-73 ..	
28	श्री गिरधारी ..	स्वीपर	3-9-73	1-12-73 से 30-12-73	अधी० सि०हा०	190, दिनांक 1-12-73	.. 28-12-73 ..	28-12-73	
29	श्री अलगूराम	वार्ड ब्वाय	14-9-73	15-12-73 से 13-1-74	अधी० सि० हा०	193, दिनांक 11-12-73	.. 15-12-73	15-12-73	
30	श्री राम धीरज ..	वार्ड ब्वाय	17-9-73	1-12-73 से 30-12-73	अधी० सि० हा०	191, दिनांक 18-12-73	.. 15-12-73 ..	15-12-73 ..	
31	श्री मेवा लाल ..	धोबी	1-10-73	16-1-74 से 14-2-74	अधी० सि० हा०	2, दिनांक 9-1-74	.. 1-2-74 ..	1-2-74 ..	
32	श्री अच्छे लाल	स्वीपर	5-12-73	23-12-73 से 21-1-74	अधी० सि० हा०	1, दिनांक 8-1-74	.. 18-1-74 ..	18-1-74 ..	
33	श्रीमती बदाला	वार्ड ब्वाय	17-11-73	2-12-73 से 31-12-73	अधी० सि०हा०	23, दिनांक 23-2-74	.. 5-3-74 ..	5-3-74 ..	इसे अवकाश पर जाने का मैट्रन ने आदेश दे दिया था।
34	श्री गाजी राम	धोबी	17-12-73	15-1-74 से 13-2-74	अधी० सि०हा०	3, दिनांक 14-1-74	.. 30-1-74 ..	30-1-74	
35	श्री बाबू लाल	कुक	18-12-73	1-1-74 से 30-1-74	अधी० सि० हा०	7, दिनांक 16-1-74	.. 8-2-74 ..	8-2-74 ..	
36	श्री मंगरू दुबे	वार्ड ब्वाय	29-12-73	17-1-74 से 15-2-74	अधी० सि० हा०	11, दिनांक 29-1-74	.. 1-2-74 ..	1-2-74 ..	
37	श्री राम चन्द्र पुत्र ज्वाला	वार्ड ब्वाय	25-12-73	16-2-74 से 17-3-74	अधी० सि० हा०	25, दिनांक 16-2-74	.. 1-3-74 ..	1-3-74 ..	
38	श्री राम गुलाम	वार्ड ब्वाय	29-12-73	1-3-74 से 30-3-74	अधी० सि० हा०	31, दिनांक 1-3-74	.. 5-3-74 ..	5-3 74 ..	
39	श्री छेदू लाल	वार्ड ब्वाय	28-12-73	17-1-74 से 15-2-74	अधी० सि० हा०	10, दिनांक 29-1-74	.. 1-2-74 ..	1-2-74 ..	
40	श्री राम नवल	वार्ड ब्वाय	28-12-73	1-2-74 से 2-3-74	अधी० सि० हा०	14, दिनांक 8-2-74	.. 14-2-74 ..	14-2-74 ..	
41	श्री प्यारे लाल	धोबी	4-1-74	1-3-74 से 30-3-74	अधी० सि० हा०	57, दिनांक 4-3-74	.. 13-3-74 ..	13-3-74 ..	
42	श्री छोटे लाल पुत्र श्री देवी दीन	वार्ड ब्वाय	13-1-74	1-2-74 से 2-3-74	अधी० सि० हा०	12, दिनांक 5-2-74	.. 15-2-74 ..	15-2-74 ..	
43	श्री नरायन स्व० दूबे	वार्ड ब्वाय	15-1-74	1-3-74 से 30-3-74	अधी० सि० हा०	41, दिनांक 12-3-74	.. 22-3-74	22-3-74	

Legislature Library

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 574 पर)

लेबोरेटरी टेक्नीशियनों तथा सहायकों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन की मुख्य मांगें

1—लैब टेक्नीशियनों/असिस्टेन्टों को वेतन आयोग द्वारा संस्तुत रु० 230–380 वेतन-मान के बजाय रु० 250–425 वेतनमान दिया जाय ।

2—लैब टेक्नीशियनों/असिस्टेन्टों के वर्तमान पदों में से 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड रु० 350–700 में सृजित करके उन पर सीनियर लैब टेक्नीशियनों/असिस्टेन्टों की प्रोन्नति की जाय ।

3—जो लैब टेक्नीशियन/असिस्टेन्ट निर्धारित शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता नहीं रखते और कई वर्ष से उस पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें उक्त योग्यता से छूट देकर वेतन अभिनवीकरण समिति एवं वेतन आयोग द्वारा प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन/असिस्टेन्ट के लिये संस्तुत वेतनमान दिया जाय ।

4—समस्त लैब टेक्नीशियन/असिस्टेन्ट जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाय ।

नत्थी 'झ'

(देखिये आतरांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 574 पर)

प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी वृत्त के मलेरिया अनुरक्षण क्षेत्र में स्थित जिन जिलों में वर्ष 1970 से जून, 1974 तक की अवधि में मलेरिया एपीडेमिक्स पाया गया उनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 1970	1971	1972	1973	1974 (जून तक)
शून्य	(1) बुलन्दशहर	(1) अलीगढ़	(1) अलीगढ़	(1) अलीगढ़
		(2) बुलन्दशहर	(2) बदायूं	(2) बुलन्दशहर
		(3) फतेहपुर	(3) बुलन्दशहर	(3) मथुरा
		(4) मेरठ	(4) फतेहपुर	(4) मेरठ
		(5) मुजफ्फरनगर	(5) मथुरा	(5) मुजफ्फरनगर
		(6) रायबरेली	(6) मेरठ	(6) सहारनपुर
			(7) मुजफ्फरनगर	
			(8) प्रतापगढ़	
			(9) रायबरेली	
			(10) सहारनपुर	

2—उपरोक्त मलेरिया एपीडेमिक्स के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:—

(क) कीटनाशक दवाओं का विलम्ब से एवं अनियमित रूप से प्राप्त होना। यह भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

(ख) पुरानी तथा प्रयोग में न आनेवाली गाड़ियों का भारत सरकार द्वारा विलम्ब से बदला जाना।

(ग) अस्थिर एवं प्रवसन जन समुदाय की समस्यायें।

(घ) कीटनाशक दवा के छिड़काव के तुरन्त बाद ही ग्राम वासियों द्वारा अपने-अपने मकानों की लीपा पोती (mud plastering) करना।

(ङ) कीटाणु नाशक दवा के छिड़काव में जनता द्वारा यथेष्ठ सहयोग न देना।

(च) प्रदेशों के पश्चिमी एवं दक्षिणी अंचलों के सीमावर्ती राज्यों से मलेरिया पीड़ित व्यक्तियों का अधिक संख्या में आना-जाना।

(छ) कीटाणु नाशक औषधि का कतिपय क्षेत्रों में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर समुचित प्रभाव न होने के कारण।

3—रोग की रोकथाम की दिशा में जिन-जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती रही हैं।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 576 पर)

क्रम-सं०	पद का नाम	31-3-74 को अस्थाई पदों की संख्यां जो 3 वर्ष की अवधि से अधिक हो गई है	31-3-74 को कर्मचारियों की संख्या जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थाई रूप से सेवा रत है	स्थाई न किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
	श्रेणी एक--			
1	--अधीक्षक, कन्द्रीय कारागार (शिविर), प्रधानाचार्य कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ)।	1	4	इन अधिकारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है और आवश्यक औपचारिकताए पूरी होने पर स्थायीकरण किया जायेगा।
		1	4	
	श्रेणी दो—			
1	--अधीक्षक, जिला कारागार के अतिरिक्त अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज।	1 ..	12 ..	5 अधिकारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन हैं और औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्थायी करण किया जायगा। 6 पदों पर केन्द्रीय कारागार के स्थानापन्न अधीक्षकों का माहन बना हुआ है और उनके केन्द्रीय कारागार अधीक्षक के पदों पर स्थायी हो जाने पर जिला कारागार अधीक्षकों के स्थायी करण की कार्यवाही की जायगी। शेष पद अस्थायी हैं जिसके स्थायी होने पर पदधारी को स्थायी करने की कार्यवाही की जायेगी।

1	2	3	4	5
2	उप अधीक्षक ..		7	इनके स्थायीकरण का मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।
3	जेलर ..	6	39	इनमें से 23 अधिकारियों का जेलर के पद पर स्थायीकरण का मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। 7 स्थानापन्न उप अधीक्षक का लीयन जेलर के पद पर है तथा 9 स्थानापन्न अधीक्षक जिला कारागार का लियन जेलर के पद पर हैं। इनके स्थायी किये जाने पर 16 स्थानापन्न जेलरों का स्थायीकरण किया जायेगा।
		7	58	
	श्रेणी तीन—			
1	सहायक अधीक्षक	—	2	एक स्थायी कार्यालय अधीक्षक का लियन सहायक अधीक्षक के पद पर है तथा एक सहायक अधीक्षक का स्थायीकरण विचाराधीन है।
2	प्रालेखक एवं आलेखक	4	4	चार अस्थायी पदों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।
3	निर्देश लिपिक	2	6	दो अस्थायी पदों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। तीन स्थायी पदों पर स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।
4	अवकाश आरक्षित लिपिक ..		6	इन पदों पर स्थायीकरण नहीं होता।
5	सम्परीक्षक ..		1	तदर्थ नियुक्ति की गयी है। नियमित चुनाव अभी लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।
6	कृषि निरीक्षक ..		1	इस पद पर कृषि विभाग के प्रति नियुक्ति पर कर्मचारी आते हैं। अत: स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।
7	आशुलिपिक ..		2	स्थायीकरण की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

8	किलीनिकल साइकालोजिस्ट	1	1	अस्थायी पद के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। पद के स्थायी होने पर पदधारी को स्थायीकरण का प्रश्न उठता है।
9	उप जेलर	18	79	12 अस्थायी पद सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं। एक अस्थायी पद किशोर सदन, बरेली के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। दो अस्थायी पद सम्पूर्णानन्द शिविर, घुर्मा के हैं। 3 अन्य जैलों के हैं। इन 18 अस्थायी पदों के स्थायी होने पर 13 अस्थायी उप जेलरों के स्थायीकरण का प्रश्न उठता है। शेष 24 पर अस्थायी उप जेलरों को स्थायी करने की कार्यवाही चल रही है। शेष 37 पदों पर स्थानापन्न जेलर का लियन बना है।
10	लेखा कार	4	5	4 अस्थायी पद सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं। इनके स्थायी होने पर पदधारियों के स्थायीकरण का प्रश्न उठता है। एक अस्थायी लेखाकार को दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 से स्थायी कर दिया गया है।
11	सहायक जलर	17	110	16 अस्थायी पद शिविर, सितारगज के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं। एक अस्थायी पद हलद्वानी जेल का है। इन 17 अस्थायी पदों के स्थायी होने पर पदाधिकारियों के स्थायीकरण का प्रश्न उठता है। 20 अस्थायी सहायक जेलरों को स्थायीकरण के बारे में कार्यवाही चल रही है। 73 स्थायी सहायक जेलर उप जेलर के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके स्थायी हो जाने पर इन 73 अस्थायी सहायक जेलरों के स्थायी हो जाने का प्रश्न उठता है।
12	फार्म लिपिक	..	5	इनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
13	प्रधानाध्यापक	..	1	10	एक अस्थायी पद शिविर, घुर्मा का है। इनकी वरिष्ठता का मामला शासन के विचाराधीन है इसी बीच स्थानीय उच्च न्यायलय में एक रिट याचिकादायर हो गई है उसका निर्णय होने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में विचार होगा।
14	शिक्षाध्यापक	..	2	4	घुर्मा शिविर के 2 पद अस्थायी हैं। एक अस्थायी पदधारी के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।
15	मेशन टीचर	..	4	24	यह पद पंचवर्षीय ठेके के आधार पर सृजित है। अतः पदधारियों के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है। 4 अस्थायी पद शिविर सितारगंज के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं।
16	व्लीचिंग डाइंग तथा केलिको प्रशिक्षक	..	..	1	स्थायीकरण के सम्बन्ध में कारागारों से रिपोर्ट मांगी गई है।
17	पेंसिल मेकिंग प्रशिक्षक	..	..	1	तदैव
18	स्पोर्टस गुटस प्रशिक्षक	..	..	1	तदैव
19	सोप तथा फिनायल प्रशिक्षक	..	..	1	तदैव
20	प्लम्बरिंग प्रशिक्षण	..	..		तदैव
21	कालीन प्रशिक्षक	..	..	1	तदैव
22	नलकूप चालक	..	5	6	सितारगंज शिविर के चार,जिला कारगार मिर्जापुर का एक कुल पांच पद अस्थायी हैं। इस कारण पदधारी भी अस्थायी हैं। एक स्थायी पद . पर पदधारी को स्थायी करने की कार्यवाही चल रही है।
23	कृषि पर्यवेक्षक	..	..	6	कारागारों से इनके स्थायीकरण के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

24	भ्रमणकारी बुनाई शिक्षक	..	2	तदैव
25	बुनाई सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षिका	..	1	विचाराधीन है।
26	बैंड मास्टर	..	2	एक कर्मचारी के स्थायीकरण की कार्यवाही चल रही है। दूसरा पुलिस विभाग से प्रति नियुक्ति पर है। अत: स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।
27	प्रधान सिलाई मशीन मिस्त्री	..	1	यह पद पंचवर्षीय ठेके के आधार पर चल रहा है। शासन द्वारा पद पेन्शन युक्त घोषित किये जाने पर पदधारी को स्थायी किया जायगा।
28	बेंत प्रशिक्षक	1	1	कारागार के स्थायीकरण के सम्बध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर पदधारी का स्थायीकरण किया जायगा।
29	मैकेनिक कम-सुपरवाइजर फ्लोर मिल्स	..	1	स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
30	रंगाई प्रशिक्षक	..	4	तदैव
31	विद्युत चालित करघा मिस्त्री।	2	..	अभी करघे ठीक से काम नहीं कर रहे है। करघों के व्यवस्थित हो जाने पर इन पदों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी।
32	टेलर मास्टर	..	1	स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।
33	पालीसर	..	1	उद्योग के विषय में जांच पड़ताल चल रही है। इसके उपरान्त अस्थायी पद के स्थायीकरण के लिये शासन को लिखा जायगा।
34	काष्ठकला प्रशिक्षक	..	1	शिविर के स्थायीकरण होने पर पदधारी का स्थायीकरण किया जायगा।
35	लोहारगीरी प्रशिक्षक	..	1	तदैव
36	चर्म कला प्रशिक्षक	..	2	स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।
37	कम्बल बुनाई मास्टर	..	1	स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है
38	हस्त निर्मित कागज उद्योग प्रशिक्षक	1	1	पद स्थायी घोषित होने पर पदधारी का स्थायीकरण किया जायगा। मामला शासन के विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
39	मशीन प्रशिक्षक	1	1	उद्योग ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। उद्योग के व्यवस्थित हो जाने पर पदों के स्थायीकरण का मामला शासन को भेजा जायगा।
40	आरा मशीन प्रशिक्षक	1	1	तदैव
41	कम्पाउण्डर	4	14	शासन के आदेश हैं कि केवल प्रशिक्षित कम्पाउण्डर ही स्थायी किये जायेंगे। क्योंकि यह सभी अप्रशिक्षित हैं अतः वर्तमान स्थिति में इनके स्थायी किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। चारों पद शिविर सितारगंज के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं।
	योग ..	68	314	
	चतुर्थ श्रेणी—			
1	बन्दीरक्षक	145	115	113 पद सितारगंज शिविर के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं। 19 हल्द्वानी सब जेल के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं। 11 घुर्मा शिविर के अस्थायी वद्धि के कारण, 2 शासन के विचाराधीन हैं।
2	ड्राइवर	6	6	सितारगंज के शिविर के 6 पद अस्थायी हैं, शिविर के साथ इनका भी स्थायीकरण होने पर पदधारियों का स्थायीकरण किया जायगा।
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	59	48	47 पद सितारगंज शिविर के हैं जो स्वयं अस्थायी हैं, 1 घुर्मा शिविर में अस्थायी वृद्धि के कारण, 3 कारगार प्रशिक्षण विद्यालय में कुछ समय के लिये रखे जाते हैं। 8 का मामला शासन के विचाराधीन है।
	योग ..	210	169	

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 577 पर)

सहकारिता विभाग में दिनांक 31 अगस्त, 1974 को 1724 कर्मचारी ऐसे थे जो कि 3 वर्ष से अधिक अस्थाई रूप से सेवारत थे। इनका श्रेणीवार पृथक-पृथक विवरण निम्न प्रकार है :—

अ—राजपत्रित—

(1) प्रथम श्रेणी	20
(2) द्वितीय श्रेणी एवं अन्य	115
योग	135

ब—अराजपत्रित—

(1) निरीक्षक वर्ग–1	242
(2) निरीक्षणकर्ता–1	612
(3) सहायक निरीक्षक वर्गीकरण सहायक ..	116
(4) ओवरसियर	2
(5) पर्यवेक्षक	148
(6) लेखा एवं लिपिक	294
(7) चतुर्थ वर्ग	175
योग ..	1589
कुल योग ..	1724

उक्त कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें, सेवा पुस्तिकायें तथा अन्य सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के अपूर्ण होने तथा कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण इन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया जा सका। उक्त सभी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जा रहे हैं। जिनके पूर्ण होते ही अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई घोषित पदों पर स्थाई कर दिया जायगा।

नत्थी 'ठ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 7 पर)

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के भूमि संरक्षण अनुभाग में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की 31–8–74 की स्थिति

क्रम संख्या	कर्मचारियों की श्रेणी	31–8–74 को अस्थाई कर्मचारियों की संख्या	31–8–74 तक घोषित स्थाई पदों की संख्या	अब तक स्थाई किये गये कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1—	राजपत्रित अधिकारी	167	145	11
2—	अधीनस्थ कृषि सेवा	3481	3219	936
3—	लिपिक वर्ग	636	562	107
4—	लेखा कर्मचारी	263	230	139
5—	अधिदर्शक	235	204	6
6—	मानचित्रक/अनुरेखक	384	347	..
7—	मैकेनिक फोरमैन	9	5	..
8—	जीप चालक, ट्रैक्टर चालक	172	146	..
9—	विविध, बी0 एल डब्लू, रेन्जर, फोरेस्टर, अमीन।	13	2	..
10—	चतुर्थ श्रेणी ..	1144	978	124
	योग ..	6504	5838	1323

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 86 वि0 सभा (497)—1975—845 1